राजभाषा भारती

अंक : 113 वर्ष : 29 अप्रैल–जून 2006

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

गृह मंत्रालय की दिनांक 30-03-06 को आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के दौरान माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज वि. पाटील से गृह मंत्रालय की राजभाषा शील्ड (वर्ष 2003-04) प्राप्त करते हुए श्री वि. कु. जोशी, भा. पु. से., महानिदेशक, भा. ति. सी. पु.

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित वैज्ञानिक संगोष्ठी में शोध पत्रों के संकलन का विमोचन करते हुए परिषद् के महानिदेशक डॉ. मंगला राय

भारति जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे
—निराला

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 29

अंक : 113

अप्रैल—जून, 2006

❑ संपादक
विजय चंद्र मंडल
निदेशक (अनुसंधान)
दूरभाष : 24617807

❑ उप संपादक
डॉ० राजेंद्र प्रताप सिंह
दूरभाष : 24698054

❑ संपादन सहायक
शांति कुमार स्याल
दूरभाष : 24698054

❑ निःशुल्क वितरण के लिए

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

❑ पत्र-व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (द्वितीय तल),
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

ईमेल—ru-ol@mha.nic.in
patrika—ol@mha.nic.in
पोर्टल—www.rajbhasha.gov..in.

विषय-सूची

		पृष्ठ
❑ संपादकीय		(iii)
❖ चिंतन		
1. एक भारतीय साहित्य की परिकल्पना	—डॉ० एम० शेषन	1
2. विश्व हिंदी की संकल्पना एवं स्वरूप	—नरेंद्र नाथ त्रिपाठी	5
❖ साहित्यिकी		
3. हिंदी साहित्य के वटवृक्ष एवं जन कवि-बाबा नागार्जुन	—नोतन लाल	10
❖ पुरानी यादें - नए परिप्रेक्ष्य		
4. वृंदावन लाल वर्मा के सान्निध्य में	—डॉ० सुधेश	14
❖ तकनीकी		
5. कार्पोरेट शासन	—एस० के० चौधरी एवं जे० रॉय चौधरी	17
❖ संस्कृति		
6. दस्यु और द्रविड	—र० शौरिराजन	21
7. एशिया में भी सुरक्षित हैं हमारे शब्द	—डॉ० एन० एस० शर्मा	29
8. भारतीय दर्शन : एक परिचय	—ओम प्रकाश द्विवेदी	35
❖ पत्रकारिता		
9. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस	—डॉ० बसंतीलाल बाबेल	39

2205 HA/06—1A

विषय-सूची		पृष्ठ

❖ विविध

10. साक्षरता में लिंग भेद —डॉ० ओमराज़ सिंह 42

11. भारतीय लोकतंत्र में सूचना के अधिकार की महत्ता —दिनेश मोहन चड्ढा 45

12. भारतीय संविधान की निर्माण-कथा —प्रो० योगेश चंद्र शर्मा 50

❖ **राजभाषा संबंधी गतिविधियां :**

(क) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 54

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 61

(ग) कार्यशालाएं 66

❖ संगोष्ठी/सम्मेलन 71

❖ पुरस्कार 75

❖ प्रशिक्षण 79

❖ आदेश-अनुदेश 81

❖ पाठकों के पत्र 88

संपादकीय

'कुरु-कुरु स्वाहा', 'कसप' और 'क्याप' के रचयिता महान उपन्यासकार मनोहर श्याम जोशी का जाना मानो एक युग का अंत है । 1931 में उदय हुआ यह नक्षत्र मार्च, 2006 में अस्त हो गया । जोशी जी की पहचान टेलीविजन के क्रांतिकारी धारावाहिक निर्माता के साथ-साथ एक चिंतक और किस्सागो के रूप में रही है । उन्होंने "बुनियाद" और "हम लोग" जैसे धारावाहिकों के माध्यम से समाज को कई रोल मॉडल प्रदान किए । उनके मॉडल इस बात का भी प्रतीक हैं कि जहां वैज्ञानिकों को सभ्यता के विकास का श्रेय जाता है, वहीं चिंतकों और रचनाकारों को संस्कृति के निर्माण और समाज के परिवर्तन का श्रेय जाता है और आदर्श समाज की रचना का कार्य अंततः साहित्यकार का ही दायित्व है ।

मनोहर श्याम जोशी जी को आंचलिक संस्कृति और शब्द-संपदा से हिंदी साहित्य को समृद्ध करने का भी श्रेय जाता है। उनकी कृतियों में, चाहे वह उनके शीर्षक हों अथवा कथानक, सभी जगह कुमाउँनी संस्कृति और शब्द-संपदा का स्वाभाविक प्रयोग बराबर नजर आता है। इससे इस संकल्पना को बल मिलता है कि क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों की समृद्ध शब्द-संपदा से हिंदी का सर्व-स्वीकार्य रूप धीरे-धीरे आकार ग्रहण करेगा। राजभाषा परिवार की ओर से इस महान रचनाकार को विनम्र श्रद्धांजलि ।

राजभाषा भारती का मुख्य उद्देश्य राजभाषा हिंदी को सर्व-स्वीकार्यता और सार्वभौमिकता की ओर अग्रसर करने के लिए प्रयासरत रहना है। इसी विषय पर 'चिंतन' स्तंभ के अंतर्गत इस बार दो आलेख प्रस्तुत हैं । बाबा नागार्जुन और वृंदावन लाल वर्मा जी की स्मृति को समर्पित दो लेख भी पाठकों को रुचिकर लगेंगे, ऐसी उम्मीद है। वैश्वीकरण और औद्योगीकरण के युग में 'कार्पोरेट शासन' एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। इस विषय पर एक आलेख दिया जा रहा है । 'संस्कृति', 'पत्रकारिता' और 'विविध' स्तंभों सहित कुल बारह आलेख पाठकों के विचार-प्रवाह को आंदोलित करने के लिए इस अंक में शामिल किए गए हैं । लक्ष्य वही है, राजभाषा हिंदी के प्रयोग के लिए परिवेश तैयार करना। उम्मीद है प्रबुद्ध पाठकों का सहयोग हमें इस महती कार्य में मिलता रहेगा ।

—संपादक

चिंतन

एक भारतीय साहित्य की परिकल्पना

—डॉ०एम०शेषन*

भारत एक बहुभाषी देश है । यहाँ अनेक समुन्नत साहित्यिक भाषाएं हैं । पर, जिस प्रकार अनेक वर्षों के आपसी संपर्क और सामाजिक द्विभाषिकता के कारण भारतीय भाषाएं अपनी संरचना में भिन्न होते हुए भी अपनी आर्थी संरचना में समरूप हैं, उसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि अपने जातीय इतिहास, सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक मूल्य एवं साहित्यिक संवेदना के संदर्भ में भारतीय साहित्य एक है, भले ही वह विभिन्न भाषाओं के अभिव्यक्ति माध्यम द्वारा व्यक्त हुआ है । 'भारतीय साहित्य' की संकल्पना, भाषा-भेद की सीमा को तोड़कर साहित्येतिहास और विकास को देखने की माँग करती है । वह क्षेत्रीयता और युग संकल्पना की यथार्थता को एक ओर स्वीकार करने तथा दूसरे स्तर पर उसकी सीमा के अतिक्रमण करने की आवश्यकता का परिणाम है । 'भारतीय साहित्य' की संकल्पना के मूल में भारतीय साहित्य की आधारभूत एकता और वैशिष्ट्य की पहचान की छटपटाहट है । पर इस 'पहचान' के लिए जो प्रयास होना चाहिए था, उसके लिए साहित्यिक अध्ययन का जो तुलनात्मक आधार मिलना चाहिए था और तुलनात्मक साहित्य के जो संदर्भ, प्रणाली और तकनीक का विकास होना चाहिए था, वह यहाँ नहीं दिखलाई पड़ता ।

बहुवर्णी विविधताओं से युक्त इस देश की विविधताओं के बीच भी, उसकी आंतरिक एकता भावना, संस्कृति, भक्ति साहित्य इत्यादि कई धरातलों पर चिरकाल से निर्भर है । किंतु दुख इस बात का है कि भारतीय साहित्य की इस आंतरिक एकरूपता के प्रति हम अपेक्षित मात्रा में सजग नहीं और इस आंतरिक एकरूपता को अपने देशवासियों अथवा विदेशियों के समक्ष एक व्यापक फलक पर तथा एक व्यवस्थित परिप्रेक्ष्य में उभार कर रखने के लिए हमें जो प्रयत्न करना चाहिए वह हम नहीं कर रहे हैं । इस आंतरिक एकरूपता से हमारी साधारण जनता का ही नहीं, हमारे अधिकांश भारतीय साहित्यकारों, विद्वानों एवं बुद्धिजीवियों का भी घोर अपरिचय है । आज इस बात की आवश्यकता है कि हमारे साहित्यकार, अनुसंधानकर्ता विद्वान, चिंतक अपने व्यापक राष्ट्रीय साहित्य की ओर आकृष्ट हों तथा ज्ञान के धरातल पर भारत की सारस्वत आंतरिक एकरूपता को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयत्नशील बनें । इन दिनों देश की भावात्मक एकता को बढ़ावा देने के लिए एवं सिंचाई की सुविधा के लिए भी 'नेशनल वाटर ग्रिड' की स्थापना पर विचार किया जा रहा है ताकि देश की प्रायः सभी नदियों का जल एक दूसरे को मिल सके । आशय यह है कि हम विखंडन की प्रवृत्तियों से उबरने और एक सुदृढ़ एवं समृद्ध राष्ट्र की परिकल्पना को साकार रूप देने के निमित्त कई स्तरों पर देश की भावात्मक एकता को दृढ़तर करना चाहते हैं । मेरे विचार में, यह भावात्मक एकता भारतीय साहित्य की आंतरिक एकरूपता की पहचान और उससे घनिष्ठ संबंध जोड़ने से ही सशक्त हो सकती है । एक भारतीय साहित्यकार या लेखक अपने देश की विभिन्न भगिनी भाषाओं के साहित्य से परिचित रहे तो उससे उसके ज्ञान भंडार और दृष्टि विचार की समृद्धि होगी तथा उसे भारतीय साहित्य की आंतरिक एकरूपता को जानने-पहचानने और राट्रीय भावात्मक एकता को पुष्ट करने में सुविधा होगी ।

यह सच है कि आधुनिक भारतीय भाषाएं प्रारूप की दृष्टि से भिन्न-भिन्न हैं, परन्तु उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि चिरकाल से एक सी रही है । सभी भारतीय भाषाओं की अंतरात्मा एक है, उनकी आंतरिक एकता युग-युग से अक्षुण्ण है । आज आवश्यकता है कि भारतीय साहित्य की इस आंतरिक एकरूपता को उभार कर जनमानस के समक्ष, संदर्भ संगत और प्रभावपूर्ण शैली में उपस्थित किया जाए

*'गुरु कृपा', प्लाट नं० 790, डॉ० ए० रामास्वामी रोड, के० के० नगर, चेन्नै-600078

2205 HA/06—2A

तभी हमारी राष्ट्रभाषा और उसके साहित्य में देश की सभी भाषाओं तथा उनके साहित्य का रस रंग और गंधमधु समीकृत रूप में, पूरी छटा के साथ विकीर्ण हो सकेगा । पारस्परिक संपर्क, तुलनात्मक अध्ययन और अनुवाद कार्यों के माध्यम से हमें भारतीय साहित्य की इस आंतरिक एकरूपता के सेतु को प्रशस्त करना होगा ।

इसमें संदेह नहीं कि एक युग में भक्तिधारा ने हमारे संपूर्ण भारतीय साहित्य की आंतरिक एकरूपता को प्रशस्त करने का कार्य किया । भक्ति का यह प्रदेशांतर भ्रमण भारतीय साहित्य की आंतरिक एकरूपता का ही परिचायक है । मध्यकालीन भारतीय साहित्य की आंतरिक एकरूपता अटूट थी और यह एकरूपता मुख्यत: तत्वज्ञानपरकता एवं भक्तिभावना के कारण सुदृढ़ बनी हुई थी ।

तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता:

भारतीय साहित्य की आंतरिक एकरूपता के तुलनात्मक अध्ययन से अर्थात् दो या दो से अधिक साहित्यों के तुलनात्मक अध्ययन से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई साहित्य-संस्कृतियों के बीच 'परता' (otherness) के बोध को घटा कर 'परस्परता' (togetherness) के बोध को जगाया जा सकता है । आशय यह है कि हिंदी साहित्य को विचार परिधि के केंद्र में रखकर भारत की विभिन्न भाषाओं में रचित साहित्यों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए भारत के बहुभाषी और विविधतामय समाज की आधारभूत सांस्कृतिक चेतना तथा साहित्यिक संवेदना की मूलभूत एकात्मकता की पहचान को उजागर किया जा सकता है और भारतीय संदर्भ में साहित्य, संस्कृति की प्रांतीय, क्षेत्रीय अथवा आंचलिक संकीर्णताओं को दूर किया जा सकता है । इस तरह विभिन्न भाषाओं में रचित भारतीय साहित्य में अंतर-सांस्कृतिक बोध के माध्यम से अंतर-सांस्कृतिक अर्थावगति उत्पन्न कर पाठकों को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने की जो अंतर्निहित क्षमता है, उसका अधिकाधिक उद्घाटन हम कर सकते हैं, जिससे भारतीय साहित्य की आंतरिक एकरूपता और भी उजागर होगी तथा डॉ० राधा कृष्णन की 'भारतीय साहित्य एक है' 'Indian literature is one' की परिकल्पना साकार हो सकेगी । भारतीय साहित्य की परिकल्पना सभी प्रांतीय साहित्यों के सारतत्वों से निर्मित होती है । बहुत पहले कविवर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था कि 'भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता' पहले उत्पन्न हुई और राजनीतिक राष्ट्रीयता बाद की जन्मी है (संस्कृति के चार अध्याय, पृ० सं० 498) । सांस्कृतिक राष्ट्रीयता और साहित्यिक राष्ट्रीयता का जन्म साथ-साथ ही हुआ है ।

कोई भी साहित्य अपने आप अलग अस्तित्व बना कर टिक नहीं सकता । वस्तुत: बीसवीं शताब्दी के पहले दशक में कही गयी इस प्रकार की उक्तियों से ही भारतीय तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन की बुनियाद तैयार हुई । भारतीय संदर्भ में, विशेष रूप से, बहुभाषिक देश होने के नाते तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन; भारतीय साहित्य की अवधारणा के निर्माण के लिए जहां जरूरी है, वहां दूसरी ओर भारत की विभिन्न भाषाओं में रचित अविछिन्न साहित्यिक अभिव्यक्ति का ऐतिहासिक दृष्टि से विश्वासोत्पादक आलेख प्रस्तुत करने के लिए भी आवश्यक है । आज हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन को एक व्यापक आयाम प्रदान करने के लिए यह जरूरी है कि हिंदी को केंद्र में रख कर भारत की विभिन्न भाषाओं में रचित साहित्यों का अध्ययन किया जाए जिससें कि हिंदी सही मायने में भारत की सामासिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर सके और भाषिक कुंठाओं से मुक्त करके हर भाषा के वैविध्य तथा एकता के तत्वों से हमें परिचित करा सके । तुलनात्मक अध्ययन से न केवल हमारे परिप्रेक्ष्य का विस्तार हो सकेगा वरन यह राष्ट्रीय पद्धति की संकीर्णता को तोड़ता हुआ विभिन्न राष्ट्रीय संस्कृतियों में प्रवाहित प्रवृत्तियों और आंदोलनों की खोज करता है एवं मनुष्य की ज्ञानात्मक क्रियाओं के साथ साहित्य के संबंधों को तोलता है। यहां सादृश्यमूलक अध्ययन के लिए अधिक अवसर हैं । एकक साहित्य के रूप में भारतीय साहित्य की अवधारणा का निर्माण तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन के आश्रय से ही पूरा किया जा सकता है ।

तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन का मूल उद्देश्य एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में साहित्य का अध्ययन करना है जिससे कि उसका उचित अभिज्ञान या रसास्वादन हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि इस अध्ययन में एक से अधिक साहित्य को सम्मिलित किया जाए । भारतवर्ष जैसे बहुभाषिक देश के लिए तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन के दो महत्वपूर्ण तथा आधारभूत उद्देश्य निम्न प्रकार माने जा सकते हैं ।

(i) भारतीय साहित्य से तात्पर्य वैदिक, संस्कृत, पालि, प्राकृत आदि साहित्य के साथ आधुनिक प्रांतीय भाषाओं

में रचित साहित्य । इन सब साहित्यों द्वारा भारतीय साहित्य के विशाल रूप का निर्माण हुआ है । भारतवर्ष में यद्यपि विभिन्न भाषाओं में नाना प्रकार के साहित्य का उत्पादन हो रहा है, फिर भी संपूर्ण इकाई के रूप में भारतीय साहित्य की संकल्पना को हम अभी तक विकसित नहीं कर पाए हैं। वर्तमान समय में विस्तृत तुलनात्मक एवं आलोचनात्मक स्तर पर विभिन्न प्रांतीय भाषाओं के साहित्य का अध्ययन हो रहा है; मगर उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में एकक भारतीय साहित्य का अभी तक विकास संभव नहीं हो सका है । एकक साहित्य के रूप में भारतीय साहित्य की अवधारणा का निर्माण तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन के आश्रय से ही पूरा किया जा सकता है।

तुलनात्मक अध्ययन में अनुवाद की भूमिका :

भारतीय सभ्यता बहुभाषिक है और शताब्दियों से यह ऐसी ही रही है और उसके परिणामस्वरूप साहित्य के भारतीय विद्यार्थी के लिए एक से अधिक भारतीय भाषाओं का समुचित ज्ञान अपने आप में बहुत ही स्वाभाविक रहा है। मगर प्रश्न यह है कि कोई भी विद्वान कितनी भाषाएं सीख सकता है जबकि भारत में बीस-बाईस प्रधान भाषाएं हैं तथा हम भारतीय साहित्य को एक संपूर्ण इकाई के रूप में प्रस्तुत करना चाह रहे हैं । इसके लिए स्वाभाविक है कि हम अनुवाद का आश्रय लें । यहां प्रश्न उठता है कि अनुवादों के माध्यम से किये गये साहित्य के अध्ययन को क्या हम वास्तविक अध्ययन कह सकते हैं? इसके उत्तर में यह बताना होगा कि आखिर कोई एक व्यक्ति कितनी भाषाएं सीख सकता है? कुछ लोगों का कहना है कि अनुवादों के माध्यम से साहित्याध्ययन पूरे तौर पर मिथ्याचार है । तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन में दो भाषाओं के ज्ञान के अतिरिक्त साहित्य के विभिन्न पक्षों के विश्लेषण के लिए विभिन्न भाषाओं में किए गए अनुवादों को महत्व दिया जा रहा है ।

भारतवर्ष के संदर्भ में अनुवाद का प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है । तुलनात्मक साहित्य के लिए आदर्श स्थिति यही हो सकती है कि अध्येता एक से अधिक भाषाओं से परिचित हो । अपनी भाषा में रचित साहित्य के अतिरिक्त किसी दूसरी भाषा के साहित्य, जो ज्यादा बेहतर हो, से भली भांति परिचित होना, प्रत्येक आलोचक के लिए आवश्यक है। इस तरह दो तीन भाषाओं में रचित साहित्य की सहायता से आलोचक, उनके पारस्परिक संबंधों का पता लगा सकता है ।

वस्तुत: तुलनात्मक अध्ययन के लिए विशेषत: भारत के संदर्भ में, अनुवाद कला से परिचित होना नितांत आवश्यक है ।

भारतीय साहित्य में भारतीयता :

साहित्य में कुछ ऐसे तत्व रहते हैं जो हमारे संबंधों को पोषित करते हैं । भारतीय साहित्य में भारतीयता की खोज करना आज के संदर्भ में आवश्यक है । भारतीय साहित्य में निहित एक जैसी विशेषताओं के आधार पर भारतीय साहित्य की एकता को प्रतिपादित किया जा सकता है । डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी ने डॉ० नगेंद्र के समान विभिन्न भाषाओं में रचित भारतीय साहित्य की इस एकता का उल्लेख किया है । डॉ० गोकक ने पहले-पहल भारतीय साहित्य की इस चेतना को ढूंढने की कोशिश की जिससे भारतीयता का पता लग पाता है । भारतीय साहित्य की शैली, कथ्य, पट्टभूमि, बिंब विधान, काव्यरूप, संगीत व जीवन-दर्शन सब मिलकर एक अभिन्न तत्व के रूप में भारतीय साहित्य की भारतीयता को प्रकट करते हैं ।

वस्तुत: संस्कृत साहित्य में विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिखे साहित्य के आधार पर ही भारतीय साहित्य के वास्तविक स्वरूप का पता चलता है । वह साहित्य एक है यद्यपि भारत की बीस-बाईस मुख्य भाषाओं की भिन्न-भिन्न अभिव्यक्तियां दिखाई पड़ती हैं । इन विभिन्न अभिव्यक्तियों में एकरूपता के दो कारण लगते हैं :

(i) एक ही स्रोत से प्रेरणा ग्रहण करना। वह मूल स्रोत है संस्कृत साहित्य, महाकाव्य, पुराण, दार्शनिक साहित्य, महाभारत, रामायण; संगीत और कला ।

(ii) लगभग एक ही प्रकार की आवेगात्मक तथा बौद्धिक अनुभूतियों से प्रेरित साहित्य का निर्माण होना ।

इसके परिणामस्वरूप हमारी साहित्यिक परंपरा में एक अटूट नैरंतर्य दिखाई पड़ता है ।

भारतीय साहित्य के इस समग्र रूप को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारा साहित्य मात्र एक 'दृश्य' नहीं 'पेनोरमा' है । ऊपर से नीचे तक इसमें बहुत से 'लेंडस्केप' दिखाई देते हैं। मगर इन भिन्न लैंडस्केपों के रहते हुए भी यानि अनेकता में भी एक सैद्धांतिक एकता है जो विभिन्न विधाओं, रूपों या अभिव्यक्तियों में प्रतिफलित है ।

हमारे साहित्य में मिथकों, मोटिफों, बिम्बों या प्रतीकों के रूप में एक व्यवहार्य संश्लेषण दिखलाई पड़ता है, जो भारतीय साहित्य की भारतीयता को उजागर करता है । इस भारतीयता का पता लगाने के लिए हमें पांच हजार वर्ष के भारतीय साहित्य की छानबीन करनी होगी । तात्पर्य यह है कि भारतीय साहित्य में भारतीयता के आविष्कार के लिए समूचे भारतीय साहित्य को स्वीकारना होगा ।

संदर्भ ग्रंथ :

1. संस्कृति के चार अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर ।
2. नगेंद्र (सं०) भारतीय वाङ्मय, साहित्य सदन, चिरगांव, झांसी ।
3. नगेंद्र (सं०) भारतीय साहित्य कोश, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली ।
4. तुलनात्मक साहित्य : संपादक डा० नगेंद्र ।
5. तुलनात्मक साहित्य की भूमिका : डा० इंद्रनाथ चौधुरी ।
6. The Ethos of Indian Literature—K. R. Srinivasan.
7. The Concept of Indian Literature—V.K. Gokak, 1979.
8. Chatterjee, Suniti Kumar : Languages and literatures of Modern India, Calcutta, 1982.
9. Cauldwel, Robert : A Comparative Grammar of the Dravidian or South Indian Family of Languages 1956.
10. Krishna Kriplani, Modern Indian Literature, 1968.
11. Nagendra, Ed : Indian Literature, Agra, 1959 —Ed : Comparative Literature, Delhi, 1977.
12. Lal, Purshottam : The Concept of an Indian Literature and other essays, Writers Workshop, Calcutta, 1968.

"राष्ट्रीय एकता के लिए एक राष्ट्रभाषा चाहे सबसे महत्वपूर्ण अंग न हो, पर महत्वपूर्ण अवश्य है और यह भी निश्चित है कि हिंदी के सिवा और कोई प्रांतीय भाषा भारत की राष्ट्रभाषा बनने का दावा नहीं कर सकती।"

—प्रेमचंद

तृतीय दक्षिण भारत हिंदी प्रचारक सम्मेलन, जनवरी 1933 में दिए गए वक्तव्य का अंश, प्रेमचंद के विचार, भाग-2, सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद, 1982, पृ. 279

विश्व हिंदी की संकल्पना एवं स्वरूप

—नरेंद्र नाथ त्रिपाठी*

10 जनवरी, 2006 को प्रथम विश्व हिंदी दिवस के आयोजन द्वारा विश्व हिंदी की औपचारिक संकल्पना सामने आई है । ऐसा नहीं है कि हिंदी के वैश्विक रूप और प्रभाव के बारे में इससे पहले कभी विचार-विमर्श नहीं हुआ था और उसके स्वरूप के बारे में जानकारी नहीं थी अथवा हिंदी के विस्तार क्षेत्र से विश्व अनभिज्ञ था परंतु इस आयोजन के माध्यम से पहली बार विश्व हिंदी के बारे में भारत के बाहर रह रहे विदेशी हिंदी विद्वानों, भारतवंशियों और अनिवासी भारतीयों को चिंतन एवं विमर्श करने का अवसर मिला। यह और भी प्रसन्नता की बात है कि भारत से बाहर इस विषय पर व्यापक चर्चा करने का मौका अब हर वर्ष मिलेगा। यह कोई छोटी घटना नहीं है, वैसे ही जैसे भारत की आजादी के बारे में आक्सफोर्ड व कैम्ब्रिज के विद्यामंदिरों में चर्चा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत के उदय की कहानी में समालोचना की दृष्टि से कोई आम घटना नहीं थी।

भारत में हिंदी के राजभाषा के रूप में पचास वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में सन् 2000 में पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ अनेक समारोह, संगोष्ठी आदि आयोजित किए गए। वह समय वैश्विकरण का था, लिहाजा हिंदी के वैश्विकरण के बारे में विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार-विमर्श हुआ और अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्रकट हुईं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से भाषाविदों के बीच उभरा संदेह दूर हुआ और ये तथ्य सामने आए कि वैश्विक वाणिज्यिकरण में हिंदी का महत्व किसी भी रूप में कमतर नहीं होना है। उस दौरान भी यह मूल्यांकन देश की परिधि तक ही सीमित रहा था। विदेशों में रह रहे भारतीयों की अकूत उपलब्धियों के बारे में इतनी व्यापक जानकारी अभी भारतीयों के समक्ष प्रकट नहीं हुई थी। वास्तव में वह वैश्विक हिंदी जो विश्व भर में फैली हुई थी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक हितों के लिए प्रयोग में लाई जाने लगी थी। विश्व हिंदी दिवस के आयोजन द्वारा जो नई संकल्पना सामने आई है वह वैश्विक हिंदी की संकल्पना से अलग है। विश्व हिंदी से तात्पर्य उस हिंदी से है जो विश्व के विभिन्न देशों में बोली जाती है। इस हिंदी का स्वरूप भारत में बोली जाने वाली हिंदी के स्वरूप से थोड़ा भिन्न होगा ।

प्रथम विश्व हिंदी दिवस का आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय के राजदूतावासों और मिशनों के माध्यम से समूचे विश्व में किया गया। जाहिर हो कि हिंदी दिवस का आयोजन भारत सरकार के गृह मंत्रालय की देखरेख में भारत सरकार के हर एक कार्यालय में 14 सितंबर को किया जाता है। लेकिन 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने के पीछे कारण यह है कि इस दिन भारत के पहले गिरमिटिया मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे। भारत के इस प्रथम प्रवासी ने मातृभूमि को विदेशी शासन की हथकड़ियों से आजाद कराने का संकल्प लिया और देश आजाद हुआ। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के रास्ते में आने वाली कमियों को दूर करने के लिए अब संपन्न एवं विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी प्रवासी भारतीयों को आगे आना है। उनके आने से जाहिर है कि हिंदी भाषा के प्रति उनका प्रेम भी प्रकट होगा। इसलिए समय की यह मांग है कि हिंदी का वैश्विक रूप, जो अब समूचे विश्व के समक्ष प्रकट हो चुका है, को स्वीकार्य बनाते हुए प्रतिष्ठित करने की कोशिश की जानी चाहिए। अब 'हिंदी कृण्वंतो विश्वम आर्यम' के संकल्प के साथ बाहर निकल चुकी है, इसका भी वैश्विकरण हो चुका है, निस्संदेह आने वाले दिनों में यह भारत के बाहर मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण दिवस होगा, जिसे प्रवासियों द्वारा भव्य रूप से समारोहपूर्वक मनाया जाएगा। भारत के बाहर रह रहे भारतवंशियों को आज भारत में केवल आर्थिक निवेश करने का मौका नहीं मिला है वरन उन्हें भाषाई निवेश का अवसर भी सुलभ हुआ है। इसमें उन्हें बढ़चढ़ कर भागीदारी करनी चाहिए ।

*भारतीय राजदूतावास, पारामारिबो (सूरीनाम)

2205 HA/06—3A

नागपुर में हुए प्रथम हिंदी सम्मेलन के माध्यम से पहली बार प्रवासी भारतीयों की तुतलाहट मातृभूमि के कानों में अनूगुंजित हुई थी । भारत माता ने अपने बिछुड़े बच्चों की आवाज को सुना था । समूचे देश ने उसे अपनी ही बोली-बानी के जैसे पाया । इससे पहले भारत में बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी थी कि हिंदी केवल उनकी ही मातृभाषा नहीं है बल्कि सुदूर अमेरिकी महाद्वीपों में तथा विभिन्न महासागरों की बीच मोती की तरह विखरे अनेक द्वीपों में रहने वाले लोग भी इसी भाषा का प्रयोग बोलचाल और संपर्क के लिए करते हैं । प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन ने भारतीयों को विश्व से जोड़ने का बड़ा काम किया। सम्मेलन इतना सफल हुआ की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को यह निर्णय लेना पड़ा कि इस तरह का सम्मेलन हरेक दो साल पर किया जाना चाहिए । विश्व हिंदी सम्मेलनों के माध्यम से प्रवासी भारतीयों की आत्मा भारत में गुंजित हुई। उनकी उपलब्धियों को हमने सराहा, उस पर गर्व किया। उनके दुखदर्द को समझा । सूरीनाम में हुए सातवें विश्व हिंदी सम्मेलन में व्यापक विचार विमर्श के पश्चात् विश्व हिंदी दिवस आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया था। विश्व हिंदी सम्मेलनों के माध्यम से प्रवासी भारतीयों का ऐश्वर्य तो सामने आया ही उनका साहित्य भी सामने आया । और यह साहित्य अपने आप में इतना विविधतापूर्ण एवं महत्वपूर्ण है कि हिंदी भाषा एवं साहित्य के रूप में उनके अवदान को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता । उनके द्वारा लिखा गया साहित्य इतना उम्दा है कि भारतीयता की वैश्विक संस्कृति को बनाए रखने और उसको समझने में इससे काफी सहायता मिल सकती है ।

भारत अपने भौतिक वैभव, ऐतिहासिक गौरव तथा दार्शनिक उपलब्धि के कारण सदियों से विदेशियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है और अब भी बना हुआ है । आज भारत एशिया में एक महाशक्ति के रूप में उभरा है । चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो या चिकित्सा या संचार, मनोरंजन या और कोई अन्य क्षेत्र, भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है । जनशक्ति बल की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश तथा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विश्व के विभिन्न देशों में बसे हुए प्रवासी भारतीयों की संख्या भी सबसे बड़ी है। प्रवासी भारतवंशी आज विश्व के सबसे बड़े अप्रवासी समुदाय के रूप में सामने आए हैं जिनमें अपनी भाषा-बानी और संस्कृति को लेकर गहरी रुचि आज तक बनी हुई है। हिंदी के विकास में न केवल अहिंदी भाषी भारतीयों का अपितु विदेशी हिंदी विद्वानों का भी अप्रतिम योगदान रहा है। इस भाषा ने अपनी विशेषताओं को लेकर दुनिया भर में हिंदी सेवियों और हिंदी विद्वानों तथा हिंदी प्रेमियों के बीच एक अटूट संबंध विकसित किया है ।

भाषा के रूप में हिंदी की हैसियत भारत में राजभाषा से लेकर संपर्क भाषा तक है। किंतु इसका वैश्विक रूप भी कम व्यापक, सुदृढ़ और संस्कृतिनिष्ठ नहीं है। इस बार भारत के आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में हुआ चतुर्थ प्रवासी भारतीय सम्मेलन इस लिहाज से ओलंपिक मशाल साबित हुआ है। पहली बार इतने शीर्ष स्तर से भारतवंशियों के अवदान पर विचार विमर्श किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतवंशियों ने भारत से बाहर न केवल विज्ञान एवं प्रौद्योगिक के क्षेत्र में बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं । आज उनकी इन उपलब्धियों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार तरह-तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं । उन्हें भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है । उनके भारत प्रेम को देखते हुए सरकार उन्हें नागरिकता तक प्रदान करने का विचार कर रही है । आज वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक उपलब्धियों ने विश्व को गांव के रूप में तब्दील कर दिया है और काल और दूरी की अवधारणा में काफी बड़ा परिवर्तन हुआ है। सात समुंदर पार गए भारतीय आज सात समुंदर पार नहीं हैं किंतु इतने दिनों बाद भी मां की याद लाने वाले तत्वों में अन्य बातों के साथ-साथ मां द्वारा रामायण महाभारत की पोथियों को गठरी की शक्ल में बांधी गई हिंदी बोली का भी कम महत्व नहीं है । निस्संदेह प्रवासी भारतीयों को भारत से जोड़े रखने में सबसे सुदृढ़ रस्सी के रूप में भारतीय संस्कृति और इसकी संवाहिका हिंदी भाषा के अवदान को किसी भी सूरत में नजर अंदाज नहीं किया जा सकता ।

विश्व हिंदी का स्वरूप—दरअसल विश्व हिंदी का स्वरूप निर्धारित करने से पहले हमे विश्व भर के हिंदी विद्वानों और प्रेमियों को दो वर्गों में विभाजित करना होगा ।

2205 HA/06—3B

पहला वर्ग उन विदेशी विद्वानों का है जिन्होंने भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन किया और इसके प्रचार-प्रसार एवं लेखन में योगदान किया। दूसरा वर्ग प्रवासी भारतवंशियों का है, जो काफी बड़ी संख्या में विदेशों में बसे हैं और हिंदी भाषा के क्षेत्र में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। फादर कामिल बुल्के (बुल्गारिया) डॉ. ओदोलेन स्मेकल (चेकोस्लोवाकिया) डॉ. रूपर्ट स्नेल (इंग्लैड), डॉ. तोमिया मिजोकामी, प्रो. दोई (जापान), अलेक्सेई पेत्रोविच वरान्निकोव, डॉ. चेलीसेव (रूस), डॉ. लोठार लुत्से (जर्मनी), डॉ. रोनाल्ड स्टुवर्ट मैकग्रेगर (न्यूजीलैंड), प्रो. मारिया बृस्की (पोलैंड), डॉ. कैथरिन जी. हैन्सन (कनाडा), डॉ. माईकल सी. शपीरो (अमेरिका) विदेशी हिंदी विद्वानों के कुछ नाम हैं, जिन्हें गिन पाना कठिन होगा। ये हिंदी के वे विद्वान हैं जो हिंदी भाषा के विभिन्न रूपों के ऊपर महत्वपूर्ण शोधपरक कार्य करके समूचे विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। इन्हें विश्व हिंदी के भगीरथ के नाम से जाना जाता है।

दूसरे वर्ग में प्रवासी भारतवंशियों द्वारा रचित साहित्य आता है। आज प्रवासी भारतीयों द्वारा व्यापक साहित्य लिखा जा रहा है। प्रवासी भारतीयों ने अपने जीवन एवं प्रवासी देश के वर्णन के माध्यम से हिंदी साहित्य की व्यापक श्रीवृद्धि की है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के तत्वाधान में हर वर्ष प्रवासी हिंदी सम्मेलन की सफलता प्रवासी हिंदी लेखकों और साहित्यकारों के दमदार अस्तित्व का प्रमाण है। आज प्रवासी भारतवंशियों के साथ उनकी साहित्य की भी चर्चा हो रही है। उन्हें विभिन्न भाषाई मंचों और सम्मेलनों के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। बदले हुए परिवेश में हिंदी भाषा के विकास की दृष्टि से यह बहुत बड़ी घटना है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय से संबद्ध भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्, भारत सरकार की स्वायत्त संस्था साहित्य अकादमी और अक्षरम् जैसी गैरसरकारी संस्थाओं के योगदान की सराहना की जानी चाहिए। प्रवासी रचनाकारों में कैंब्रिज विश्वविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक डॉ. सत्येंद्र श्रीवास्तव तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्राध्यापक डॉ. सुषमा बेदी के साहित्यिक अवदान की चर्चा करके इस बार के प्रवासी भारतीय हिंदी सम्मेलन में प्रवासी रचनाकारों पर परिचर्चा की शुरूआत हो चुकी है। प्रवासी हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों जैसे विषय पर अकादमिक सत्र के दौरान चर्चा प्रवासी हिंदी साहित्य के बारे में काफी कुछ संकेत देता है। यही नहीं इन विद्वानों और लेखकों को सम्मानित करके संबंधित संस्थाओं ने हिंदी को काफी गौरवान्वित किया है। जो बात हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधानतः अंगीकार करने वाले देश में उदारता के अभाव में संभव नहीं हो सका वह विश्व स्तर पर संभव होने जा रही है और वह दिन दूर नहीं कि अपने ही देश में अनेक विडंबनाओं की शिकार हिंदी, संयुक्त राष्ट्र संघ की शासकीय भाषा के रूप में स्वीकार हो जाएगी।

प्रवासी भारतीयों ने ओजस्वी एवं गौरवपूर्ण भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों को संजो कर रखने में अहम भूमिका निभाई है। आज भारत की प्राचीन लोक संस्कृति के तमाम् रूपों को प्रवासी भारतीयों के लोक जीवन में देखा पाया जा सकता है। प्रवासी भारतीयों का हिंदी साहित्य मुख्य रूप से वाचिक है। चूंकि इनका प्रवासन कठिन परिस्थितियों में हुआ था और बहुत कठिन संघर्ष के पश्चात् उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बनाई, अतः इनके साहित्य में करुण रस की प्रधानता है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में फीजी, मारिशस, सुरीनाम, ट्रिनीडाड, गयाना, दक्षिण अफ्रीका देशों में भारतीयों का गिरमिटियों के रूप में प्रवासन अति दारुण रहा था। इन देशों में गाया जाने वाला विदेशिया, गीत सुनने वालों की आंखों में बरबस आंसू ले आता है। केहिके बताई हम पीर रे विदेशिया, भोली हमें देखि अरकटिया भरमाया हो, भ्या हमरा मन बहुत उदास रे विदेशिया। छोड़ि अइली हिंदुसतनवां बबुआ पेटवा की खातिर। जैसे गीत अब भी इन देशों में गाए जाते हैं। इन देशों में वाचिक साहित्य का भंडार इतना बड़ा है कि हर अवसर के गीत अनेकों तरीकों से गाए जाते हैं। ये गीत एक ओर तो मर्मस्पर्शी तथा रुला देने वाले हैं तो दूसरी ओर मनोविनोद पूर्ण भी। लगभग डेढ़ सौ सालों में इन्होंने जो साहित्य रचा है वह अपने आप में एक बड़ी धरोहर है।

प्रवासी भारतीयों ने भारत के बाहर हिंदी को जो रूप प्रदान किया है, ऐसा लगता है उसमें भाषाई स्वातंत्र्य के लक्षण अधिक हैं। भारत में प्रयोग की जाने वाली हिंदी और इस हिंदी के स्वरूप में वैसा ही अंतर परिलक्षित होता है जैसा ब्रिटिश और अमरीकी अंग्रेजी में। वास्तव में

अमरीकी में ब्रिटिश अंग्रेजी को व्याकरण और वर्तनी की सहायता से सरलीकृत करने का प्रयास किया गया है । वैसे ही वैश्विक हिंदी में भारतीय हिंदी को कुछ अधिक सीमा तक उनकी आवश्यकता के अनुसार सरल बना दिया गया है। इस हिंदी में बेशक पद बेतरतीव है किंतु व्याकरण के नियम लगभग वैसे ही लागू हैं जैसे भारतीय हिंदी में लागू होते हैं। कर्ता, क्रिया और कर्म का क्रमिक स्वरूप इनकी हिंदी में अनिवार्य नहीं है बल्कि पद के महत्व के अनुसार उसे पहले या बाद में ये लोग बोल देते हैं। इस तरह की वाक्य रचना से उनकी भाषा में गद्य-पद्य का भेद कम हो जाता है । इससे व्याकरणीयता में भले ही अतिक्रमण हो भाषा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, संप्रेषणीयता में कोई कमी नहीं आती। उदाहरण के लिए हिंद महासागर की गोद में बसे मारिशस, देश प्रशांत महासागर की गोद में बसे फीजी और आंध्र महासागर की गोद में बसे कैरेबियन और सूरीनाम तथा त्रिनीडाड-टुवैगो आदि देशों में बोली जाने वाली हिंदी ।

दक्षिण अफ्रीका में बोली जाने वाली हिंदी को नाताली के नाम से जाना जाता है। यह दक्कनी हिंदी तथा भोजपुरी से मिलती जुलती भाषा है। उदाहरण के लिए तौके का होना है (तुमको क्या चाहिए) ओके मारे के होना है (उसको मारना चाहिए) यहां अक्सर बोल-चाल की शुरुआत पालगी, माई, बाब से होती है। ऊ दाल में ढेर निम्मक डाल देलक। आदि वाक्यों से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तथा मध्य प्रदेश क्षेत्रों में बोली जाने वाली भोजपुरी बोली के शब्द तथा वाक्य संरचना स्पष्ट होती है।

आज फीजी में हिंदी लेखक कविता, कहानी, लेख, संस्मरण, यात्रावृत, नाटक आदि सभी विधाओं में साहित्य रचना कर रहे हैं। भले ही भाषा का वाचिक रूप व्याकरण आदि की दृष्टि से बहुत ठोस नहीं है किंतु वहां का समकालीन साहित्य शिल्प लोकप्रियता और अवदान की लिहाज से उल्लेखनीय है । सर्वश्री काशीराम, कुमुद, कमला प्रसाद, मिश्र, महावीर मित्र, हरनाम सिंह, महेन्द्र चंद्र शर्मा, इश्वरी प्रसाद, चौधरी, सलीम बख्श, करुणानागरन नायर, बाबूराम अरुण तथा आर प्रसाद, मुनि आदि अनेक साहित्यकार विश्व हिंदी के लिए अपना योगदान कर रहे हैं । यहां के समकालीन हिंदी साहित्य का स्वरूप भारतीय हिंदी से भिन्न नहीं है, सिवाय विषयवस्तु, काल स्थान आदि के अंतर को छोड़कर । फीजी में बोली जाने वाली यह हिंदी जिसे फीजीबात कहते हैं। शब्दों के लिए वहां की अन्य स्थानीय बोलियों और भाषाओं की ऋणी है ।

मारिशस में पहुंचे अधिकांश गिरमिटिए भोजपुरी क्षेत्र के थे। अल्प संख्या में आए अन्य क्षेत्र के लोगों के लिए इस भाषा ने संपर्क भाषा का काम किया । क्रियोल बोली जो फ्रेंच का बिगड़ा हुआ रूप है ने भोजपुरी के साथ मिलकर मारिशस में हिंदी का रूप निर्धारित किया। आज यही हिंदी बहुसंख्यक लोगों की भाषा बनी हुई है। पं. आत्माराम विश्वनाथ और पं. लक्ष्मीनारायण रसपुंज की रचनाओं में मारिशस की हिंदी के दर्शन होते हैं समकालीन हिंदी लेखकों में स्व. प्रो. वासुदेव विष्णुदयाल, सर शिवसागर, प्रो. रामप्रकाश, पं. मोहन लाल मोहित का नाम प्रतिष्ठा के साथ लिया जाता है। धोखवा, रोटिया करन, सैंय्या, देशवा, कलकतवा, पेटवा, सहरवा आदि शब्द भोजपुरी के साथ इनके संबंध की पुष्टि करते हैं ।

संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा तथा मयामी क्षेत्र से दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला तक बसे कैरिबियन और अटलांटिक महासागर के देशों को कैरेबियन कहा जाता है । इस क्षेत्र के त्रिनीडाड, सूरीनाम आदि देशों में हिंदी काफी बड़ी संख्या में बोली जाती है । इनकी हिंदी में भी भोजपुरी अवधी के शब्दों की भरमार है । हालांकि सूरीनाम में हिंदी को सरनामी कहते हैं किंतु इसके अधिकांश शब्द अवधी, भोजपुरी के ही हैं । क्रिया रूप निर्धारण में आइस प्रत्यय का प्रयोग इनके भोजपुरी क्षेत्र से संबंधित होने की पुष्टि करता है । हम कहले रहिस, तू कहा जाइस, का बोला, हम पढिस अक्सर ही सुनने को मिलेगा-हरेक घर से सुपर माल तक ।

इस प्रकार हम देखते हैं विश्व हिंदी का स्वरूप भारत में बोली और प्रयोग में लाई जाने वाली परिनिष्ठित हिंदी से बहुत भिन्न न होकर थोड़ा ही अपरिष्कृत लगता है। लेकिन यह रूप अब इस क्षेत्र में बालीबुड के फिल्मों के व्यापक प्रचार की वजह से काफी सुधरता जा रहा है ।

टेलिविजन एवं अन्य संचार सुविधाओं में हुई क्रांति की वजह से परिष्कृत हिंदी के प्रचार-प्रसार में काफी वृद्धि हुई है । इसके अलावा भारत सरकार द्वारा हिंदी एवं भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए किए गए अनेक प्रयासों, जिसमें भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों के जरिए हिंदी अध्यापकों को भेजा जाना तथा हिंदी स्कालरशिप योजना के अंतर्गत इन देशों से विद्यार्थियों को भारत में हिंदी पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है, आदि से भी हिंदी के प्रचार-प्रसार को काफी गति मिली है। समकालीन साहित्यकार भारत में प्रयोग में लाई जाने वाली हिंदी से प्रेरणा लेते हुए तथा तद्नुरूप अनुकरण करते हुए जो साहित्य लिख रहे हैं वह कई एक बातों को लेकर उल्लेखनीय बनता जा रहा है। इससे हिंदी के कोश में भी व्यापक वृद्धि हो रही है। स्वत्रंता प्राप्ति के पश्चात् विभिन्न देशों में युवा और शिक्षित भारतीयों द्वारा किए गए प्रवासन से परिनिष्ठित हिंदी के प्रचार-प्रसार में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है । इससे इन देशों में हिंदी भाषा के रूप निर्धारण के संबंध में ऊहापोह तथा असमंजस की स्थिति खत्म होती जा रही है । यदि इन देशों में हिंदी प्रचार-प्रसार के लिए कुछ सुनियोजित उपाय किए जाएं तो पूर्वपीढ़ी के लोगों को भी परिनिष्ठित हिंदी सिखलाकर उन्हें हिंदी की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है । ■

लेखक कृपया ध्यान दें

'राजभाषा भारती' में प्रकाशनार्थ ज्ञान-विज्ञान की सभी विधाओं पर स्तरीय लेख आमंत्रित किए जाते हैं। लेख पर उचित मानदेय देने की भी व्यवस्था है। लेख ए-4 आकार के कागज़ पर टाइप किया हुआ होना चाहिए जो सामान्यतः तीन हज़ार शब्दों से अधिक का न हो। कृपया नोट करें कि हस्तलिखित लेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लेख के साथ इस आशय का घोषणा पत्र भी होना चाहिए कि यह लेख/रचना लेखक की मौलिक कृति है और यह इससे पहले प्रकाशित नहीं हुई है।

यदि किसी कारणवश किसी लेख को पत्रिका में शामिल करना संभव न हुआ तो उसे लौटाया नहीं जाएगा। कृपया इस संबंध में पत्राचार न करें। कृपया लेख निम्नलिखित पते पर भेजें :-

संपादक/उप संपादक
राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)
कमरा सं. ए-2, द्वितीय तल,
लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली-110003

2205 HA/06—4A

साहित्यिकी

हिंदी साहित्य के वटवृक्ष एवं जन कवि–बाबा नागार्जुन

—नोतन लाल*

अमूल्य रत्नों से परिपूर्ण जाज्वल्यमान भारत वसुंधरा का आंचल कितना पवित्र, विचित्र एवं सौभाग्यशाली है, यह किसी से छिपा नहीं है। यह रत्नगर्भा भारत की पुण्यभूमि जहाँ अपने अंदर असंख्य मणि-मुक्ताएं छिपाए बैठी है, वहीं उसके आंचल में समय-समय पर ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी नवरत्न भी पैदा हुए हैं जिनकी जीवन ज्योति से समस्त विश्व जगमगा उठा है और जिनके मार्गदर्शन के फलस्वरूप जनकल्याण का सर्वांगीण विकास अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा है। ऐसे विलक्षण पुरुषों की दिव्य तालिका में बाबा नागार्जुन का नाम सर्वोपरि है।

हिंदी, संस्कृत और मैथिली के सुप्रसिद्ध साहित्यकार बाबा नागार्जुन का जन्म जून 1911 ई. में बिहार के दरभंगा ज़िले के तरौनी बड़के ग्राम में हुआ था। अपने माता-पिता के छह बच्चों में वह अकेले थे, जो जीवित बचे। माता-पिता ने इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र रखा। सन् 1939 ई. में वे अपराजिता देवी के साथ प्रणय सूत्र में बंधे।

नागार्जुन ने ढक्कन, मिसिर, वैद्यनाथ, वैदेह, यात्री आदि कई नामों से लिखा। अपने नामों की तरह उनकी शख्सियत के भी विभिन्न पहलू थे। पाली, प्राकृत, संस्कृत, मैथिली, बंगला, हिंदी, गुजराती आदि कई भाषाओं का उन्हें गहरा ज्ञान था। संस्कृत में वह समय-समय पर व्यंग्योक्तियां कहा करते थे। नागार्जुन को अपने विचारों के कारण अनेक बार सामाजिक अपमान झेलने पड़े थे। 1938 ई. में जब वे बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर लौटे थे तो ब्राह्मणों ने उनका बहिष्कार कर दिया। इसके लिए कारण गिनाए गए थे कि उन्होंने सन्यास से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है, इसके अलावा उन्होंने समुद्र पार की यात्रा की और बौद्ध-धर्म में दीक्षित हुए।

1938-39 ई. में वे किसान आंदोलन के नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती से प्रेरित होकर किसान आंदोलन में शामिल हुए। नेता जी सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में भी आए। 1946 ई. में वे सी. पी. आई. के सदस्य व पूर्णकालिक सदस्य बनकर कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ गए थे। 1946 में ही वे दरभंगा जिला किसान सभा के अध्यक्ष भी हुए। लेकिन कालांतर में जब 1975 ई. में देश में **आपातकाल** लागू हुआ और जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन शुरू हुआ तो वे जे. पी. आंदोलन में शामिल हुए और जेल भी गए। आपातकाल के दौरान बाबा की कविता "इंदूजी, इंदूजी, क्या हुआ आपको, सत्ता की माटी में भूल गई बाप को" काफी चर्चित हुई थी। बाद में भी नागार्जुन अनेक आंदोलनों से जुड़े। उन्होंने मार्क्सवादी, लेनिनवादी विचारधारा से जुड़े युवकों को भी सहानुभूति दी।

बाबा नागार्जुन की रचनाओं में भारतीय समाज खासकर ग्रामीण समाज अपनी पूरी तन्मयता, पूरी विद्रूपता, पूरी जीवनी शक्ति, पूरी मांसलता तथा पूरे समर्पण के साथ मौजूद हैं। इसके साथ-साथ प्रकृति के भी विभिन्न रूप आस्वाद उनके साहित्य में ठेठ खाँटी सौंदर्य के साथ उपस्थित हैं। नागार्जुन को उनकी रचनाओं के लिए कई पुरस्कार मिले। जिनमें प्रमुख हैं, बिहार सरकार का राजेंद्र शिखर सम्मान, इंदिरा गाँधी के हाथों उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का पुरस्कार, 1969 ई. में साहित्य अकादमी का पुरस्कार और 1994 ई. में साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान मानद फेलोशिप।

बाबा नागार्जुन की प्रमुख रचनाएँ :– रतिनाथ की चाची (1948 ई.), बलचनमा (1953 ई.), नयी पौध (1953 ई.), नबतुरिया, बाबा बटेश्वरनाथ (1954 ई.), वरुण के बेटे (1957 ई.), दुखमोचन (1963 ई.), जमनिया

*डी-1209, डबुआ कालोनी, फरीदाबाद (हरियाणा) 121001

का बाबा, कुंभी पार्क, पारो (1975 ई.), उपन्यास: आसमान में चंदा तेरे (1982 ई.), कहानी संग्रह : खिचड़ी विप्लव देखा हमने (1980 ई.), तालाब की मछलियाँ (1975 ई.), तुमने कहा था (1980 ई.), पुरानी जूतियों का कोरस (1983 ई.), भस्मांकुर (खंडकाव्य 1948 ई.), युगधारा (1953 ई.), हजार-हजार बाहों वाली (1981 ई.), पत्रहीन नग्न गाछ (1969 ई.), गीत-गोविंद और मेघदूत का अनुवाद (1978 ई.), और सतरंगे पंखों वाली (1962 ई.) ।

मैथिली रचनाएँ–चित्रा और पत्रहीन नग्न गाछ, पारो, बलचनमा, नवतुरिया ।

संस्कृत रचनाएँ–देशदशकम्, कृषक दशकम्, श्रमिक दशकम्, धर्म लोक शतकम्, सिंहली लिपि ।

बच्चों के लिए संस्कृत में रचनाएँ–अयोध्या का राजा, कथामंजरी और रामायण की कथा ।

स्वभाव से फक्कड़ और मजदूरों का-सा सादा जीवन जीने वाले, हमेशा रेल के तीसरे दर्जे का सफर करने वाले बाबा नागार्जुन को साहित्य अकादमी फेलोशिप और अन्य सम्मान मिलने के बरसों पहले ही विदेशों में प्रशंसा और मान्यता मिल गयी थी । उनकी मशहूर पुस्तक 'जमनिया का बाबा' का 1979 ई. में ही अमरीका में अंग्रेजी अनुवाद "होली मैन ऑफ जमनिया" के नाम से प्रकाशित हो गया था । घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के बाबा गद्देदार सोफों से ज्यादा एक गरीब की खटिया पर आनंद का अनुभव करते थे और गरीब और कमजोर लोगों के बीच बैठकें जमाने में उन्हें बहुत मजा आता था ।

मैथिली तथा बांग्ला पर भी उनका विलक्षण अधिकार था, और प्रभाकर माचवे ने उनके मैथिली संग्रह "पत्रहीन नग्न गाछ" पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलवाकर हिंदी के नागार्जुन के साथ घोर अन्याय किया किंतु मैथिली तथा बांग्ला की लोक-माधुरी और विशेषत: बांग्ला के भद्र लोक रोब-दाब के शिकार नागार्जुन के पांव में शायद कोई चक्र था । पाँव के इस चक्र ने उन्हें यायावर बना दिया । गाँव-गाँव, खलिहान-खलिहान, नगर-नगर, गली-गली, घूमते वामपंथी वैद्यनाथ मिश्र जब श्रीलंका पहुँचे तो बौद्ध गुरुओं के संपर्क में आकर बौद्ध हो गए । तब उनका नया नामकरण हुआ–नागार्जुन और पिछले तीन दशक से साहित्य की राजनीति के कुलीनों की उपेक्षा, अभाव, गरीबी, तथा घुमक्कड़ी के बीच जीते बाबा हिंदी कविता के केंद्र में बने रहे । लगभग छह दशक से साहित्य सृजन में लीन बाबा ने हिंदी के साथ मैथिल में भी प्रचुर साहित्य की रचना की । उनकी बांग्ला में भी कुछ रचनाएँ मिलती हैं, परन्तु उनका मन विशेषत: हिंदी तथा मैथिल में ही रमता था । साहित्यकारों की उपेक्षा सहते हुए भी आम पाठक से नागार्जुन ने अद्भुत सम्मान हासिल किया ।

अपनी रचनाओं, खासकर कविताओं में भाषागत तथा शिल्पगत जो विविधता नागार्जुन ने बिखेरी है, वह उनके व्यापक तथा विराट अनुभव एवं घुमक्कड़ी की जीती-जागती दास्तान है । शायद इसीलिए उनकी तुलना कबीर से की गयी । कबीर की-सी मस्ती, अक्खड़ता और सामाजिक विसंगतियों के विरुद्ध सीना तानकर खड़े होने का अद्भुत साहस था उनमें । कबीर कहते थे कि "हम न मरे, मरहिं संसारा" । नागार्जुन मरकर भी हमारे बीच रहेंगे, अपनी रचनाओं में हिंदी बोलने वाली निर्धन-निरन्न जनता उनकी रचनाओं को अमूल्य धरोहर की तरह सहेज कर रखेगी । सचमुच नागार्जुन संत परंपरा के कवि थे जो अपने निजी सुख-दुख को जन साधारण के सुख-दुख से अटूट रूप में जोड़ते रहे । लड़ने का अपना तरीका था, उनका । अन्याय के चेहरे दिखाना, अत्याचार के कारण और तरीके उजागर करना, राजनीति और उत्पीड़न के अंदरूनी पेच खोलना, लड़ने के सभी मोर्चे सामने लाना और लड़ने वाले लोगों का स्वागत समर्पण करना, यह सब बड़े विराट रूप में उनके साहित्य में मौजूद हैं ।

नागार्जुन ने लोकजीवन के यथार्थ, उनके अनुभव, उनकी भाषा, उनके जीवित छंद और कविता के विभिन्न रूप अर्थात् पूरी लोक संस्कृति से अपनी काव्यानुभूति की संस्कृति निर्मित की है । इसलिए साधारण जन को उनकी कविताएँ सहज तथा आत्मीय लगती हैं, उनके मन को छूती हैं और उसकी चेतना को जगाती तथा प्रेरित करती हैं । नागार्जुन 'धन-कुरंग' में बादलों की लीला के गीत गाते हैं, तो 'शिशिर की निशा' में जाड़े की रात की प्रकृति के बदलते रूपों के चित्र खींचते हैं । नागार्जुन जब प्रकृति के सौंदर्य की कविता लिखते हैं, तब भी वे समाज की विरूपता को नहीं भूलते । इसकी सच्चाई "काले-काले" जैसी छोटी-सी कविता में दिखाई देती है ।

"काले-काले ऋतुरंग
काली-काली घनघटा
काली-काली छवि घटा
काले-काले परिवेश
काली काली करतूत"

नागार्जुन की सर्वाधिक लोकप्रिय कविताएँ वे हैं जिनके सरल-सहज रचाव के भीतर कवि की गहरी सामाजिक चिंता, प्रखर राजनीतिक चेतना तथा निर्मम आलोचना दृष्टि प्रकट हुई है। कवि ऐसी कविताओं में जहाँ धारदार व्यंग्य का प्रयोग करता है वहीं प्रतिरोध का सौंदर्यशास्त्र निर्मित होता है। इन कविताओं में, 'शासन की बंदूक' 'अन्न पचीसी के दोहे', 'भोजपुर' आदि हैं तो दूसरी ओर 'बाकी बच गया अंडा', 'आओ रानी हम ढोएंगे पालकी', 'तीनों बंदर बापू के' और 'हरगंगे', जैसी कविताएँ हैं। उनकी अनेक कविताएँ जन आंदोलनों से पैदा हुई हैं और जन आंदोलन के लिए लिखी गयी हैं। नागार्जुन ने कहा था, "अच्छी कविता एक सार्थक संवाद है। संवाद के लिए दूसरे का होना जरूरी है। वह दूसरा जैसा, संवाद भी वैसा ही होगा।" कवि नागार्जुन के सामने संवाद के लिए वह दूसरा प्राय: साधारण जन ही होता था। वे कहते थे–

जनता मुझसे पूछ रही है, क्या बतलाऊँ,
जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा, क्यों हकलाऊँ।

नागार्जुन की एक विशेषता यह है कि वह लोक संस्कृति से जुड़े रहे। वे लोक गीतों की धुनों पर कविताएँ लिख सकते थे। "आओ रानी हम ढोएंगे पालकी यही हुई है राय जवाहर लाल की।" लोक गीत के आधार पर रची हुई कविता है। "पाँच साल कम खाओ भैया, गम खाओ दस-पंद्रह साल" इस तरह की उनकी पंक्तियाँ मजदूरों में बहुत लोकप्रिय थीं। पं. वैद्यनाथ मिश्र 'यात्री' उर्फ नागार्जुन की यात्रा कभी रुकी नहीं, यह अनवरत जारी रही। बाबा का स्वभाव ही ऐसा रहा, जो अनहद संगीत की तरह कहीं भी गुंजायमान हो सकता है, बादलों की तरह कहीं भी घुमड़ सकता है। फर्क यह है कि अंतिम प्रणाम कहने के बाद भी वे बार-बार मिथिला की धरती पर लौटते रहे–

हे मातृभूमि, अंतिम प्रणाम
वैवाहिक शुभ घट फोड़-फाड़
पहले के परिचय तोड़-ताड़
पुरजन, परिजन सब छोड़-छाड़
चल पड़ा प्रवास में छोड़ धाम
माँ मिथिले, यह अंतिम प्रणाम।

कवि नागार्जुन में अपनी माटी के प्रति इतना मोह था, जो श्रीलंका, तिब्बत आदि से भी उन्हें लौटा लाता था। दरअसल यही मोह है जो नागार्जुन को जनकवि का दर्जा देता है। उनकी वाणी में एक कृषक की व्यथा स्फुटित होती है, गाँवों चौपालों की हँसी-ठिठोली, खिलंदड़ापन मुखरित होता है। कोसी का प्रचंड रूप साकार हो उठता है–"ता-ता थैया, ता-ता थैया, नाचो-नाचो कोसी मैया…" उनकी रचनाओं में गछपका आम सी खुशबू और मिठास है, साथ ही कच्ची अमियाँ की खटास और व्यंग्य भी। राजनीतिक विद्रूपता, अवसरवादिता पर नागार्जुन अपनी खास शैली में चोट करते हैं–

आये दिन बहार के
खिले हैं दाँत ज्यों अनार के
दिल्ली से लौटे हैं अभी टिकट मार के।

राजनीतिक विषयक इस तरह की तेज तर्रार कविताएँ लिखने वाले सुप्रसिद्ध साहित्यकार बाबा नागार्जुन एक ऐसे हरफनमौला शख्सियत थे जिन्होंने साहित्य की लगभग तमाम विधाओं में लिखा। राजनीतिज्ञों पर व्यंग्य करते हुए वे कहते हैं–

कच्ची हजम करोगे, पक्की हजम करोगे
चूल्हा हजम करोगे, चक्की हजम करोगे
बोफोर्स की दलाली, गुपचुप हजम करोगे
नित राजघाट जाकर बापू भजन करोगे।

एक कवि, एक रचनाकार व एक सरल हृदय आदमी के रूप में नागार्जुन समाज के हर कोने में मौजूद रहे हैं। बेलछी में 13 दलितों की सामूहिक हत्या पर 'हरिजन गाथा' कविता यदि समय और समाज में घटित सच्चाइयों से रू-ब-रू कराती है, तो बुनियादी शिक्षा व्यवस्था का वास्तविक बोध भी कराती है–

घुन खाए शहतीरों पर की बारह खड़ी विधाता बाँचे।
फटी भीत है टूटी छत है, आले पर बिस्तुइया नाचे।
बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट-मिनट में पाँच तमाचे।
ऐसे ही गढ़ता है दुखरण मास्टर आदम के साँचे।

सहजता नागार्जुन के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। इनका काव्य लोक चेतना और यथार्थानुभव से अनुप्रेरित है। प्राय: इन्होंने स्वाधीन भारत के शोषित किसान और निर्धन वर्ग की पीड़ाओं को अपनी कविता का विषय बनाया है। इनकी भाषा में सच्चाई और यथार्थ झलकता है। 'प्रेत का बयान' में एक भूख से मृत प्राइमरी स्कूल के अध्यापक के माध्यम से स्वाधीन भारत में 'गरीबी हटाओ' की दुहाई देने वालों पर कितना तीव्र करुण व्यंग्य किया है–

साक्षी है धरती साक्षी है आकाश
और और और और और भले
नाना प्रकार की व्याधियाँ हों भारत में,
किंतु उठाकर दोनों बाँह
किट-किट करने लगा प्रेत
किंतु
भूख और क्षुधा नाम हो जिसका
ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको।

नागार्जुन की व्यंग्य क्षमता उनके समकालीन कवियों में अलग पहचानी जाती है।

इसे बाबा का बाबापन ही कहा जा सकता है, जो स्वयं को भी नहीं बख्शता। बहरहाल इस दढ़ियल, गँवई रूप के कवि, कथाकार, चिंतक का चले जाना, निस्संदेह एक सूनापन छोड़ जाता है। सच को बेलाग कहने की अदा, सारी परंपराओं को तोड़ते हुए कविता गढ़ने का अंदाज... यही कुछ था, जो सिर्फ बाबा कर और कह सकते थे। वे स्थापित प्रतिमानों के मोहताज नहीं थे, उनकी रचनाएँ ही प्रतिमान निर्धारित करती थीं। बाबा ने खुद लिखा था "तुच्छ से अति तुच्छ जन की जीवनी पर हम लिखा करते कहानी, काव्य, रूपक, गीत। क्योंकि हमको स्वयं भी तो तुच्छता का भेद है मालूम कि हम पर सीधे पड़ी है गरीबी की मार/सुविधा प्राप्त लोगों ने सदा समझा हमें भू-भार।" इसके साथ ही बाबा ने कुछ और शब्दों के साथ अपने खुद के परिचय को यह कहते हुए पूरा कर दिया–

दमा का सनातन मरीज/रात को थोड़ा सोने वाला घुमक्कड़ी का शौकीन/मैं, यानि/अर्जुन नागा उर्फ बैजनाथ मिसिर/साकिन मौजे तरौनी बड़की थाना बहेड़ा/जिला दरभंगा/बिहार राज्य/होशोहवास अपनी धर्मपत्नी/आदरणीया श्रीमती/अपराजिता देवी के चंद लफजों के मुताबिक/ "हम तो आज तक इन्हें समझ नहीं पाए।"

जन-कवि, लेखक, आलोचक, समीक्षक एवं बहुमुखी प्रतिभा के मालिक बाबा नागार्जुन का बृहस्पतिवार 5 नवंबर 1998 को प्रात: 6.25 बजे पंडा सराय स्थित अपने ज्येष्ठ पुत्र शोभाकांति के आवास पर निधन हो गया। वे जन कवि थे तथा उनका सच्चा पुरस्कार तो उन्हें जन-जन के निष्कपट स्नेह, श्रद्धा तथा प्यार के रूप में मिला। उन्हें खोकर दरिद्र पीढ़ी को कोई और नागार्जुन कभी फिर मिल पायेगा इसकी संभावना अब बहुत दूर तक तो दिखाई नहीं देती। "पहिलुक परिचय के तोड़ि-ताड़/पुरजन परिजन के छोड़ि-छाड़ि/हम जाय रहल छी आन ठाम/हे माँ मिथिले अंतिम प्रणाम।" बाबा नागार्जुन ने आखिर अंतिम प्रणाम कह ही डाला। कुछ दिन तक जब बाबा ने बौद्ध वृत्ति अपनायी थी तब ही उन्होंने नाम नागार्जुन रखा था जो आगे उनकी पहचान बना। मैथिली में उनका उपनाम 'यात्री' था। इससे उनकी घुमक्कड़ प्रवृत्ति का पता चलता है।

"देखना सब कुछ था स्वयं जाकर नदी, नद, बन, गिरि, मरूस्थल और सागर/पार करना था, उदधि करे तैर करके/नाप आना था चराचर सैर करके नील नभ की परिधि की थी थाह पानी, उच्चतम अभिमान की थी राह पानी।"

और अब तो यह लिखने वाले बाबा अपने अंतिम अभियान पर निकल चुके हैं। वे देश की सुदीर्घ सांस्कृतिक परंपरा से जुड़े थे। अपनी परंपरा पर गर्व करते हुए धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध करना ही नागार्जुन के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने सच ही कहा था–

मरूंगा तो चिता पर दो फूल देंगे डाल
समया चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल
सुनोगे तुम तो उठेगी हूक
मैं रहूँगा सामने (तस्वीर में) पर मूक
सांध्य नभ में पश्चिमांत-समान
लालिमा का जब करुण आख्यान
सुना करता हूँ सुमुखि उस काल
याद आता है तुम्हार सिंदूर तिलकित भाल।

2205 HA/06—5A

पुरानी यादें–नए परिप्रेक्ष्य

वृंदावन लाल वर्मा के सान्निध्य में

—डॉ. सुधेश*

मैं अनेक साहित्यकारों के संपर्क में आया हूं, पर जो सहृदयता मैंने श्री वृंदावन लाल वर्मा में देखी वह दुर्लभ है। अपने संगी-साथियों और अंतरंग मित्रों में तो सभी सहृदय दिखाई देते हैं, पर वर्मा जी उनमें से थे, जो अपरिचित के प्रति भी सहृदयता प्रकट करते थे।

अप्रैल, 1955 में मैं नागरपुर से दिल्ली आ रहा था। रास्ते में झांसी उतर कर मैं वृंदावन लाल वर्मा के दर्शन करने उनके 'स्वाधीन प्रेस' पहुँच गया। उनका व्यवसाय वकालत था, पर वे एक प्रेस भी चलाते थे। प्रेस के ऊपर उनके निवास का स्थान था। जब मैं ऊपर उनके कमरे में पहुँचा, वे अपना पुराना नाटक पढ़ रहे थे। मैं अभिवादन करके बैठ गया, अपना परिचय दिया। उन्होंने कुशलक्षेम पूछी और कुछ समय बाद अपने नौकर से मेरे लिए खाना लाने को कहा। मेरे रोकने पर भी नौकर चला गया। दोपहर के लगभग ढाई बजे थे। मैं भूखा था ही। खाना सामने आया और मैंने उसे वृंदावन का प्रसाद समझ कर ग्रहण किया।

पहले मेरा उन से कोई परिचय नहीं था। पहली मुलाकात में मैंने यह महसूस नहीं किया कि मैं किसी नई जगह आया हूँ या मैं हिंदी के एक महान साहित्यकार के सामने बैठा हूँ। उन्होंने दो तीन घंटे मुझसे बातें करने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। वे इतना खुलकर और इतनी सहृदयता से बातें करते रहे, मानो उनके सामने कोई पुराना परिचित बैठा हो।

मैंने उनके उपन्यास 'मृगनयनी' की बात छेड़ी तो उन्होंने अपनी ऐतिहासिक खोजों और तत्संबंधी यात्राओं की कहानी सुना डाली जिस से लगा कि मृगनयनी किसी ऐतिहासिक पात्र का प्रतिरूप है। जो स्थान और परिवेश उक्त उपन्यास में चित्रित है, वह उनका देखा हुआ, परखा हुआ था। इतिहास की अनेक घटनाएं, सन्-संवत उनकी जबान पर थे। ईसा के सैंकड़ों वर्षों पूर्व के चित्र उनके मानस में तैर रहे थे, जिन्हें उन्होंने अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया। उन्होंने इतिहास की छानबीन में अथक परिश्रम किया था। ऐतिहासिक उपन्यास के बारे में उनका दृष्टिकोण चतुर सेन शास्त्री से भिन्न था। वर्मा जी अपनी रचनाओं में इतिहास के सत्य की रक्षा करने के आग्रही थे, जबकि चतुर सेन शास्त्री अपनी कल्पना से एक ऐतिहासिक परिवेश निर्मित करने की कोशिश करने पर भी ऐतिहासिक सत्य को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं मानते थे। इसीलिए शास्त्री जी ने एकबार मुझसे कहा था कि उनके उपन्यास ऐतिहासिक नहीं हैं, बल्कि वे इतिहास-रस के उपन्यास हैं।

'अहल्याबाई' नामक उपन्यास की चर्चा करते हुए वर्मा जी ने बताया था – 'यह मेरे दो वर्षों के इतिहास-अध्ययन का परिणाम है। मैंने वे सब स्थान देखे हैं, जो अहल्याबाई से संबंधित थे और अनेक ग्रन्थों से उनके बारे में जानकारी एकत्र की। मैंने अपने उपन्यासों में इतिहास के साथ न्याय करने की कोशिश की'।

उन्होंने बताया कि मुंबई के एक फिल्मनिर्माता को उन्होंने 'मृगनयनी' उपन्यास पर फिल्म बनाने की अनुमति दे दी है और आजकल (अर्थात् तब) वे उसी धुन में हैं। उन्होंने फिल्मनिर्माता के सामने कुछ शर्तें रखी थीं, जिनमें प्रमुख यह थी कि फिल्म में इतिहास की हत्या नहीं की जाएगी और सब काम लेखक की इच्छानुसार होंगे। मुझे पता नहीं कि उस फिल्मनिर्माता ने 'मृगनयनी' उपन्यास पर फिल्म बनाई या नहीं, पर अनेक वर्षों बाद 'मृगनयनी' फिल्म अवश्य बनी। जब वह बनी तब वर्मा जी उसे देखने

*34, न्यू इंडिया अपार्टमेन्ट्स, रोहिणी, सैक्टर-9, नई दिल्ली-110085

2205 HA/06—5B

के लिए जीवित नहीं रहे । कहा नहीं जा सकता कि 'मृगनयनी' फिल्म उन्हें पसंद आती या नहीं ।

बातचीत में वर्मा जी से पता चला कि वे 'पुकार' और 'सिकंदर' जैसी ऐतिहासिक फिल्मों से क्षुब्ध हैं, क्योंकि उनमें इतिहास के साथ अत्याचार किया गया । एक सूचना उनसे यह मिली कि उन्होंने अपने उपन्यास 'झाँसी की रानी' के फिल्मांकन के लिए सोहराब मोदी को अनुमति दे दी थी, पर उन से वर्मा जी का इस बात पर झगड़ा हो गया कि मोदी अपनी पत्नी को रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका देना चाहते थे, जिस पर वर्मा सहमत नहीं हुए । वर्मा जी का विचार था–'मोदी की पत्नी किसी प्रेमकथा की नायिका हो सकती है, वह रानी लक्ष्मीबाई नहीं बन सकती' ।

उस दिन उनकी बातों से लगा था कि सोहराब मोदी 'झाँसी की रानी' पर फिल्म नहीं बना पाएंगे । वर्मा जी की इच्छा थी कि फिल्म बने, पर उनकी इच्छा के अनुरूप बने। पता नहीं भविष्य में क्या हुआ । इतना तो मुझे मालूम है कि 'झाँसी की रानी' फ़िल्म बनी, पर किसने बनाई और उसमें वर्मा जी के उपन्यास की आत्मा सुरक्षित रही या नहीं, यह नहीं कह सकता ।

बातचीत का दौर जब कुछ रुका तो मैंने अपनी कुछ कविताएँ उनके सामने कर दीं । पढ़ कर बोले–'अच्छा लिखा है पर ऐसी कविताएँ लिखें, जिनकी इस समय देश को आवश्यकता है' मेरी वे कविताएँ शृंगारिक रही होंगी, तभी उन्होंने उक्त सलाह दी थी । मुझे याद नहीं कि मैंने उन्हें कौन सी कविताएँ दिखाई थीं । थोड़ी देर बाद वे फ़िर कहने लगे–

'मधुराका, चाँदनी, स्वप्नतरी जैसी छायावादी रचनाओं से मुझे प्रेम नहीं है, क्योंकि वे निर्माण की प्रेरणा न देकर निष्क्रियता की शिक्षा देती हैं।'

मेरी एक कविता की पंक्तियां थी :–

जब तलक तारों भरा यह आसमाँ है मुस्कराता,
मदभरी मेरी जवानी को कभी ढलना न आता ।

पढ़कर वर्मा जी ने इलाहाबाद का एक संस्मरण सुनाया–एक बार साहित्यकार संसद में मैंने इसी प्रकार कहा था कि मैं कभी बूढ़ा नहीं हूंगा तो एक साहब बोले–'दाँत तो आप के टूट चुके हैं' मैंने उत्तर दिया था–'बाहर ही के तो दाँत टूटे हैं, अंदर के तो नहीं टूटे ।'

यह कह कर वे जोर से हँसे । यह उनकी जिंदादिली का सूचक था । वर्मा जी कोरे साहित्य व्यसनी ही नहीं थे, उन्हें शिकार खेलने का भी शौक था । इससे भी उनकी जिंदादिली का पता चलता है । हिंदी के दो लेखकों को मैं जानता हूं जो साहित्य सृजन के साथ शिकार खेलने के भी शौकीन थे । एक थे श्री राम शर्मा और दूसरे वृंदावन लाल वर्मा । शर्मा जी ने तो रेखाचित्रों के साथ शिकार साहित्य भी लिखा और वर्मा जी ने भी अपने शिकार के अनुभवों को शब्दबद्ध किया ।

वार्ता के दौरान न जाने कैसे, पृथ्वीराज कपूर का प्रसंग आ गया । वर्मा जी ने पृथ्वीराज कपूर की बड़ी प्रशंसा की और उन्हें एक 'विनम्र कलाकार' बताया । फिर मुझ से कहा–दिल्ली में पृथ्वीराज कपूर से अवश्य मिलना उनका एक शेर मुझे बड़ा पसंद है :–

मेरी जिंदगी एक मुसलसल सफर है,
जो मंजिल पै पहुँचे तो मंजिल बढ़ा दी ।

वर्मा जी की पसंद को तो दाद देनी होगी, पर मुझे संदेह था कि यह पृथ्वीराज कपूर का शेर है । उस समय मैंने संदेह प्रकट नहीं किया, पर अब तक पता नहीं लगा पाया कि यह शेर किस का है । यह शेर कपूर और वर्मा दोनों के व्यक्तित्व पर लागू होता है ।

लगभग दो घंटे बाद मैं जब चलने लगा तो वर्मा जी ने कहा–'दिल्ली पहुँच कर अपनी कुशलता का पत्र देना । मैं तुम्हें पत्र लिखूंगा ।'

उन से पत्र व्यवहार का सिलसिला चल निकला । उनके अनेक पत्र मेरे पास सुरक्षित हैं । पर एक बात मुझे अखरती थी । वे अपना पत्र इस तरह शुरू करते थे–'प्रिय भाई सुधेश जी, नमस्कार।'

मैं उनके पुत्र सत्य देव वर्मा से भी उम्र में छोटा था, पर वे मुझे 'नमस्कार' लिखते थे । एक बार मैंने इसकी ओर

उनका ध्यान दिलाया, पर उनके संबोधन की शैली वही बनी रही ।

एक बार एक कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैं झाँसी गया । उस सम्मेलन में भगवत रावत और मुकुट बिहारी सरोज भी थे । झाँसी के कर्मठ पत्रकार रमेश चौबे मुझे वृंदावन लाल वर्मा से मिलाने उनके मकान पर ले गए । वर्मा जी का एक मकान शहर में है, जहां सन् 1955 में उनसे मेरी पहली भेंट हुई थी । उनका एक कोठी नुमा मकान शहर के बाहर एक चौड़ी सड़क पर है (सड़क का नाम याद नहीं) । मैं और रमेश चौबे उस कोठी में गए । वर्मा जी तपाक से मिले । वे रमेश चौबे को बहुत पहले से जानते थे । वहाँ उनसे अनेक विषयों पर बातचीत हुई, जिसका विवरण मेरी डायरी में अंकित नहीं है । पर मुझे याद है कि उस दिन उनकी नई पत्नी के भी दर्शन हुए । नई पत्नी अधेड़ उम्र की थी पर वे वर्मा जी के पुत्र सत्यदेव वर्मा की माता से भिन्न महिला थीं । इसीलिए मैंने "नई" का विशेषण दिया। उनकी पहली पत्नी दिवंगत हो चुकी थीं या नहीं, यह मुझे पता नहीं, पर उस सुंदर अधेड़ उम्र की महिला ने हमें पकोड़े बनाकर खिलाए थे । चौबे ने टिप्पणी की थी-'बाबू जी, पकोड़े के शौकीन हैं।' फिर थोड़ा रुक कर बोले-'बाबू जी, शौकीन ही नहीं, रंगीन मिज़ाज के भी हैं ।' सुनकर वर्मा जी खिलखिला कर हँसे, जिसे छतफाड़ कहकहा कहना अधिक उपयुक्त होगा । फिर कुछ देर मौन के बाद बोले-'रमेश ! मैंने वकालत लगभग छोड़ दी है । अब सारा समय लिखने पर लगाऊंगा । इसीलिए इस एकांत स्थान में रहने लगा हूं । प्रेस सत्यदेव के भरोसे छोड़ दिया है ।' मतलब यह कि वर्मा जी जमकर साहित्य साधना कर रहे थे । पहले भी जमकर वकालत नहीं कर रहे थे । बाद में उसे भी छोड़कर साहित्य साधना में लग गए ।

झाँसी की उस यात्रा में रमेश चौबे ने मुझे भगवान दास माहौर और झाँसी के अन्य साहित्य सेवियों से भी मिलवाया था । भगवान दास माहौर किसी जमाने में क्रांतिकारी रहे थे, पर उस समय झाँसी के बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज में हिंदी पढ़ाते थे । उन्होंने 'सन् 1857 के स्वाधीनता संग्राम का हिंदी साहित्य पर प्रभाव' विषय पर शोध प्रबंध लिखा था, जो प्रकाशित है । हम दोनों (अर्थात् मैं और चौबे) माहौर के घर पहुँचे और उन की बैठक में बैठे । वहाँ कोने में सितार रखा हुआ था । 'इसे कौन बजाता है ?' यह पूछने पर डॉ. माहौर ने बताया था- 'मैं बजाता हूं।'

मैंने मन में कहा- 'वाह ! जो हाथ कभी गोलियाँ चलाते थे, अब सितार बजाते हैं ।' मानव मन कितना विचित्र है कि कभी खून बहाने को तैयार रहता है और कभी संगीत सागर में डुबकियाँ लगाने लगता है । वृंदावन लाल वर्मा के पास भी ऐसा मन था जो कभी पशुओं का शिकार करता था और कभी उपन्यासों, कहानियों में प्रेम, करुणा की धारा बहाता था । क्या यह झाँसी की धरती का कमाल था ? नहीं, यह भारत भूमि का शाश्वत गुण है ।

हिंदी के इस महान साहित्यकार से मेरा पत्र व्यवहार कई बार हुआ, उनसे मुलाकातें कम हुईं । अंतिमबार उनसे झाँसी में तब मिला जब मैंने उनसे कहा था–'मुझे मैथिली शरण गुप्त से मिलवा दीजिए।' उन्होंने गुप्त जी के नाम एक पत्र दिया, जिसे लेकर मैं गुप्त जी से मिला था । वर्मा जी की प्रेरणा से ही मैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त से मिला था । ■

"देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए हिंदी सबसे अधिक सहायक है ।"

–ज्ञानी जैल सिंह

राजभाषा विभाग पुरस्कार वितरण समारोह,
नई दिल्ली में दिए गए भाषण का अंश, 4-3-1986

कॉर्पोरेट शासन

—श्री एस. के. चौधरी, उप महानिदेशक (तकनीकी),
श्री जे. रॉय चौधरी, वैज्ञानिक-ई*

किसी भी संगठन की चरम सफलता उसकी छवि पर निर्भर करती है, जो उसने अपने स्टैक होल्डरों के बीच निर्मित की है और जो विश्वास उसके वित्तीय साझेदारों को उस पर है । भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और फैलाव के कारण सरकारी नियंत्रण हटने से बाजार प्रगतिशील हुआ है । विश्व व्यापार संगठन के शासन में भूमंडलीकरण पर बल दिया जा रहा है, जिसमें टैरिफ संबंधी सभी अवरोध समाप्त हो रहे हैं और पूरे विश्वभर में वित्तीय निवेश को गति मिल रही है । अर्थव्यवस्था के अप्रचलित क्षेत्रों में निवेश हो रहा है, इसलिए निवेशकर्ता स्वाभाविक रूप से यह आश्वासन चाहते हैं कि उनके निवेश सुरक्षित हों और उसे समुचित रूप से इस्तेमाल में लाया जाए और इस संदर्भ में सभी वांछित सूचनाएं उन्हें तुरंत उपलब्ध कराई जाएं । परिणामस्वरूप, निवेशकर्ता एक ऐसा संगठन चाहते हैं जो अपने निर्णय लेने और कार्य प्रणाली के लिए सुविनिर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत निर्दिष्ट करता हो और नैतिक रीतियों का निर्वाह करता हो । अन्य क्षेत्रों में अपने निवेश के प्रभावी और दक्ष प्रहस्तन के साथ-साथ निवेशकर्ता उस संगठन से संबद्ध तथ्यों के बारे में भी जानने में रूचि रखते हैं, जिसमें उन्होंने निवेश किया है और वे चाहते हैं कि उस संगठन का व्यवसाय नैतिक रूप से उचित पद्धति से किया जाए और वैधानिक रूप से सही हो और इसमें कुछ भी अनैतिक न किया जाए । इसलिए निवेशकर्ता एक ऐसे संगठन में निवेश करना चाहते हैं जो कॉर्पोरेट शासन की बेहतर रीति को अपनाए ।

कॉर्पोरेट शासन—यह शब्द नियमों के उस समुच्चय से संबंधित है जो फर्म के आचरण और व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए विकसित किए गए हैं । यह मूलभूत रूप से प्रक्रमों और सिद्धांतों की एक ऐसी प्रणाली है, जो यह सुनिश्चित करती है कि संगठन सभी स्टेकहोल्डरों के उत्कृष्ट हित में है और अपने स्टेकहोल्डरों की आर्थिक वृद्धि और वित्तीय लाभ के मूल उद्देश्य से नियंत्रित है । कॉर्पोरेट शासन का मूल उद्देश्य अन्य स्टेकहोल्डरों के हितों को ध्यान में रखते हुए स्टेकहोल्डर की इज्जत बढ़ाना है । कंपनी के स्टेकहोल्डरों में शेयरहोल्डर, ऋण धारक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रबंधक वर्ग (शीर्षस्थ और मध्यम प्रबंध वर्ग, दोनों), कामगार/कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता तथा ग्राहक और अंतत: उपभोक्ता शामिल हैं । इनमें से कई कंपनी के वित्तीय लाभ से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है । संगठन इन दिनों कई ऐसे स्रोतों को भी नियुक्त करते हैं जो सामाजिक हैं । इस बैकड्रॉप के कारण संगठनों को इस पद्धति से नियंत्रित होना चाहिए कि वे सभी स्टेकहोल्डरों की अपेक्षाओं को पूरा करें और व्यापक रूप से समाज की आशाओं पर भी खरे उतरें। कॉर्पोरेट शासन का सिद्धांत यह होना चाहिए कि वह संगठन को नए विचारों के साथ आगे की ओर ले जाने की स्वतंत्रता भी वहन कर सके और प्रभावी उत्तरदायित्व के दायरे में भी रहे । इसे प्रबंध वर्ग को पर्याप्त रूप से शक्ति भी देनी चाहिए। किंतु, इसके साथ-साथ ऐसी समुचित व्यवस्था भी विकसित करनी चाहिए कि इस पर नियंत्रण और संतुलन रखा जा सके जिससे निर्णय लेने की जो शक्ति सौंपी गई है उसका उत्तर-दायित्वपूर्ण ढंग से उपयोग हो और उसका दुरुपयोग न हो तथा उसका अंतिम लक्ष्य स्टेकहोल्डरों की आशाओं और समाज की अपेक्षाओं को पूरा करना ही होना चाहिए ।

उपर्युक्त पर विचार करते हुए कॉर्पोरेट शासन को निम्नलिखित घटकों पर विचार करना चाहिए :—

(i) संरक्षकत्व— इसके माध्यम से किसी संगठन का शासी निकाय (अर्थात् बोर्ड ऑफ

*भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

2205 HA/06—6A

डायरेक्टर्स) अंशधारकों के हितों की रक्षा के लिए न्यासी के रूप में कार्य करता है और उनकी महत्ता में वृद्धि होती है, साथ ही साथ अन्य स्टेकहोल्डरों के प्रति प्रतिबद्धता व उत्तरदायित्व की पूर्ति भी सुनिश्चित करता है। इसमें पक्षपातरहित पद्धति से सभी अंशधारकों के अधिकारों के संरक्षण का उत्तर-दायित्व भी शामिल है।

(ii) पारदर्शिता– संगठन के नीतिगत व्यावसायिक हितों को नुकसान पहुंचाए बिना, जिस किसी के प्रति भी संगठन उत्तरदायी है, उसे अपनी नीति और कार्यों का स्पष्टीकरण देने में खुलापन। पारदर्शिता से व्यावसायिक आचरण पद्धति में अपने कर्मचारियों के प्रति आंतरिक खुलापन भी अभिप्रेत है।

(iii) अधिकारिता और जवाबदेही– अधिकारिता यह सुनिश्चित करती है कि प्रबंधन के पास संगठन को और प्रगति की दिशा में आगे ले जाने की स्वतंत्रता है। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को संगठन के भीतर नवीन विचारों और सृजनात्मकता का वातावरण बनाने की संभावना को वास्तविकता में बदला जा सकता है। अधिकारिता के साथ-साथ जवाबदेह होने की भी आवश्यकता है। जवाबदेही से मूलत: प्रचालन में पारदर्शिता में आती है। इस अवधारणा को अपनाने से संगठन का शासी निकाय अंशधारकों, स्टेकहोल्डरों के प्रति और प्रबंधन शासी निकाय के प्रति जवाबदेह बनता है। अधिकारिता और जवाबदेही संगठन की कार्यकारिता को संचालित करते हैं और शेयरहोल्डरों के महत्व को बढ़ाते हैं। जवाबदेही संगठन को नैतिक आचरण (आंतरिक व बाह्य, दोनों) की ओर भी अग्रसर करती है।

(iv) नियंत्रण तथा मॉनीटरिंग– अधिकारिता की अवधारणा में यथा-परिकल्पित प्रबंधन की स्वतंत्रता का प्रयोग समुचित नियंत्रण वाले फ्रेमवर्क में किया जाता है। नियंत्रणकारी शक्ति के दुरूपयोग को रोका जाता है, परिवर्तनों के प्रति सामयिक प्रतिक्रिया को आसान बनाया और व्यावसायिक जोखिम पहले से ही शून्य बनाकर उनका प्रबंधन दक्षता से किया जाता है। इस प्रकार का नियंत्रण व मॉनीटरिंग आंतरिक प्रणाली में निरंतर सुधार व ग्राहक-संतुष्टि को भी सुनिश्चित करते हैं।

अच्छे कॉरपोरेट शासन में निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है :

i. संगठन का प्रयोजन,

ii. संगठन के भावी दिशा-निर्देश,

iii. संगठन का गठन करने वाली जटिल प्रचालन प्रणाली,

iv. कॉरपोरेट कार्यकारिता और कार्यकारिता मापन,

v. विभिन्न हितों में संतुलन स्थापित करना,

vi. कॉरपोरेट प्रबंधन में गैर-आर्थिक विचार,

vii. कॉरपोरेट अपराध

अच्छे कॉरपोरेट शासन से उद्भूत हो सकने वाले कुछ लाभ इस प्रकार हैं :

(i) संगठन के मिशन, दृष्टिकोण, मूल्यों और नीतियों को सुपरिभाषित करके प्रचालन में पारदर्शिता बढ़ाता है।

(ii) जोखिम प्रबंधन और निवेश संबंधी निर्णयों के लिए समुचित नीति निर्धारित करना और नीतियों की योजना बनाकर उन पर अमल करना, जिसका लक्ष्य अवसरों को अधिकतम करना और निवेशकर्ताओं का विश्वास बढ़ाना है।

(iii) अधिशासन (गवर्नेन्स) के लिए आचरण संहिता निर्धारित करना और प्रचालन में ऐसी व्यवस्था अपनाना जिससे छल-कपट, बेईमानी और अनैतिक व्यवहार रीतियों को टाला जा सके और इस अनुपालन संस्कृति और साख भावना उत्पन्न की जा सके ।

(iv) वैधानिक तथा अन्य नैतिक बाध्यताओं की पूर्ति का प्रदर्शन, जिसमें कंपनी कानून, टैक्स कानून, वाणिज्यिक कानून, आईपीआर कानूनों और औद्योगिक तथा श्रम संबंधी कानून, पर्यावरण संबंधी कानूनों जैसी विभिन्न वैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन शामिल होगा ।

(v) ईमानदारीपूर्ण डिस्क्लोजर हेतु मानक स्थापित करना, जिससे सभी विवरण तथा कार्यवाही स्टेकहोल्डरों को मिल सके ।

(vi) अच्छी निर्माण/सेवा व्यवहार रीतियों को अपनाकर ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का प्रदर्शन ।

(vii) पद्धति आधारित प्रचालनों (जैसे सिक्स-सिग्मा अपनाना, विभिन्न प्रबंध पद्धतियों को अपनाना, इत्यादि) गुणता संबंधी पहल (जैसे पीडीसीए चक्र) के माध्यम से उत्पादकता और संगठनात्मक कार्यकारिता बढ़ाना और उन पद्धतियों को प्रमाणन/अनुरूपता मूल्यांकन (जैसे ISI मुहर, सीई मुहर, ISO 9000/ISO/14000 प्रमाणन, इत्यादि) के अंतर्गत लाना ।

(viii) नियोजन पूर्व संवीक्षा (स्क्रीनिंग), प्रशिक्षण और दक्षता विकास के माध्यम से सक्षमता का निर्माण और प्रोत्साहन देने की पहल करने के माध्यम से श्रेष्ठ मानव संसाधन के विकास पर ध्यान केंद्रित करना, और इस प्रकार कर्मचारियों को संगठन के लिए मूल्यवान परिसंपत्ति के रूप में परिवर्तित करना ।

(ix) प्रेरणात्मक उपायों के माध्यम से कर्मचारियों की सहभागिता और संतुष्टि बढ़ाना, कर्मचारयों की व्यावसायिक दक्षता को मान्यता देना; कार्य अनुकूल वातावरण, व्यवसाय में स्वास्थ्य (जैसे ओएचएसएएस का अनुपालन) तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान देना ।

(x) ग्राहक की अपेक्षाओं को चिह्नित करके, ग्राहक की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक सुविचारित पद्धति स्थापित करके और सुधार के लिए ग्राहक से प्राप्त शिकायतों/फीडबैक को मूल्यवान इनपुट के रूप में लेकर ग्राहक के प्रति उत्तरदायित्व को सुपरिभाषित करना ।

(xi) ग्राहक संबंध प्रबंधन और ग्राहकों की नीतिगत साझेदार के रूप में विकसित करके ग्राहक संतुष्टि बढ़ाना ।

(xii) पर्यावरण अनुकूल व्यवहार रीतियाँ अपनाकर (पर्यावरण प्रबंध पद्धति का कार्यान्वयन, खतरनाक सामग्रियों के प्रहस्तन में समुचित सुरक्षा उपाय अपनाना, प्राकृतिक संसाधनों का परिरक्षण, ऊर्जा का परिरक्षण इत्यादि) तथा समाज के लिए कल्याणकारी उपाय करके (शिक्षा, चिकित्सा कल्याण, सामुदायिक विकास आदि के रूप में) समुदाय के साथ सहभागिता स्थापित करना । पर्यावरण और समाज की आवश्यकताओं पर ध्यान देकर समुदाय में विश्वास निर्मित करना ।

(xiii) अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) संबंधी पहल के माध्यम से सृजनात्मकता और नवीन विचारों को प्रोत्साहन देना तथा मूल्यपरक तथा उत्पादों/सेवाओं को बढ़ावा देना तथा व्यवसाय के किन्ही भी नए अवसरों को दक्षता से ग्रहण करना (जैसे एयर लाइन/रेलवे द्वारा ई-टिकटिंग जैसी सुविधाएं, मोबाइल सेलून/ब्यूटी

पार्लर, घरों से लॉन्ड्री संग्रह तथा वितरण और ऊर्जा दक्ष विद्युत उपकरण जैसे उत्पाद, पुनः चक्रित सामग्री से पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद जैविक खाद्य पदार्थ इत्यादि)।

(xiv) संवाद प्रक्रिया स्थापित करके स्टेकहोल्डरों के साथ साझेदारी बनाना ।

(xv) विशिष्ट ब्रांड इक्विटी स्थापित करना ।

उपर्युक्त चर्चा से स्पष्ट है कि कॉरपोरेट शासन से अभिप्राय है कि व्यावसायिक उद्यम के सभी स्टेकहोल्डरों के प्रतिपालनीय विकास हेतु उत्तम प्रबंध-रीतियों का प्रयोग, कानून का पालन और नैतिक मानदंडों का पालन संपत्ति के प्रभावी प्रबंधन और इसके वितरण और सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी करना । व्यवसाय में पारदर्शी कार्यों द्वारा और व्यवसाय के सभी घटकों में विश्वास उत्पन्न करके शेयरहोल्डरों की मूल्यवत्ता को अधिकतम करके मूल उद्देश्य से उत्तम गवर्नेन्स उद्भूत होगी । उत्तम निगमित शासन लाभ और प्रतिष्ठा बढ़ाने की पूंजी है । कॉरपोरेट शासन उस श्रृंखला का निर्माण आरंभ करता है जो कॉरपोरेट उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होती है और अंततः सामाजिक उत्कृष्टता और राष्ट्रीय उत्कृष्टता की दिशा में अग्रसर होती है । ■

"हिंदी को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार करने में अन्य प्रांतों की भाषा के संबंध में कोई अपमान की भावना या ईर्ष्यालु भावना नहीं है। हमें अपनी प्रांतीय भाषाओं से भी उतना ही प्रेम है जितना कि हिंदी से। ये सब भाषाएं अपने-अपने क्षेत्र में उन्नत होती रहेंगी। वास्तव में कुछ प्रांतीय भाषाएं हिंदी भाषा की अपेक्षा अधिक संपन्न हैं; परंतु फिर भी हिंदी अखिल हिंदुत्व की राष्ट्रभाषा होने के लिए सब प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है।"

—विनायक दामोदर सावरकर

सावरकर, विनायक दामोदर : हमारी समस्याएं, पृ. 30

संस्कृति

दस्यु और द्रविड़

—र० शौरिराजन

मेरे लिए यह लेख लिखने का प्रेरणास्रोत था : काफी पहले (सन् 1965 में) एरनाकुलम (मध्य केरल) में तीन दिनों का 'इतिहास सम्मेलन' हुआ। उसमें केरल के लगभग सभी इतिहासकारों ने भाग लिया। तैंतीस ऐतिहासिक शोध-प्रबंध इस सम्मेलन में पढ़े गये और उन पर विचार-विमर्श हुए।

'युगप्रभात' (प्रसिद्‌ध हिंदी पाक्षिक) के 16 जून, 1965 के अंक में, इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का उल्लेख करते हुए कुछ उपादेय विचार सुझाए गए थे। उन वाक्यों को इधर यथावत् उद्‌धृत करना उचित समझता हूं :–

"केरल का कोई प्रमाणिक इतिहास अभी तक नहीं लिखा गया है। इसका कारण यह है कि बीस-पच्चीस साल पहले तक लोगों का यही विचार था कि केरल परशुराम क्षेत्र है; उन्होंने अपने फरसे से गोकर्ण से कन्याकुमारी तक के समुद्र को हटाकर केरल को जन्म दिया, और उत्तर से आर्यों को लाकर यहां बसाया था।…"

"इस वैज्ञानिक युग में उक्त दंतकथा पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है? फलस्वरूप वैज्ञानिक दृष्टि से नये सिरे से केरल के इतिहास का अध्ययन-अनुसंधान किया जाने लगा। पाया गया कि परशुराम आर्यों के साथ ईस्वी पूर्व छठी–आठवीं सदी के बीच केरल में आए थे। उनके आने के पहले यहां लोग-बाग रहते थे। ये आर्यों से भिन्न थे। अर्थात् द्रविड़ थे। उनकी अपनी भाषा थी, संस्कृति थी। उनका अवशेष अब भी यहां के सामाजिक व सांस्कृतिक आचार-विचारों में पाया जाता है। इधर-उधर से कुछ प्राचीन शिलालेख, मूर्तियां आदि भी (योजनाबद्‌ध उत्खनन से नहीं) पाए गए। प्राचीन तमिल में लिखी गयी संघकालीन कृतियों का भी अध्ययन हुआ। इन सभी सामग्रियों से स्पष्ट हो गया कि केरल उतना ही पुराना प्रदेश है, जितना कि शेष भारत। इसलिए, मिले हुए प्रमाणों का क्रमपूर्वक अध्ययन कर नये सिरे से केरल का संपूर्ण इतिहास तैयार करने की जरूरत विद्‌वानों ने महसूस की। इस दृष्टि से एरणाकुलम में संपन्न इतिहास-सम्मेलन महत्वपूर्ण था। अब जो ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त है, उनके बीच कुछ कड़ियां टूटी हुई हैं। उनको जोड़ने के लिए योजनाबद्‌ध उत्खनन जरूरी है। खास कर तटवर्ती प्रदेशों में। इतिहासज्ञों का विचार है कि इससे कई महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश पड़ेगा। सवाल यह है कि योजना बनाएगा कौन?"

इस प्रेरक वक्तव्य को पढ़ते ही मुझे सूझी कि केवल केरल का ही नहीं, समूचे दक्षिण पथ का ही नहीं, समग्र भारत का भी कोई प्रामाणिक इतिहास पूर्ण रूप से अभी तक लिखा नहीं गया है। अब भी स्कूल के बच्चे प्रारंभिक कक्षाओं से लेकर यही पढ़ते आ रहे हैं। कि "आर्य लोग मध्य एशिया से भारत में आए। उनके पहले यहां (समूचे भारत में) द्रविड़ लोग बसते थे, जो आर्येत्तर थे, आर्यविरोधी थे और आर्यों से सभ्य थे। वे द्रविड़ आर्यों से परास्त किए गए, दक्षिण की ओर भगा दिए गए। आर्यों ने अपना अड्डा कायम किया; जड़ जमा ली; फिर अपना आधिपत्य फैलाया…" आदि, आदि।

यह सब विदेशी इतिहासकारों की अधकचरी खोज की उपज है। मनगढ़ंत स्थापनाएँ हैं। इनका चर्वितचर्वण अधिकांश भारतीय तथा अभारतीय इतिहासकारों ने भी किया है। आर्य और द्रविड़ में आपसी फूट और दुश्मनी की बात फैलाने में उन इतिहाकारों की कोरी स्थापनाएँ सतत प्रयत्नशील रही हैं। मौके-बेमौके उनसे अनुचित लाभ उठाने का श्रेय तमिलनाडु के द्राविड़ कळकम को तथा उसके हिमायतियों के लीडरों को प्राप्त है। स्वार्थवश, अपनी खीज

*293, स्ट्रीट-41, सैक्टर-8, के.के. नगर, चैन्नै-600078

दर्शाने के लिए उस 'सिद्धांत' का उल्लेख करने वाले तथाकथित 'आर्येत्तर' भी कम नहीं हैं। ऐसे ही प्रतिक्रियावादी, संदर्भवादी तथा स्वार्थवादी लोगों के निर्माण में वह ऐतिहासिक अयथार्थ स्थापनाएँ बहुत कुछ साथ देती हैं। सब से अधिक खतरा भारतीयों में अपनी फूट का, दक्षिण और उत्तर में ईर्ष्या का, सवर्णों और अवर्णों में विद्वेष की लपटों का है। विगत वैभव के उत्तराधिकारी होने का दंभ भरने एवं छाती फुलाकर इतराने में वर्तमान और भविष्य से बिल्कुल आँख मूंद लेने का खतरा भी अब फैला हुआ है।

तथाकथित दस्यु लोग:

दस्यु अतिमानवीय शत्रु (आर्यों के) थे। आर्यों ने उनका नाश देवों की सहायता से किया। ऋग्वेद में प्रथमतः दस्युओं का उल्लेख है। वहां दस्यु अकर्मन् (यज्ञ न करने वाले) अदेवयु, देवपीयु (देवों से घृणा करने वाले), अब्रह्मन् (देव को न मानने वाले), अयज्वन्, अयज्यु, अव्रत (यज्ञ न करने वाले, संस्कारहीन, विचित्र व्रतों से लिप्त) आदि शब्दों से वर्णित है।

दस्यु शब्द की व्याख्या करते हुए 'वैदिक इंडेक्स' के प्रशस्त लेखक युगल—ए. ए. मेकडोनल और ए.बी. कीथ दोनों लिखते हैं :—दस्यु, जो कुछ संदिग्ध व्युत्पत्ति वाला शब्द है, ऋग्वेद में स्पष्टतः अति मानवीय शत्रुओं के लिए अव्यवहृत हुआ है। दूसरी ओर अनेक ऐसे स्थल हैं, जहां मानव-शत्रुओं, संभवतः आदिवासियों को भी इसी नाम से व्यक्त किया गया है। उन स्थलों पर तो निश्चित रूप से यही आशय है, जहां 'दस्यु' आर्यों का विरोधी है और जिसे आर्यगण देवों की सहायता से पराजित करते हैं।... दस्यु एक वास्तविक जाति के लोग अवश्य रहे होंगे, ऐसे ऋग्वेद में इनके लिए व्यवहृत 'अनास्' उपाधि द्वारा व्यक्त होता है। इसके अन्यतम अर्थ 'नासिकाविहीन' या 'चपटी नासिका वाले' के अनुकूल उन चपटी नाक वाले द्रविड़ आदिवासियों का संकेत किया जाता है, जिनकी भाषा भारत के उत्तर-पश्चिम में मिलने वाले ब्रहुइयों में आज भी प्रचलित है।..."

इस 'आज भी' का मतलब करीब (1965 से) अस्सी वर्ष पूर्व। इधर ध्यान देने की बात है कि उन पाश्चात्य विद्वानों ने दस्यु का तात्पर्य आदिवासी द्रविड़ माना है। इस प्रसंग के एक फुटनोट में विद्वान लेखकों ने यह भी निर्देश किया है, 'इंडियन एंपायर 2., 390 में व्यक्त यह विचार कि आधुनिक ब्रहुई ही वास्तविक द्रविड़ हैं, जब कि आधुनिक द्रविड मुण्डाभाषी जातियों के मिश्रण का परिणाम है, इस सिद्धांत को असंभाव्य बना देगा। किंतु यह अधिक संभव प्रतीत होता है कि ब्रहुइयों की बोली में, उत्तर भारत में बसी द्रविड़ जाति की परंपराएं ही सुरक्षित हैं।' इससे उस मत को समर्थन मिलता है कि आर्योत्तर काल में समग्र भारतवर्ष में द्रविड़ लोग ही आदिवासियों के रूप में बसे थे। इसलिए तो लेखक 'उत्तर का द्रविड़' और 'दक्षिण का द्रविड़' का विभाजन सुझाते हैं।

'शूद्र' शब्द की व्याख्या करते समय, ग्रंथकारों ने यह मत प्रकट किया है—"ऋग्वेद में दस्युओं को 'अनास' (नासिका विहीन) कहा गया है, जो शब्द द्रविड़ों के लिए तो भली प्रकार व्यवहृत हो सकता है, किंतु तुरुक (टर्की)-ईरानियन लोगों के लिए इसका (दस्यु का) व्यवहार हास्यास्पद ही होगा। यह मानना अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त है कि ब्रहुई एक मिश्रित जाति के लोग थे, जिनके कालांतर में अधिकांश द्रविड़ गुण लुप्त हो गए। बैडेन पावेल का मत है कि प्रत्यक्षतः भारत की सभी आरंभिक कृषक ग्रामों की उत्पत्ति का स्रोत द्रविड़ हैं।

ऐतरेय ब्राह्मण (7-3-18) में एक प्रसंग है, जिसमें बताया गया है कि ऋषि विश्वामित्र ने अपने पचास पुत्रों को आर्यधर्म से भ्रष्ट होने से अमंगल होने का शाप दे दिया। वे "वैश्वमित्र" (विश्वामित्र के पुत्र) दस्युओं में मिलकर आंध्र, पुंड्र शबर, पुलिंद्र, मूतिब इत्यादि जाति के नाम से विचरने लगे।

दस्यु का लक्षण बताते हुए मनुस्मृतिकार ने लिखा है :

"मुख बाहूरूपज्जानां या लोके जातयो बहिः।
म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥"

अर्थात्, वे वर्ग जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बाहर थे, चाहे वे म्लेच्छों की भाषा बोलते हों या आर्यों की, 'दस्यु' कहे जाते हैं। इस श्लोक की व्याख्या में कुल्लूकभट्ट ने लिखा है : 'ये सभी जातियां अपने जातिगत आचारों से

भ्रष्ट तथा पतित हो जाती हैं, तो वे 'दस्यु' कहलाती हैं, चाहें वे म्लेच्छों की या आर्यों की भाषा बोलती हों ।"

महाभारत में पतित क्षत्रियों को 'दस्यु' बताया गया है। आगे चलकर महाभारतकार ने दस्युओं को भी वैदिक आर्यधर्म में दीक्षित होने की छूट दी है। उदा: भूमिपानां च शुश्रूषा कर्तव्या सर्व दस्युभि: । वेदधर्म क्रियाश्चैव तेषां धर्मो विधीयते।..... पाकयज्ञा महार्हश्च दातव्या सर्वदस्युभि:। एतान्येवम्प्रकाराणि विहितनि पुराऽनघ। सर्वलोकस्य कर्माणि कर्तव्यानीह पार्थिव।।"

इसी प्रकार अन्य पुराणग्रंथों में भी दस्युओं को म्लेच्छ जातीय बताया गया है। कालांतर में वे भी इतर जन-समाजों में मिल-जुल गये।

किंतु भारतीय पुराण, स्मृति ग्रंथों में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि तथाकथित द्रविड़ ही दस्यु थे। वैदिक तथा पौराणिक ग्रंथों की नये ढंग से व्याख्या करने वाले पाश्चात्य विद्वान तथा उनके अनुगामी इतिहासकार एक अंधमत बराबर व्यक्त करते आ रहे हैं कि द्रविड़ ही दस्यु थे, जो आर्यविरोधी थे, चपटी नाक वाले थे, परुषवाक् थे, असभ्य थे, म्लेच्छ थे, आदि आदि । इसमें तथ्यान्वेषण कम और कोरा ऊहापोह अधिक प्रतीत होता है। आर्य ग्रंथकारों की यही परिपाटी रही कि वे अपने विरोधी सभी आदिवासी और स्वतंत्र जाति के लोगों को म्लेच्छ, दस्यु, भ्रष्ट आदि नामों से निर्देश करते थे। यह महत्वाकांक्षी सशक्त जाति की सहज स्वार्थमति है।

तथाकथित द्रविड़ लोग :

द्रविड़ या द्राविड़ लोगों की उन्नति-अवनति के आधार पर सैंकड़ों ऐतिहासिक ग्रंथ रचे गये हैं। आर्येत्तर या आर्य-पूर्ववर्ती भारत-निवासियों में द्रविड़ों का नाम बार-बार लिया जाता है। पाश्चात्य विद्नानों ने इस दिशा में बहुत कुछ "खोज-खबर" की है। ये धारणाएं केवल अटकलबाजी की उड़ानें हैं। जिनका मूर्त परिणाम निकला, आर्य-द्राविड़ भेदभाव और विरोधाभास। इस सामासिक और समन्वयकारी सांस्कृतिक फैलाव के संदर्भ में भी वह भेदभाव प्रच्छन्न आघाती हथियार-सा मुस्तैद है कि कब झपटने का मौका मिले। भले ही बाहरी आततायी अभियानों के अवसरों पर वह भेदभाव लुप्तप्राय दिखें; किंतु भस्मावृत अग्निकण की तरह सिर्फ फूंक की ताक में सुलगने को तैयार रहता है। इतना तो मानना है कि पचास-साठ वर्ष पूर्व की अपेक्षा, अब स्थिति एकता की ओर अग्रसर है; भारतीयता उभर आ रही है। इसको बनाए रखना है, और बढ़ाना है।

फिर भी विद्वान इतिहासकारों का कर्तव्य है कि पुरानी खोखली स्थापनाओं और धारणाओं पर सही ढंग से, प्रामाणिक स्रोतों से सर्वेक्षण करें। कोई अनुमानमूलक तथ्य शाश्वत सत्य नहीं हो सकता है। मोटे-मोटे खोजग्रंथ निकाले जा चुकने से ही, उनमें वर्णित भ्रमपूर्ण बातों को प्रकाश में लाना और उन्हें नकारना अप्रामाणिक नहीं माना जाएगा।

अनेक भारतीय विद्वान अब इस निर्णय पर आ चुके हैं कि आर्य मूलत: भारतवासी हैं, मध्य एशिया से आए प्रवासी या यायावर नहीं हैं। उसी प्रकार तथाकथित द्रविड़ लोग भी मूलत: दक्षिणापथ के निवासी हैं। 'द्रविड़' शब्द का व्यापक अर्थ पाश्चात्य विद्वानों की स्थापना है। भारत की कई आदिवासी तथा वनवासी जातियों को, जो आर्यों से आचार-विचार में और आकार में भिन्न थे, 'द्रविड़' बताने की परिपाटी विदेशी विद्वानों ने ही चलायी है; यह वास्तविकता से दूर है ।

लगभग तीन शती पूर्व (सन् 1660 में) सुब्रह्मण्य दीक्षित नामक दाक्षित्णात्य विद्वान ने अपने 'तमिल प्रयोग विवेकम्' नामक तमिल ग्रंथ में 'तमिळ' की व्युत्पत्ति 'द्रविड़' के अपभ्रश 'द्रमिल' से बतायी और 'द्रविड़' शब्द की व्युपित्त "द्रु धावने, पलायने च" नामक धातुरूप से सिद्ध की । आर्य तथा आर्येत्तर जातियों में हुए युद्ध में, परास्त होकर भाग खड़े हुए आर्येत्तर वनवासियों को 'द्रविड़' बताया गया है। बाद को, पाश्चात्य विद्वानों ने आर्येत्तर सभी जातियों को 'द्रविड़' बता कर, उन का प्रमुख अड्डा दक्षिणापथ बताया। कुछ विद्वानों ने यहां तक कह दिया कि जो काले-कालूटे हैं, वे सब 'द्रविड़' होते हैं; गोरे-भूरे और उजले रंग के लोग 'आर्य' कुल के हैं। काल की करवटों ने इस मान्यता को निरर्थक बकवास साबित कर दिया ।

पूर्वोक्त धारणा का कोई प्रमाण हमारे प्राचीन ग्रंथों में-वेद, पुराण, स्मृति आदि में-उपलब्ध नहीं होता है। 'द्रविड़'

शब्द का प्रथमतः प्रयोग महाभारत तथा मनुस्मृति में ही पाया जाता है। महाभारत में जो संदर्भ द्रविड़ के बारे में आया है, वह प्रक्षिप्त अंश माना जा सकता है। मनुस्मृति तथा उसके समसामयिक अन्य स्मृति-ग्रंथों में 'द्रविड़' को कई आर्येत्तर जातियों में अन्यतम माना गया है।

महाभारत (पर्व 23, सर्ग 33, श्लोक 21) में इस बात का प्रमाण मिलता है :–

"शका यवन काम्बोजास्तास्ताः क्षत्रिय-जातयः ।
वृषलत्वं परिगता ब्राह्मणानामदर्शनात्॥

द्राविडाश्च कलिन्दाश्च पुलिन्दाश्चाप्युशीनराः।
कोलिसर्पाः माहिषकास्तास्ता क्षत्रिय-जातयः ॥

–अर्थात्, क्षत्रियों की यह जातियां–शक, यवन, कांबोज, द्रविड़, कलिंद, पुलिंद, उशीनर, कोलिसर्प और माहिषक ब्राह्मणों के अदर्शन से (संपर्क न होने से) 'वृषल' हो गए हैं।"

इसी प्रकार उसी पर्व, 35वें सर्ग के 17वें श्लोक में भी, मेकल, लाट, कन्वशिरस, शांडीक, दर्व, चौर, शंवर, बर्बर और किरात जातियों को भी ब्राह्मण संदर्शन तथा संपर्क के अभाव में वृषलत्व पाने की बात बताई गई है।

मनुस्मृति (श्लोक 43 और 44) में यही बात बताई गई है :–

शनकैस्तु क्रियालोपात् इमाः क्षत्रिय-जातयः ।
वृषलत्वं गताः लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥

पौण्ड्रकाश्चोड्र द्रविडाः काम्बोजाः यवनाः शकाः।
पारदाः पह्लवाश्चीनाः किराताः दरदाः खशाः ॥

–अर्थात् क्षत्रियों की निम्नलिखित जातियां पवित्र क्रियाओं एवं ब्राह्मणों से संपर्क न रखने के कारण क्रमशः वृषलों की अवस्था में पतित हो गयी हैं; वे हैं, पौंड्रक, ओड्र, द्रविड़, कांबोज, यवन, शक, पारद, पह्लव, चीन, किरात, दरद तथा खश।

मनुस्मृति (10-20) में बताया गया है–

"झल्लो मल्लश्च राजन्यात् व्रात्यात् निच्छविरेव च ।
नटश्च करणश्चैव खसो द्रविड़ एव च ॥

–अर्थात् व्रात्य (गायत्री जप आदि व्रत-अनुष्ठानों से भ्रष्ट) क्षत्रिय से सजातीया स्त्री में उत्पन्न हुए पुत्रों को देश-भेद से झल्ल, मल्ल, निच्छवि नट, करण, खस और द्रविड़ कहते हैं।

मनुस्मृतिकार ने द्रविड़ के अलावा आंध्र जाति का भी लक्षण बताया है कि वह नराधमों की निकृष्ट जाति है। मनुस्मृतिकार को विंध्यारण्य के दक्षिण में बसे चेर, चोल, पांडिय, तेलुगु आदि प्रदेशवासियों के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं था।

महाभारत (1, 174, 5) में महर्षि वशिष्ठ पर विश्वामित्र के बलप्रयोग का आख्यान है। विश्वामित्र वशिष्ठ की संपति कामधेनु (दैवी गाय) पर ललचा उठे, तो दोनों में संघर्ष शुरू हुआ। विश्वामित्र के दल-बल के साथ जोर आजमाने पर भी कुछ न हो सका, तो उनको झक मारकर स्वीकारना पड़ा– "धिक् क्षत्रियबलम्, ब्रह्मतेजो बलं बलम् ।"–क्षत्रिय का सैनिक बल आदि प्रताप को धिक्कार है : वास्तविक बल तो ब्रह्मतेज (ब्राह्णत्व का प्रभाव) ही है।" इस संदर्भ में, कामधेनु को सैनिक मार-पीटकर घसीट लेने लगे, तो वह क्रुद्ध होकर, कई योद्धाओं का जो आर्येत्तर जातियों के थे, सृजन करने लगी। उनमें द्रविड़ का नाम भी आता है। मूल श्लोक हैं :–

अंगारर्षं मुञ्चन्ती मुहुर्वालाधितो महत् ।

असृजत् पह्लवान् पुच्छात् प्रस्त्रवात् द्रविडान् शकान् ।

योनिदेशाच्च यवनान् शकृतः शबरान् बहून् ।

–वह कामधेनु अपनी पूँछ से अंगारों की वृष्टि करने लगती है; पूँछ से पल्हवों को, स्वेद, मूत्र और गोबर आदि से द्रविडों, शकों, यवनों, शबरों आदि को उत्पन्न करती है।

इस जाति-नामावलि में आगे कांचियों, शरभों, पौंड्रों, किरातों, सिंहलों, वशों आदि लोगों का भी स्थान है।

भरतमुनि ने (ई. दूसरी शती में) अपने नाटय-शास्त्र ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि द्रविड आंध्र से भिन्न जाति के हैं,

और वे विंध्य पर्वत के दक्षिण में बसने वाली जातियों में हैं। प्रमाण है:—

"द्रविडान्ध्र महाराष्ट्र वैण्यावा वानवासजाः ।

दक्षिणंस्य समुद्रस्य तथा विन्ध्याचलान्तरे ॥

पूर्वोक्त प्रमाणों से यह बात स्पष्ट होती है कि भारत की प्रचीन जातियों में द्रविड़ या द्राविड़ भी एक थी। इधर इस स्थापना का कोई प्रमाण नहीं है कि द्रविड़ परिवारों में तथाकथित अन्यान्य कई वन्य एवं आदिम जातियाँ समावेश पाती है। "द्रविड़ परिवार में तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु तथा इनसे संबंधित अन्य बोलियाँ बोलने वाले लोग भी समाविष्ट होते हैं।" इस बात का भी कोई आधार पुराने भारतीय ग्रंथों में नहीं मिलता।

वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा गया है–

अन्वीक्ष्य दण्डकारण्यं सपर्वत नदी गुहम् ।

नदीं गोदावरीं चैव सर्वमेव अनुपश्यत ।

तथैवान्ध्रांश्च पुण्ड्रांश्च चोलान् पांडयांश्च केरलान् ॥

(वाल्मीकि रामायण, किष्किन्धा कांड, सर्ग 41, श्लोक 11-12)

–सीताजी की खोज के लिए सुग्रीव ने वानरों को दक्षिण दिशा की ओर भेजते हुए, उनको मार्गदर्शन कराया कि अमुक देशों में जाकर ढूँढना। इधर वाल्मीकि ने द्रविड़ शब्द का प्रयोग नहीं किया। कारण यही है कि, तमिल देश उस समय चोल, पाण्डिय, केरल (चेरल) के राज्यों में विभाजित रहा। तीनों प्रदेशों की प्रचलित भाषा तमिल थी। ध्यान देने की बात है कि वाल्मीकि ने कहीं 'द्रविड़ या द्राविड़' शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अतः उनके समय के बाद ही 'द्रविड़' शब्द बना है।

ऐतरेय ब्राह्मण में दस्युओं से संपर्क रखने वाली इन जातियों का निर्देश हुआ है, आंध्र, शबर, पुलिंद और मूतिब। इधर भी 'द्रविड़' जाति का प्रयोग नहीं किया गया है। इसी प्रकार वेद, उपनिषद् ग्रन्थों में भी 'द्रविड़' शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है।

महाभारत में 'द्रविड़' शब्द तमिल भाषी जाति के निर्देश में ही प्रयुक्त हुआ है। वहाँ 'द्रमिड़' शब्द का भी प्रयोग हुआ है। 'उदाहरणः 'द्रमिडा :' पुरुषा : राजन्... द्रामिडी योषितां वरा"...द्रमिड़ैरावृतो ययौ" इत्यादि। महाभारत में 'द्रविड़ या द्रमिड़' शब्द को सामान्य तमिलभाषी– वन्य तथा नागरिक लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया है। वहीं राजाओं का निर्देश करते समय 'द्रविड़' शब्द को छोड़कर प्रथानुसार चोल, पांड्य, चेरल (केरल) शब्दों का ही प्रयोग हुआ है उदाहरणः

"पाण्ड्य चेरल चोलेन्द्रा स्त्रयस्त्रेताग्नयो यथा ।

आसनेषु विराजन्ते दिश मागस्त्यमाश्रिताः ॥

(महाभारत, स्वयंवर पर्व, पार्थिव प्रख्यानम्)

वे तीनों राजा अगस्त्य मुनि की दिशा दक्षिण के निवासी बताए गए हैं।

बाद के कई संस्कृत कवियों ने 'तमिल' के स्थान पर 'द्रविड़' शब्द का प्रयोग किया है।

कुमारिल भट्ट ने (ई. 620-680) अपने मीमांसा-सूत्र के व्याख्या-ग्रंथ 'तंत्रवार्तिकम्' में द्राविडादि भाषायाम्... लिखा है। राजशेखर कवि ने (ई. 880-920) अपने 'काव्यमीमांसा' ग्रंथ में लिखा है, 'सर्वोऽपि द्राविडः कविः। कुमारिल भट्ट ने उक्त ग्रंथ में आंध्र द्राविड़ (तमिल) आदि भाषाओं को 'म्लेच्छ भाषा' बताया है।

ई. 13वीं शती के संस्कृत कवि शारदा तनय ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रन्थ 'भावप्रकाश' में उस बात को दुहराया है :–

"द्रविडा कन्नड़ान्ध्राश्च हूणदम्मीर सिंहलाः
...एता भाषाश्च सर्वत्र म्लेच्छ भाषेत्युदाहृता ॥

–द्रविड़ (तमिल), कन्नड़, आंध्र (तेलुगु) हूण (अरबी या उर्दू) हम्मीर तथा सिंहल (सिंकलम्) ये म्लेच्छों की भाषाएं हैं।

पूर्वोक्त प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि तमिल के स्थान पर 'द्रविड़' शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर दक्षिण की चारों

2205 HA/06—8A

भाषाओं तथा भाषाभाषियों के लिए 'द्रविड़ भाषा' तथा 'द्राविड़ लोग' का प्रयोग होने लगा । इसीलिए पंच द्राविड़, द्राविड़ ब्राह्मण, द्राविड़ शुशु (शंकराचार्य), द्राविड़संघातम् आदि प्रयोग आर्येत्तर के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा । पहले तमिल के लिए द्रविड़ शब्द का प्रयोग 'तमिळ' शब्द के संस्कृतीकरण का फलस्वरूप है । संस्कृत में कई देशी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात् कर लिया गया । देशज, यौगिक, रूढ़ तथा योगरूढ के रूपों में अन्य प्रादेशिक भाषाओं के कई शब्द संस्कृत में आ गये ।

पर्याप्त प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि तमिळ् का संस्कृतीकरण द्रविड़ है । इस कोरी कल्पना का कोई आधार नहीं है कि 'द्रविड़' शब्द का विकृत रूप तमिळ है ।

'तमिळ' शब्द भाषापरक है, 'तमिळर्' जातिवाचक तथा 'तमिळम्' या 'तमिळकम्' प्रदेशवाचक है । 'द्रविड़' शब्द भी मूल की अनुकृति में पहले भाषापरक रहा । बाद को अर्थविकास से देश तथा जाति का बोधक बन गया । तमिळ, चेन्तमिळ् (परिष्कृत या स्वच्छ तमिल भाषा) आदि शब्दों का प्रयोग तमिल के प्राचीनतम लक्षण-ग्रंथ 'तोलकाप्पियम्' में मिलता है (सूत्र 386, 881, 883) (उदा: 'तमिळन् किळवियुम् अतनोरस्रे-सूत्र 386, ''चेन्तमिळ् चेन्द पन्निरू निलत्तुम्'' 'सूत्र 883 आदि) तोलकाप्पियम् का रचनाकाल ईस्वी पूर्व चौथी शती है । बाद के संघकालीन तमिष ग्रन्थों में भी (ईस्वी पूर्व दूसरी शती से ई. दूसरी शती तक) 'तमिळ', 'तमिळ्कम आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं । इनके स्थान पर कहीं भी उनका कोई अपभ्रंश या संस्कृत का रूप (द्रविड़, द्रमिल आदि) प्रयुक्त नहीं हुआ है।

'तोलकाप्पियर ग्रंथकार का नाम था । उनके अभिधान पर ग्रंथ का नामकरण हुआ । यह वेदोत्तर काल की प्रथा थी । जैसे कि ऐंद्रम्, बार्हस्पत्यम्, पाणिनीयम् इत्यादि । तोलकाप्पियर ऐंद्रव्याकरण के ज्ञाता तथा अगस्त्यमुनि के छात्र थे । यह ऐंद्र व्याकरण देवराज इंद्र की रचना थी । इंद्र का व्याकरणकार होने की बात तैत्तरीय संहिता के सूक्त (6,4,7,3) से व्यक्त होती है । वह है :

"देवा इन्द्रमब्रुवन्निमां नो वाचं व्याकुर्वीति'' तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते ।"

इस बात की पुष्टि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में (पास्पशाह्निकम्) की है कि बृहस्पति ने दिव्य वर्ष सहस्रं काल तक अपने शिष्य इंद्र के लिए एक-एक शब्द का शुद्ध रूप बताते हुए शब्द-पारायण का व्याख्यान किया । मूल है, "बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्ष सहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच ।"

सामवेद के ऋक्तंत्र नामक प्रातिशाख्य-ग्रंथ में लिखा है कि ब्रह्मा ने बृहस्पति को, बृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने भारद्वाज को व्याकरण की शिक्षा दी और भारद्वाज से यह व्याकरण अन्य ऋषियों को और ऋषियों से ब्राह्मण पंडितों को प्राप्त हुआ ।

मूल है: "इदमक्षरं छन्दसां वर्णशः समनुक्रान्तम्; यथाचार्याः ऊचुर्ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, बृहस्पतिरिन्द्राय इन्द्रो भारद्वाजाय, भारद्वाज ऋषिभ्यः ऋषयो ब्राह्मणेभ्यस्तं खलु इमम् अक्षरसाम्नायम् इत्याचक्षते ।''-(ऋक्तंत्र 1, 4)

तोलकाप्पियर अगस्त्यमुनि के समकालीन तथा पाणिनि के परवर्ती स्वतंत्र वैयाकरण थे । अगस्त्य तमिल् के पितातुल्य प्रचारक, प्राचार्य तथा वैयाकरण थे । तोलकाप्पियर आदि बारह शिष्य अगस्त्य से व्याकरण तथा लक्षण-ग्रंथ का अध्ययन करते थे । यह बात प्राचीन तमिल ग्रंथों में उल्लिखित है ।

ऋग्वेद में स्पष्ट बताया गया है कि अगस्त्य मुनि महान प्रभावशाली थे और आर्य तथा आर्येतर वर्णों के हितकारी, सम्मान्य मध्यस्थ थे । ऋग्वेद का यह सूक्त स्मरणीय है-

"अगस्त्यः खनमानः खनित्रैः प्रजामपत्यं बलमिच्छमानः।
उभौ वर्णावृषिरूग्रः पुपोष सत्या देवेष्वाशिषो जगाम ॥"

(ऋक् 1, 179, 6)

शंभुरहस्यम् नामक संस्कृत ग्रंथ में अगस्त्य के द्रविड़ (तमिल्) भाषा के व्याकरणकार होने की बात बतायी गयी है-

''एवमेव विजानीहि द्रविडं चापि भाषितम् ।
व्याकर्ता स हि सर्वज्ञो यस्यागस्त्यो महामुनिः ॥

इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि तोलकाप्पियर पाणिनि के परवर्ती अवश्य थे । पाणिनि का काल ईसा पूर्व 450-403

था । पाणिनि ने कहीं भी 'द्रविड या द्राविड़' शब्द का प्रयोग नहीं किया है । इससे स्पष्ट है कि उनको आर्यवर्त तक ही प्रादेशिक परिचय था । विंध्य तथा कलिंग की उत्तरी सीमा तक ही उनके ज्ञान की पहुँच थी । विंध्य के दक्षिण में फूली-फैली तमिल भाषा तथा रचनाओं का उनको परिचय नहीं मिला । यह भी ध्यान देने की बात है कि पाणिनि ने वेदग्रंथों के लिए ही व्याकरण का निर्माण किया । अन्य देशी भाषाओं के साहित्य-ग्रंथों से, तथा उनकी अनुकृति में हुए संस्कृत प्रबंधग्रंथों से उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी ।

डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपने अनुसंधानपूर्ण उपादेय ग्रंथ 'पाणिनि कालीन भारत' में स्पष्ट लिखा है कि पाणिनि को विंध्य के दक्षिण की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी । क्योंकि संस्कृत का विस्तार उत्तरापथ तक ही फैला था।

उनके शब्दों में, "यास्क के समय में ही (ईसा पूर्व छठी) वैदिक भाषा का युग लगभग समाप्त हो चुका था । नये-नये ग्रंथ, अध्ययन के विषय एवं शब्द सब ओर जन्म ले रहे थे, गद्य और पद्य की नवीन भाषा-शैली प्रभावशालिनी शक्ति के रूप में सामने आ रही थी ।··· उस भाषा (संस्कृत भाषा) के विस्तार का क्षेत्र, उत्तर में कंबोज प्रकण्व (पामीर परगना) से लेकर पश्चिम में कच्छ-काठियावाड़, दक्षिण में अश्मक (गोदावरी तट का प्रदेश) और पूर्व में कलिंग एवं सूरमस (असम की सूरमा नदी का पहाडी प्रदेश) तक फैला हुआ था, जैसा कि अष्टाध्यायी के भौगोलिक उल्लेखों से विदित होता है । संभव है, इस विशाल प्रदेश में स्थानीय बोलियां भी रही हों, किन्तु एकछत्र साम्राज्य का पटटबंध संस्कृत के ही माथे था ।···"

पूर्वोक्त उल्लेखों से हम इस निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि तमिल भाषा भी संस्कृत भाषा (वैदिक भाषा का परिष्कृत रूप) के समान ही पुरानी है, संपन्न है ओर अपने प्रदेश में प्रशस्त रही ।

वेदोत्तर काल में ही उत्तर और दक्षिण का संपर्क शुरु हो चुका था । विंध्यारण्य के सीमावर्ती प्रदेश (कर्नाटक और आंध्र) तथा कलिंग आर्य भाषा तथा संस्कृति के आयात तथा प्रसार के प्रमुख केंद्र रहे । उसके बाद जैन और बौद्ध साधु-भिक्षुओं के प्रवास एवं धर्मयात्रा के फलस्वररूप उत्तर-दक्षिण का संपर्क निकटतर होने लगा । ईसापूर्व तीसरी शती से उनका आवागमन बढ़ चुका था । उन्हीं के द्वारा तमिल भाषा तथा संस्कृति का प्रसार तथा प्रभाव खूब फैलने लगे । आर्य भाषा तथा उत्तरापथ का प्रभाव तमिल भाषा-संस्कृति में बढ़ाने का श्रेय भी उन्हीं को था । प्राचीन जैन तथा बौद्ध प्राकृत ग्रंथों में दमिलरट्ठ (तमिल राष्ट्र) द्रमिल संघ (तमिल संघ) आदि प्रयोग मिलते हैं ।

सिंहल के प्राचीन इतिहास ग्रंथ 'महावंश' में तमिल भाषियों के लिए दमिल या दमिळ' शब्द का ही प्रयोग हुआ है । उसमें कहीं भी 'द्रविड़' शब्द का प्रयोग नहीं है । 'तमिळ' के प्राकृतरूप दमिल या द्रमिल का संस्कृतीकरण है 'द्रविड' । संस्कृत में इस आत्मसात कर लेने के बाद उसके व्याकरण के नियमानुसार 'अण' प्रत्यय लगाकर 'द्राविड' (तमिल भाषी, तमिल देशवासी या तमिल से संपर्क रखनेवाली अन्य बोली या भाषा बोलने वाले) शब्द बनाया गया । द्रविड शब्द के रूप-परिवर्तन का क्रम है, तमिळ> दमिळ> द्रमिळ> द्रमिल> द्रमिड >द्रविड ।

अंततः हम इन्हीं निर्णयों पर आ सकते हैं:-

1. प्राचीन वेद, स्मृति ग्रंथों में द्रविड शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है ।

2. प्रथमतः महाभारत के प्रक्षिप्त भाग में, भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में तथा मनुस्मृति में ही 'द्रविड' शब्द का प्रयोग हुआ है । यह प्रायः तमिल भाषी या तमिल प्रदेश वासी के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है ।

3. 'द्रविड' शब्द 'तमिळ' का संस्कृतीकरण है । उसका अर्थ-विकास पाश्चात्य विद्वानों ने किया । उनके अनुसंधान का परिणाम है कि अधिकांश आर्येत्तर जातियों का समाहार द्राविड़ या द्रविड़ के नाम से निर्देश करने योग्य है । किन्तु यह निराधार, भ्रमपूर्ण तथा फूट-बैर बढ़ानेवाली कोरी स्थापना है । 'तमिळ' भाषी जाति को समस्त दक्षिणी आदिवासी या पुरानी जातियों के लिए प्रतिनिधि स्वरूप बताना अमान्य है । इसी प्रकार द्रविड़ भाषा कुल (तमिल भाषा कुल) की सृष्टि कर सभी स्वतंत्र या संबन्धित भाषाओं, और बोलियों को एक ही परिवार में आबद्ध करना भी व्यर्थ है, विवादास्पद है । पड़ोसी भाषाओं में तथा बोलियों में शब्द, पद, वाक्य, शैली और अभिव्यक्ति का आदान-प्रदान अनिवार्य है, सहज है ।

इस बात के आधार पर एक ही परिवार-बद्धता की स्थापना करना तथ्य से दूर होगा । आजकल सभी भारतीय भाषाओं में देशी-विदेशी भाषाओं के कई शब्द तथा अभिव्यंजन आ चुके हैं । उनके आधार पर पारिवारिक बंधन निर्धारित करना हास्यास्पद होगा ।

4. द्रविडों को दस्यु बताना बिल्कुल गलत है ।

5. 'द्रविडभाषा परिवार' का प्रयोग छोड़कर 'दक्षिणी भाषा परिवार' का प्रयोग करना उचित होगा । उनमें भी विशिष्ट बातों का उल्लेख करते समय, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं के नाम लेना ही उचित होगा । द्रविड़ों की महत्ता का बखान करते समय, यह सहज है कि उस महानता का उत्तरदायी होने का दावा तमिल भाषी मात्र नहीं, अन्य दक्षिणी भाषाभाषी भी कर सकते है । अत: 'तमिळ' के संस्कृत रूप (द्रविड़) शब्द का अर्थ विकास करना भ्रमों और सम्मोहों का उत्स तैयार करना है । अब यही दुराग्रही विडंबना की स्थिति बनी हुई है ।

इतिहासकार, भाषाशास्त्री तथा समाजशास्त्रियों से हमारा यही अनुरोध है कि वे इन बातों पर नये सिरे से अन्वीक्षण करें; कोरी पुरानी स्थापनाओं के पीछे न पड़ें और पाश्चात्य विद्वानों तथा उनके पुछल्लों के पिष्टपेषणों का चर्वितचर्वण न किया करें ।

हमें आर्य-अनार्य, उत्तर-दक्षिण, अमर भाषा-मृत भाषा, देवभाषा-म्लेच्छ भाषा आदि अंदरूनी अंतश्छिद्रों को बिलकुल भुला देना चाहिए । उनको निरी गप्पें और फूट पैदा करने वाली अफवाहें समझकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए ।

यह भारतीयता, राष्ट्रीय एकात्मभाव को समृद्ध तथा सशक्त करने का युग है । वायु पुराण का यह उद्गार ही समस्त भारतवासियों का मानसिक तथा बौद्धिक विकास-स्वर होना चाहिए–

"उत्तरं यद् समुद्रस्य हिमवत् दक्षिणं च यत् ।

वर्षम् तद् भारतं नाम यत्रेयं भारती प्रजा ॥

हिंद महासागर के उत्तर तथा हिमाचल के दक्षिण में जो भूप्रदेश है, वह 'भारत वर्ष' है । यहाँ निवास करनेवाली समस्त प्रजा का नाम 'भारती प्रजा' है । ■

''देश भर को बांधने के लिए, भारत के भिन्न-भिन्न हिस्से एक-दूसरे से संबंधित रहें, इसके लिए हिंदी की जरूरत है।''

–जवाहरलाल नेहरू

दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास के नये भवन का उद्घाटन, 1976
हिंदी प्रचारक, मद्रास, 1936

एशिया में भी सुरक्षित हैं हमारे शब्द

—डॉ० एन० एस० शर्मा*

इतिहास के पन्ने साक्षी हैं कि विश्व की विभिन्न संस्कृतियों का लोप हो जाने के बावजूद अपने अंतर्निहित शाश्वत तत्वों के कारण भारतीय संस्कृति आज भी अक्षुण्ण है। भारतीयों ने पर्वत और आकाश की ऊंचाइयों को नापकर और समुद्र की गहराईयों को पार करके दक्षिण-मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्वी एशिया के अनेक देशों में भारतीय संस्कृति एवम् साहित्य का प्रचार करते हुए कुछ देशों में अपने लोग बसाए। पौराणिक काल में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन आदि ने बौद्ध धर्म की शिक्षा-दीक्षा के लिए अनेक दूतों को विदेशों में भेजा था। अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने भी कई देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। समुद्री मार्गों की खोज के बाद भारत ने मॉरीशस, फिजी, टुबेगो, त्रिनिडॉड, गयाना, दक्षिणी अफ्रीका एवम् ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ अपने संबंध स्थापित किए।

व्यापार एवम् धर्म आदि के प्रयोजनार्थ पर्याप्त संख्या में भारतीय विदेशों में आते-जाते रहे हैं। इसी प्रकार अनेक देशों के दरबारी लेखकों, सरदारों एवम् इतिहासकारों, जैसे चंद्रगुप्त के समय सेल्यूकस (सेनापति), साईलेक्स मेगस्थनीज, हेरोडोटस, टैसियस्, डीमेकस, डायनीमिस, प्लूटार्क ऐरियन, स्टार्वो, टालैमी आदि सभी यूनानी लेखक, तारानाथ (तिब्बत से) फाह्यान (चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय), हयून सांग (हर्ष के समय) अल्बेरूनी, सुलेमान अलासूदी उत्वी, निजामी, मिन हाजुद्दीन और इब्नबतूता आदि ने भारत की वैभवता का खुलकर वर्णन किया है। टॉमस रो, हॉकिन्स, एडवर्ड, टैरी और टालैसी के लेखन कार्यों को भी नजर-अंदाज नहीं किया जा सकता। ये सभी लेखक भारत के अपने लेखन कार्यों को अपने-अपने देशों में ले गए।

हमारी संस्कृति और साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित रूप सर्वप्रथम वैदिक युग से प्राप्त होता है। रामायण और महाभारत के अतिरिक्त पंचतंत्र की कथाओं, बुद्ध की जातककथाओं, शुक सप्तशति, विद्यापति के साहित्य एवम् हितोपदेश आदि का भी विदेशों में विशिष्ट स्थान है। विदेशों में प्राप्त हुए सिक्के, अभिलेख, मठ, विहार, स्तूप, मंदिरों के खंडहर और मूर्तियाँ इन तथ्यों की सूचक हैं कि प्राचीनकालीन भारतीय धर्म प्रचारक और व्यापारी अपने साथ अपना साहित्य और हुनर अपने साथ विदेशों में ले गए। जैनियों की भगवती सूत्र और आकाश सूत्र आदि के अतिरिक्त वे अपने साथ हिंदुओं के धामिक ग्रंथ, परंपरागत कथा साहित्य, रामायण, महाभारत, आर्यों के वेद, बौद्धों के त्रिपिटक, जातक, जैनियों के अंग, मुस्लिमों की कुरान और ईसाईयों की बाईबल एवम् टेस्टामेंट के अतिरिक्त मुद्राराक्षस, पृथ्वीराज रासो, राज तरंगिणी, आल्हा खंड, शकुंतला, मेघदूत, गीत गोविंद, अर्थशास्त्र, अमर कोष तथा अष्टाध्यायी आदि ग्रंथ भी ले गए थे। चीन और तुर्कीस्तान में संस्कृत और प्राकृत भाषाओं की कई रचनाएं प्राप्त हुई हैं जबकि काबुल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पालि में लिखी हुई पुस्तकें प्राप्त हुई हैं। कंबोडिया के ओंकारवाट में अपने समय का भव्यतम विष्णु मंदिर, जावा में बाराबुदूर का मंदिर, बोर्नियों में विष्णु की स्वर्ण मूर्ति और मलाया में शिव-पार्वती एवंम् गणेश की मूर्तियाँ भी पाई गई हैं। इनके अतिरिक्त उन पर उत्कीर्ण ज्ञानप्रद श्लोकों की भाषा पालि है। इसी प्रकार उक्त उल्लिखित दक्षिण-पूर्वी एशियाई और दक्षिण-मध्य एशियाई तथा अनेक यूरोपीय देशों में भी हमारे शब्द नगीने और मणि की भाँति आज भी जगमग हैं।

प्राचीन काल में हमारे नालंदा, विक्रम, तक्षशिला, वल्लभी और प्रयाग आदि शिक्षण संस्थानों में प्रतिवर्ष हजारों विदेशी छात्र भौतिकी, रसायन, शल्य चिकित्सा, दर्शन, ज्योतिष, खगोल, भूगोल और नक्षत्र आदि विभिन्न विधाओं की शिक्षा

*फ्लैट नं 495, ब्लाक-45, टाईप 4 सैक्टर-2, सी.जी.एस. कालोनी, अन्टॉप हिल, मुंबई-400037

2205 HA/06—9A

अर्जित करने के प्रयोजनार्थ यहां आते थे। इस प्रकार बौद्ध भिक्षु धर्मरत्न कुमार जीव और कश्यप मतंग के साथ हमारे शब्द जावा, बाली, सुमात्रा, चीन, मंगोल, थाईलैंड एवम् साईबेरिया तक गए हैं।

विभिन्न विधाओं में विश्व का आदि गुरु रहने के कारण भारत का अतीत अत्यंत गौरव-मंडित रहा है। भारतीय ज्योतिर्विदों ने न केवल महायुगों और मन्वरों की गणना की है बल्कि उन्होंने तो इस सृष्टि की भी आयु गणना कर डाली थी। पाश्चात्य वैज्ञानिक जब केवल मिनट-सैकंड तक ही सीमित थे, भारतीय सैकंड को भी 20 लाख 2 हजार 5 सौ त्रुटियों में (माप ईकाई) विभाजित कर चुके थे। ईरांक, तुर्की एवम् फारस आदि में तो आज भी गणित विद्या को इल्म-ए-हिंदी ही कहा जाता है। भास्कर द्वारा उस समय लिखा गया विमान शास्त्र तो आज भी अच्छे-अच्छे वैज्ञानिकों का दिमाग चकरा देता है। भारत द्वारा दी गई शून्य और दशमलव नामक बहुमूल्य धरोहर के लिए तो विश्व सदैव उसका ऋणी रहेगा। निःसन्देह अपने अतीत में भारत अन्य सभी देशों से हजारों वर्ष आगे था। विदेशियों द्वारा यदि समय-समय पर भारतीयों की कमर न तोड़ी गई होती तो अंतरिक्ष में मानव भेजने का काम सर्वप्रथम भारत ही करता । गिरिराज हिमालय में भी द्वार बनाकर न जाने ही बाहरी अर्थात् यूनानी, ईरानी, हुण, तुर्क, शक, कुषाण, यवन, अफगान, मंगोल-खिलजी, लोधी, तुगलक एवम् मुगल आदि अनेक वंश समय-समय पर यहाँ आए। क्योंकि हमारी वैभवशाली वसुंधरा की लोलुप छवि उनके हृदय पर अंकित थी, इसलिये हमारी सुनहली मिट्टी से निगूढ़ धन-राशि बटोरने की आकांक्षा में अपना स्थायी ठौर-ठिकाना और साम्राज्य यहीं स्थापित करने के प्रयोजनार्थ उनमें से अधिकांश ने अपने मूल निवास से संबंध-विच्छेद ही कर लिए थे। देश में प्रचलित सभी भाषाओं को तो एकदम वे सीख नहीं सकते थे, इसलिये अपना काम चलाने हेतु देश में सर्वाधिक प्रचलित तत्कालीन भाषा उन्हें सीखनी पड़ी। उनके अपने देश में आवागमन के कारण उनके साथ ही हमारे शब्द भी उन देशों में जा पहुँचे जो आज भी वहाँ सुरक्षित हैं।

भारत के शास्त्रों का प्रभाव विदेशी चिंतकों एवम् साहित्य मनीषियों पर पड़ा है। इस संदर्भ में माइस्टर इकार्ट का रहस्यानुभूतिवाद तथा शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का प्रभाव समानांतर धाराओं में बहता नजर आता है। आत्मा तथा शरीर से संबंधित प्लेटो की विचारधारा भी भारतीय रंग लिए हुए है। नव्य प्लेटोवाद के अनेक विचारों पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव परिलक्षित होता है। ज्योतिष और गणित के प्राचीन आचार्यों में आर्यभट्ट और वाराह मिहिर का स्थान भारत में ही नहीं, सारे विश्व में सर्वोपरि माना जाता है। उन्होंने ग्रहण की भविष्यवाणी करने की विधि निकाली थी और विश्व को सर्वप्रथम यह ज्ञान उन्होने ही दिया था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी ही उसकी परिक्रमा करती है, जिससे दिन और रात होते हैं। गणित में शून्य से संबंधित ज्ञान, दशमलव पद्धति तथा एक से नौ तक के अंकों का ज्ञान और रेखा गणित तथा बीजगणित की विद्या जो भारत में जन्मी थी, अरबवासियों के माध्यम से यूरोप में पहुंची थी। चिकित्सा विज्ञान में भी सुश्रुत, चरक, वागभट्ट और भावमिश्र आयुर्वेद के श्रेष्ठतम आचार्य माने गए हैं। उस समय भी यहाँ शल्यचिकित्सा का प्रचलन था और अनेक रोगों का निदान चीर-फाड़ द्वारा किया जाता था। प्राचीन भारत ने जिन प्रदेशों में अपने साहित्य और संस्कृति का प्रचार किया उनमें से कुछ प्रमुख स्थान निम्नानुसार हैं :-

बाली द्वीप :- यह भारत से कोई तीन हजार मील दूर सुमात्रा से भी पूर्व की ओर बसा हुआ है। आज भी यह द्वीप हिंदू धर्मावलंबियों के लिए प्रसिद्ध है। राजनैतिक दृष्टि से वहाँ पर जावा का अधिपत्य रहा है, किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से वह भारत से जुड़ा हुआ है। हमें उन हिंदू राजाओं और रानियों के नामों का पता चलता है जिन्होंने दसवीं शताब्दी में बाली में शासन किया था। इनमें सर्वप्रथम थे उग्रसेन (ई. 915-953), तत्पश्चात् तवनेंद्र वर्मा (ई. 955), चंद्रमय सिंह वर्मा (ई. 962), जनसाधु वर्मा (ई. 975) तथा रानीश्री विजया महादेवी (ई. 983) हैं। बाली निवासी शैव हैं किंतु वे पंच देवताओं की भी पूजा करते हैं। वहाँ पंडित तथा पुरोहित संस्कृत भाषा के श्लोकों तथा वेद मंत्रों का ही उच्चारण करते हैं। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ वहाँ लगभग सभी घरों में बड़े ही आदरपूर्वक सहेज कर रखे हुए हैं। वे आश्रम का अनुसरण करके मृत्योपरांत दाह संस्कार करते हैं तथा भारत की तरह ही उनका श्राद्ध भी करते हैं। ज्योतिष शास्त्र विषयक शब्द भी संस्कृत शब्दावलियों से हैं।

जावा :-भारत के प्राचीनतम संपर्कों में से जावा भी भारतीय साहित्य की पताका फहरा रहा है । यहां के लेखों से

2205 HA/06—9B

पता चलता है कि भारतीय ईसा की दूसरी शताब्दी में यहां आ बसे थे। चीनी यात्री फाह्यान पांचवीं शताब्दी में वहां गया तो उसने भारतीय साहित्य और धर्म वहां जोरों पर पाया था। शिव, विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं की वहां पूजा होती थी। वहां शैलेंद्र वंश और संजय वंश बहुत शक्तिशाली वंश थे। वाराबुदुर का स्तूप आज भी विश्व का आश्चर्य कहा जाता है। शैलेन्द्र शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उन्होंने मंदिर के स्थान पर स्तूप ही बनवाये थे। पंचतंत्र, रामायण और महाभारत आदि अनेक भारतीय ग्रंथों का जावा भाषा में अनुवाद कार्य सहज ही देखा जा सकता है। जावा की भूमि में महायान के विकृत रूप तंत्रयान ने ग्यारहवीं तथा बारहवीं शताब्दी में एरलंगा तथा जनमय के शासनकाल में अपनी जड़ें फैलायीं। तेरहवीं शताब्दी में राजा कृतनागर ने तंत्रवाद का सर्वाधिक उपयोग किया। कृतनागर को नरसिंह मूर्ति तथा शिवबुद्ध और एरलंगा को बेलाहन के विष्णु रूप में माना जाता है। वहां बौद्ध धर्म की नींव कश्मीर के राजा गुणवर्मा ने वहां के तत्कालीन राजा और रानी को दीक्षा देकर रखी थी।

सुमात्रा :—सुमात्रा जिसे प्राचीन काल में सुवर्ण द्वीप कहते थे, ईसा की तीसरी शताब्दी में भारतवासियों ने ही बसाया था। तीसरी शताब्दी से आठवीं शताब्दी तक श्री विजय वंश का राज्य सुमात्रा में शक्तिशाली रहा। इस राज्य में बौद्ध धर्म प्रचलित था और हत्सिंह के अनुसार अधिकांश वहां बौद्ध भिक्षु ही थे। आठवीं शताब्दी में राजेंद्र चोल ने इस राज्य पर आक्रमण करके शैलेंद्र राज्य की समाप्ति कर दी थी। शैलेंद्र बौद्ध धर्म के मानने वाले थे और उन्होंने इस धर्म को फैलाने के लिए अनेक स्तूप और मठ भी बनवाए थे। यहां की राजधानी श्रीविजय को आज प्लेमबंग कहते हैं। उसकी तुलना नालंदा और विक्रमशिला से की जाती है। सुमात्रा के बौद्ध दार्शनिक धर्मकीर्ति की कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी। यहां का तत्कालीन साहित्य पाली भाषा तथा खरोष्टि लिपि में है।

बोर्नियो :—यह द्वीप मुख्यत: घाक नामक आदिवासियों का निवास था। वहां से प्राप्त शिलालेख भारतीय प्रभाव की गवाही देते हैं। वहां की प्राचीन गुफाएं भारतीय संस्कृति की ओर संकेत करती हैं क्योंकि इन गुफाओं में प्राप्त हुई मूर्तियां बुद्ध, शिव, गणेश, अगस्त्य, नंदीश्वर, महाकाल तथा ब्रह्मा आदि की हैं। यह पूर्वी द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप है। ईसा की पहली शताब्दी में यहां भारतीयों ने अपना उपनिवेश भारतीय साहित्य को फैलाया और अनेक मंदिरों की स्थापना की थी। भारत के नये और पुराने लेखकों और कवियों के लेखन कार्य को वहां अनूदित रूप में बेहद चाव से पढ़ा जाता है। भारतीय धार्मिक ग्रंथों को बड़ी ही श्रद्धापूर्वक वे छाती से लगाये हुए हैं।

कंबोडिया :—ईसा की पहली शताब्दी में हिंदुओं ने इसे बसाया था। इस साम्राज्य ने चीन, स्याम और आस-पास के टापुओं को विजयी किया। आठवीं और नौवीं शताब्दी में यह साम्राज्य उन्नति के शिखर पर था। इसकी राजधानी अंगकोर थी, जिसकी जनसंख्या बहुत अधिक थी। जयवर्मन द्वितीय यशोबर्मन और सूर्यबर्मन इत्यादि इस साम्राज्य के शक्तिशाली शासक हुए हैं जो साहित्य और कला प्रेमी थे। वे सभी शासक हिंदू धर्म को मानते थे। डा. मजूमदार के अनुसार अंगकोर विश्व का एक आश्चर्य है। यहां के प्राचीन मंदिरों में संस्कृत और पालि में लिखी गई अनेक धार्मिक पुस्तकें आज भी सहेज कर रखी हुई हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने पुरखों से विरासत के तौर पर प्राप्त हुई यह साहित्यिक धरोहर आज भी वहां के मंदिरों में देखी जा सकती है।

स्याम :—ईसा की तीसरी शताब्दी में स्याम (थाईलैंड) में भारतीय उपनिवेश की स्थापना हुई। ग्यारहवीं शताब्दी तक यहां हिंदुओं का राज्य रहा। इंद्रादित्य यहां पर एक सुप्रद्धि शासक था। बाद में थाई जाति ने इस पर अपना अधिपत्य कायम कर लिया और तत्पश्चात् यहां बौद्ध धर्म का खूब प्रचार हुआ। भारत के साथ राजनैतिक और सांस्कृतिक संबंधों के कारण ही आज स्याम की भाषा में भारतीय भाषा और साहित्य का प्रभाव विद्मान है। आज भी यहां हीनयान बौद्ध मतावलंबी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि के साथ ही प्राकृत भाषा का प्रचलन जोरों पर था। सरकारी पदों के लिए भी अनेक भारतीय शब्द मिले हैं। अनेक स्टेशनों और सड़कों के नाम भी भारतीय हैं। होली, दिवाली और ईद आदि भारतीय पर्व भी धूमधाम पूर्वक मनाये जाते हैं। वहां के रेडियो और टेलीविजन भारतीय कार्यक्रम भी प्रसारित करते हैं।

चंपा :—ईसा की दूसरी शताब्दी में हिंदुओं ने चंपा में अपना उपनिवेश बनाया । चंपा की बस्ती कंबोडिया के उत्तर में स्थित थी और इसकी राजधानी अमरावती थी । दूसरी शताब्दी से पंद्रहवीं शताब्दी तक यहां कई हिंदू वंशों ने राज्य किया । यहां के अधिकांश लोग हिंदू धर्म को मानते हुए शिव की पूजा करते हैं । यहां के वीर शासकों ने कंबोडिया के आक्रमणों को सफलता पूर्वक रोका । पंद्रहवीं शताब्दी में मंगोल आक्रमणकारियों ने इस पर अधिकार कर लिया । इस राज्य में अनेक विशाल नगर बसे हुए थे और सारा राज्य हिंदू मंदिरों से सजा हुआ था । पहले-पहल शिक्षा प्रायः घरों में या गुरुकुलों में ही दी जाती थी । धीरे-धीरे साहित्यिक क्षेत्रों में भी निरंतर वृद्धि होती चली गई और पालि और प्राकृत भाषा शैलियों में पर्याप्त लेखन कार्य हुआ ।

जापान :—जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के प्रभाव का प्रतीक है । यह धर्म छठी शताब्दी में जापान पहुंचा । इससे पूर्व यहां के लोग शिंतो धर्म को मानते थे । नवीं सदी में बौद्ध धर्म तथा शिंतो धर्म के बहुत से देवताओं का समन्वय हो गया । छठी शताब्दी में चीन में जिस ध्यानवाद की नींव डाली थी उसका जापान में प्रचार क्योआन एईसाई ने किया जो कि बौद्ध मत के जन्मदाता हैं । वहां पर आज भी स्कूल आफ फारेन लैंग्वेजिज में भारतीय साहित्य पढ़ाया जाता है । टोक्यो, ओसाका और क्योत्रा जैसे विश्वविद्यालयों में हिंदी-संस्कृत वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाये जाते हैं । वहां के रेडियो और टेलीविजन पर संस्कृत और हिंदी लेखकों का साहित्य प्रसारित होता है और विभिन्न क्षेत्रों की नई पुरानी हस्तियों की जानकारी दी जाती है । यहां के भारत वासियों का नवजात शिशु जब एक माह का होता है तो उसका नामकरण संस्कार करके उसके मुंडन पर पड़ौसी तथा संबंधी उसकी दीर्घायु के लिए मंगल गीत गाते हैं । किशोर होने पर भले ही बौद्ध मत के अनुकूल साधु बनने की उसकी आकांक्षा न हो तो भी उससे कम से कम एक सप्ताह किसी बौद्धमठ के उपदेशों का पालन करते हुए व्रती बनकर बौद्ध भिक्षु का जीवन व्यतीत करना पड़ता है । भारत के यज्ञोपवीत की तरह यहां भी इसका वैसा ही महत्व है । लड़कियों का जब कर्णवेध किया जाता है तो उस समय पहली बार उन्हें सोने की बालियां पहनाई जाती हैं । प्रणय-सूत्र में बंधने से पूर्व उनकी जन्म कुण्डलियों की जांच होती है । पान के बिना यहां कोई भी उत्सव संपन्न नहीं होता । भगवान की प्रतिमा के सम्मुख चढ़े फूल को बदलकर नैवेद्य अवश्य किया जाता है । ज्योतिष शास्त्र शब्द भी संस्कृत या पाली शब्दावलियों के हैं । ताम्रपत्रों या मिट्टी के अस्थिपत्रों पर भी संस्कृत या प्राकृत शब्दों की भरमार है ।

श्रीलंका :—भारत और श्रीलंका के संबंध बहुत प्राचीनकाल से अर्थात् महाकाव्य युग से हैं जबकि राम ने लंका के राजा रावण को परास्त करके वहां भारतीय संस्कृति का संदेश पहुंचाया । ईसा पूर्व छठी शताब्दी में काठियावाड़ के नरेश विजय ने वहां भारतीय उपनिवेश की स्थापना की थी उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रयोजनार्थ अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को वहां भेजा था । सभी धर्म प्रचारकों ने वहां भारतीय विचारधारा साहित्य और संस्कृति का खूब प्रचार किया । लंका के राजा तिस्स और उनकी पत्नी ने बौद्ध धर्म अपना कर धर्म का वहां खूब प्रचार किया । लंका ने दीपवम्स और महावम्स नामक दो प्रसिद्ध ग्रंथ बौद्ध साहित्य को दिये । इस प्रकार भारत और लंका के सांस्कृतिक संबंधों के कारण भाषा साहित्य पर वहां गहरा प्रभाव पड़ा । बौद्ध के प्रचार संबंधी अशोक के शिला लेखों में ब्राह्मी लिपि का तथा भाषा पाली का प्रयोग मिलता है ।

अफ़गानिस्तान :—अफ़गानिस्तान के उत्तर में बेग्राम और बाभियान में अनेक बौद्ध विहार, स्तूप तथा बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं । यहां की और भारतीय कलाओं में काफी समानता है । यहां अनेक गुफाएं भी मिली हैं जिनमें बुद्ध भिक्षु रहते थे । मौर्य काल में तो अफगानिस्तान मौर्य साम्राज्य का ही भाग था । यहां बौद्ध धर्म का प्रचार सातवीं शताब्दी तक चलता रहा । यहां अनेक भारतीय सिक्के, मूर्तियों और हस्तलिखित ग्रन्थों की प्रतियां प्राप्त हुई हैं जिन पर पाली भाषा और खरोष्टी लिपि उत्कीर्ण है । भारतीयों ने काशगर, खोतान और तुरफान आदि स्थानों पर अपनी बस्तियां बसा रखी थीं । फाह्यान और ह्वेनसांग के कथनानुसार जब उन्होंने मध्य एशिया की यात्रा की तो उस समय सारे प्रदेश में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार था । खोतान और कूची पाली और प्राकृत भाषाओं के बहुत बड़े केंद्र थे । मध्य एशिया के लोगों के नाम भीम, आनन्द सेन और बुद्ध घोष आदि भारतीय नाम होते

थे । शासक महाराजा व देवपुत्र आदि राजाओं की उपाधियां ग्रहण करते थे । रामायण, वेद मंत्र श्री मदभागवत और सत्यनारायण कथाएं वहां बराबर गुंजायमान थीं ।

चीन :–चीन और भारत के सांस्कृतिक संबंध बहुत प्राचीन हैं । इन्हीं के कारण भारतीय संस्कृति भी चीन में पहुंची और उसने वहां के लोगों को अपने रंग में रंग लिया । चीन के सम्राट मिंग टी ने 62 ई. में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, धर्म रत्न कुमार जीव और कश्यप मतंग नामक दो बौद्ध भिक्षुओं को चीन में बुलाया । ये बौद्ध भिक्षु अनेक ग्रंथ चीन में ले गये । उसने बौद्ध धर्म के अनेक ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद कर चीन में भारतीय साहित्य और संस्कृति का खूब प्रचार किया। समय-समय पर चीनी यात्री फाह्यान, ह्वेनसांग और इत्सिंग आदि बौद्ध तीर्थों की यात्रा करने और बौद्ध धर्म सम्बन्धी ग्रंथों को इकट्ठा करने भारत आए । वे कई वर्ष भारत में रहे और यहां की संस्कृति का अध्ययन करते हुए यहां की खगोल, दर्शन, ज्योतिष और दर्शन आदि विभिन्न विधाओं के अनेक ग्रंथ लेकर अपने देश लौटे । चीन के भी अनेक छात्र यहां के तक्षशिला, नालंदा, विक्रम, स्यालकोट और बल्लभी आदि अनेक शिक्षा केंद्रों में अध्ययनरत थे । चीन और भारत के बीच में कई संपर्क मार्ग हैं । मध्य एशिया का मार्ग, असम का मार्ग, तिब्बत का मार्ग तथा समुद्री मार्ग । इन मार्गों के द्वारा भारतीय सहित्य चीन में पहुंचा था । चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले काश्यप मातंग वाले संस्कृत ग्रंथों के चीनी अनुवादों में से अब केवल द्वाचत्वरिशत ही उपलब्ध है । 381 ई. में संघ भूती तथा 384 ई. में गौतम संघदेव नामक कश्मीरी आचार्य चीन में पहुंचे। बाद में गुणवर्मा भी समुद्र के मार्ग से चीन गए । तीनों ने दक्षिणी चीन की राजधानी नानकिंग के जेतवन विहार में रहकर अनेक बौद्ध ग्रंथों का चीनी में अनुवाद किया । काश्मीर से ही नहीं, मध्य प्रदेश से महायान संप्रदाय के विद्वान क्षेमचंद्र जबकि उज्जयिनी से विद्वान, परमार्थ भी चीन गये थे । गांधार देश से बुद्ध भद्र विमोक्ष और जिन्नगुप्त भी बौद्ध धर्म प्रचारक थे । बुद्ध भद्र के प्रचार काल में चीन के प्रसिद्ध विद्वान हुई युआन ने दक्षिणी चीन में एक नये विहार की स्थापना की थी जिसमें प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथों के चीनी अनुवादों को सुरक्षित रखने के लिए अनुवाद पीठ की व्यवस्था की गई थी । 627 ई. में आचार्य प्रभाकर मित्र, 693 ई. में बोधिरुचि तथा 716 ई. में शुभ कर्णसिंह चीन की भूमि में बौद्ध धर्म को और अधिक पल्लवित करने चीन पहुंचे थे । 982 ई. में धर्मदेव की अध्यक्षता में एक मंडली ने वहां 201 ग्रंथों का चीनी में अनुवाद किया ।

थित्सिंह के अनुसार तीसरी सदी के मध्ध में 30 चीनी भिक्षु भारत आए थे और उनके आदर सत्कार के लिये तत्कालीन मगध सम्राट श्री गुप्त ने संघाराम का निर्माण कराया था । 399 ई. में ताओन्गन और फाह्यान ने भारत के वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह, वाराणसी, बोद्ध गया, तक्षशिला, मथुरा और कपिलवस्तु आदि स्थानों के दर्शन किए । यहां उन्होंने संस्कृत का अध्ययन करके बहुत से ग्रंथों का चीनी में स्वयं अनुवाद किया । 404 ई. में भी चेन्मोंग नामक एक भिक्षु के नेतृत्व में 14 चीनी भिक्षुओं की एक मंडली ने भारत के लिए प्रस्थान किया । चेन्मोंग ने कपिलवस्तु तथा पाटलीपुत्र की यात्रा करने के बाद चीन लौटने पर 439 ई. में अपनी यात्रा का वर्णन लिखा । 618 ई. में चीन में तांग वंश का शासन आरंभ हुआ । बौद्ध धर्म में रुचि होने के कारण इस वंश के सम्राटों ने भारत में अनेक मिशन भेजे । तांग सम्राटों ने चीनी युवकों को भारतीय वैदिक तथा पौराणिक साहित्य, दर्शन गणित ज्योतिष और आयुर्वेद का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया । तांग वंश के यहां आए यात्रियों में ह्वेनसांग का नाम और काम बहुत पसंद है । भारत में 16 वर्ष रहकर उसने बौद्ध धर्म का खूब अध्ययन किया। नालंदा में शील भद्र से विज्ञानवाद संप्रदाय का गूढ़ अध्ययन कर इस विषय में उसने पांडित्य प्राप्त किया । सातवीं सदी के उत्तरार्ध में भारत आकर येत्सिंह ने 10 वर्ष नालंदा में रहकर संस्कृत ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार कीं । आठवीं से ग्यारहवीं सदी तक चीनी यात्री भारत में निरंतर आते रहे । हुआई-वेन अंतिम चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म के अध्ययन हेतु भारत आया ।

भारतीय संगीत की छाप भी चीन के संगीत पर दृष्टिगत होती है । 560-578 तक संजीव नाम संगीताचार्य ने जिस संगीत का चीन में प्रचार किया, वह सात सुरों से निर्मित भारतीय संगीत था । ज्योतिष के क्षेत्र में पंचांग तैयार कराने के ध्येय से भारत के नवग्रह नामक ग्रंथ का अनुवाद वहां आज भी

2205 HA/06—10A

उपलब्ध है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र संबंधी ग्रंथ रावणकुमार चरित का चीनी अनुवाद अभी तक भारत की चिकित्सा पद्धति के चीन पर प्रभाव के रूप में प्राप्त है । कुल मिलाकर प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का सुदूर एशियाई देशों के साहित्य, दर्शन, ज्योतिष, कला तथा चिकित्साशास्त्र पर प्रभाव है । इस प्रकार उक्त सभी देशों में भारतीय साहित्य और सभ्यता का गहरा संस्कार समाया हुआ है । भारत से हजारों कोस दूर रहते हुए भी उन्होंने इस संस्कृति और साहित्य को इतनी सुदृढ़ता से छाती से सटा रखा है कि विरोधाभास विचारों की कैसी भी प्रचंड आंधी उन्हें नहीं हिला पाई है । इन देशों की बालू के कण-कण पर हमारे साहित्य की अमिट छाप आज भी बराबर अंकित है । ■

"एक भाषा यानी हिंदी, एके की भाषा यानी हिंदी, एकता की आधारशिला यानी हिंदी।"

—गोपाल प्रसाद व्यास

व्यास, गोपाल प्रसाद : हिंदी को मन-प्राण की भाषा बनाएं
संकल्प 1988, हिंदी अकादमी, नई दिल्ली, पृ. 56-57

"राजनीति, वाणिज्य तथा कला के क्षेत्र में देश की अखंडता के लिए हिंदी की महत्ता की ओर सभी भारतीयों को ध्यान देना चाहिए। चाहे वे किसी भी क्षेत्र के रहने वाले और अपनी-अपनी प्रांतीय भाषाएं बोलने वाले हों।"

—राजगोपालाचारी चक्रवर्ती

चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी : आवर डिमाक्रेसी एंड अदर इश्यूज
(लैंग्वेज़ ईश्यू) मद्रास, बी. जी. पाल एंड क. 1957, पृ. 21-22

"यदि एक भाषा के न होने के कारण भारत में एकता नहीं होती है तो और चारा ही क्या है? तब सारे भारतवर्ष में एक भाषा का व्यवहार करना ही एकमात्र उपाय है। अभी कितनी ही भाषाएं भारत में प्रचलित हैं। इसी हिंदी को यदि भारतवर्ष की एकमात्र भाषा स्वीकार कर लिया जाए तो सहज ही में यह (एकता) संपंन हो सकती है।"

—केशव चंद्र सेन

सुलभ समाचार, 187
भा.सं.स.स.रि., 13-9-1949

2205 HA/06—10B

भारतीय दर्शन : एक परिचय

—ओम प्रकाश द्विवेदी*

मेरे विचार से मानव जाति को धरोहर के रूप में प्राप्त ज्ञान और विज्ञान का संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर, निष्पक्ष भाव से अध्ययन किया जाना चाहिए। प्राच्य और पाश्चात्य देशों के दर्शनों की अपनी-अपनी परंपरा रही है एवं सभी की अपनी-अपनी विशेषताएं हैं। इनका विकास परस्पर निरपेक्ष भाव से हुआ या एक-दूसरे को इन्होंने प्रभावित किया, इस विषय में विद्वान एकमत नहीं हैं। समय और परिस्थिति के अनुसार मनुष्य के विचारों में परिवर्तन होता रहता है और दर्शनशास्त्र भी इससे मुक्त नहीं हैं। आपातद्रष्ट्या भारतीय दर्शन इस नियम के अपवाद से प्रतीत होते हैं। रूढ़िवादी दार्शनिकों की कमोबेश ऐसी ही धारणा है, किंतु वस्तुत: ऐसा है नहीं। सूत्रकार कणाद और गौतम के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत ही आज के नैयायिक को सर्वात्मना स्वीकार हो, ऐसी बात नहीं है। वात्स्यायन, प्रशस्तपाद, उद्योतकर, वाचस्पति मिश्र, उदयन, गंगेश आदि अनेक आचार्यों का उनके विकास में योगदान रहा है। भारतीय दर्शनों की यह विशेषता अवश्य रही है कि उनकी एक लंबी परंपरा रही है और वह अब भी सुरक्षित है, किंतु ऐसी बात नहीं है कि उस निश्चित रेखा पर चलने के कारण उनका कोई विकास न हुआ हो, कोई नवीनता न आई हो। भारतीय चिंतकों ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों का, उनके परस्पर मतभेदों का सयूथ्यवाद के नाम से उल्लेख किया है।

दर्शन ही किसी देश की सभ्यता तथा संस्कृति को गौरवान्वित करता है। दर्शन की उत्पत्ति स्थान-विशेष के प्रचलित विचारों से होती है। अत: दर्शन में स्थानीय विचारों की छाप अवश्य पाई जाती है। भारतीय दर्शनों में मतभेद तो अवश्य पाया जाता है, किंतु भारतीय संस्कृति की छाप रहने के कारण उनमें साम्य भी पाया जाता है। इस साम्य को हम भारतीय दर्शनों का नैतिक तथा आध्यात्मिक साम्य कह सकते हैं। भारत के सभी दर्शन मानते हैं कि दर्शन जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। अत: जीवन के लक्ष्य को समझने के लिए दर्शन का परिशीलन नितांत आवश्यक है।

दर्शन का उद्देश्य केवल मानसिक कौतूहल की निवृत्ति नहीं है बल्कि किस प्रकार मनुष्य दूर-दृष्टि, भविष्य-दृष्टि तथा अंतर्दृष्टि के साथ जीवन-यापन कर सके—इसी की शिक्षा देनी है। भारतीयों में एक आध्यात्मिक मनोवृत्ति है जिससे वे सर्वथा निराश नहीं होते, वरन् जिसके कारण उनमें आशा का संचार होता रहता है। इसे हम विलियम जेम्स के शब्दों में अध्यात्मवाद कह सकते हैं। जेम्स के अनुसार "अध्यात्मवाद उसे कहते हैं जो यह विश्वास दिलाता है कि जगत में एक शाश्वत नैतिक व्यवस्था है और जिससे प्रचुर आशा मिलती रहती है।" (William James—Pragmatism, Page 106-107) इसी प्रकार डेनमार्क के प्रसिद्ध दार्शनिक हेराल्ड हॉफडिंग धर्म की परिभाषा करते हुए कहते हैं—"मनुष्य के अच्छे या बुरे कर्मों का फल नष्ट नहीं होता ऐसे विधान में विश्वास का नाम ही धर्म है।" (Harold Hoffding—Philosophy of Religion, Page 1-13)

भारतीय दर्शनों की एक समानता यह भी है कि वे अज्ञान को बंधन का कारण मानते हैं अर्थात् तत्वज्ञान के अभाव से ही शरीर-बंधन होता है और दु:खों की उत्पत्ति होती है। इनसे मुक्ति तभी मिल सकती है जब संसार तथा आत्मा का तत्वज्ञान प्राप्त हो। पुन: पुन: जन्म ग्रहण करना तथा जीवन के दु:खों को सहना ही मनुष्य के लिए बंधन है। पुनर्जन्म की संभावना का नाश मोक्ष से ही हो सकता है। जैन-मत, बौद्ध-मत, सांख्य तथा अद्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति जीवन के रहते ही हो सकती है। अर्थात् यथार्थ सुख जीवन-काल में भी प्राप्त हो सकता है। बंधन से मोक्ष पाने की जो शिक्षा दी गई है उसका तात्पर्य यह नहीं कि हम संसार से परांगमुख होकर केवल परलोक-चिंता में लगे रहें वरन् इसका तात्पर्य यह कि हम केवल इहलोक तथा इहकाल को ही महत्व न दें। अपनी दृष्टि को केवल इस लोक में सीमित न रखें और अदूरदर्शिता से बचें।

*केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, देहरादून, उत्तरांचल—248179

मनुष्य के दु:खों का मूल कारण अज्ञान है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भारतीय दार्शनिकों के अनुसार दु:खों को दूर करने के लिए केवल तत्वज्ञान ही पर्याप्त है। तत्वज्ञान को स्थायी तथा सफल बनाने के लिए दो प्रकार के अभ्यासों की आवश्यकता है, निदिध्यासन-अर्थात् स्वीकृत सिद्धांतों का अनवरत चिंतन तथा आत्मसंयम। केवल तार्किक युक्ति के द्वारा जो दार्शनिक सिद्धांत स्थापित होते हैं, वे स्थायी नहीं होते। उनका प्रभाव क्षणिक होता है।, अत: कोरे तत्वज्ञान से ही अज्ञान का नाश नहीं होता। भ्रांत संस्कारवश दैनिक जीवन बिताने के कारण हमारा अज्ञान और बद्धमूल हो जाता है। इसलिए हमारे विचार, वचन तथा कर्म, अज्ञान के रंग में रंग जाते हैं। फल यह होता है कि विचार, वचन तथा कर्म से पुष्ट होने के कारण अज्ञान और भी दृढ़तर होता जाता है। ऐसे प्रबल अज्ञान का निराकरण करने के लिए तत्वज्ञान का निरंतर अनुशीलन आवश्यक है। जिस प्रकार निरंतर सांसारिक प्रपंचों में संलग्न रहने से मिथ्याज्ञान या कुसंस्कार की पुष्टि होती है, उसी प्रकार विपरीत दिशा में दीर्घकालिक चिंतन एवं अभ्यास के द्वारा ही उनका क्षय तथा नाश हो सकता है। अत: ज्ञान की परिपक्वता के लिए ज्ञान को शरीर, मन और वचन के द्वारा जीवन में उतारने की साधना निरंतर करते रहनी चाहिए। साधना के बिना न तो अज्ञान का नाश ही हो सकता है, न तत्वज्ञान के प्रति हमारा विश्वास ही जम सकता है।

सिद्धांतों का एकाग्रचित्त से मनन करने के लिए तथा उन्हें जीवन में चरितार्थ करने के लिए आत्मसंयम की आवश्यकता है। सुकरात ने कहा है कि "ज्ञान ही धर्म है (Virtue is Knowledge)।" किंतु उनके अनुयायियों में इसके प्रति मतभेद था। उनके अनुयायी मानते थे कि तत्वज्ञान प्राप्त होने से ही धर्म नहीं होता है। हमारे कर्म स्वभावत: धार्मिक नहीं होते। उनकी उत्पत्ति बहुधा वासनाओं तथा नीच प्रवृत्तियों के कारण होती है। अत: जब तक तृष्णाओं तथा नीच प्रवृत्तियों का पूर्ण नियंत्रण नहीं हो जाता जब तक हमारे कर्म पूर्णतया नैतिक तथा धार्मिक नहीं हो सकते।

"जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः।
जानाभ्यधर्मं न च में निवृत्तिः।।"–पंचदशी, 6. 176

साधारणत: हमारे कर्म राग-द्वेष से ही उत्पन्न होते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां राग-द्वेष के अनुसार ही कार्य करती हैं। यह सही है कि इंद्रियों का विवेक-मार्ग पर चलना नितांत कठिन है किंतु यह परम वांछनीय है। इसके लिए अखंड अभ्यास तथा सदाचार की आवश्यकता है, तथा उचित दिशा में अखंड प्रयत्न करना ही 'अभ्यास' है। मन, राग-द्वेष, ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय का नियंत्रण ही आत्मसंयम कहलाता है। आत्मसंयम का अर्थ इंद्रियों की वृत्ति का केवल निरोध करना ही नहीं है, बल्कि उनकी कुप्रवृत्तियों का दमन कर उन्हें विवेक के मार्ग पर चलाना है। श्रीमद्भगवद्गीता में भी कहा गया है–

"रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्।
आत्मवश्यै विंधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति।।"

– **गीता**, अध्याय-2 श्लोक 64

हिंदू धर्म का इतिहास भारत के राजनैतिक इतिहास से मेल नहीं खाता। यह लगभग 40 शताब्दियों (2000 वर्ष ईसा पूर्व से आज तक) से भी अधिक प्राचीन है, जिसमें लगभग छह शताब्दियों (1200 ई. से 1750 ई.) में मुगलों का शासन रहा तथा मात्र डेढ़ शताब्दी (1800 ई. से 1947 ई. तक) अंग्रेज राज कर सके। यदि प्राचीन युग की समाप्ति मानें तो वह अद्वैत दर्शन के संस्कार, पद्धति की स्थापना और हिंदुत्व की बौद्ध तथा जैन धर्म पर अधिकारिता के साथ 9वीं शताब्दी में होती है। मध्य युग का आरंभ रामानुज और माधव के भक्ति सिद्धांत के साथ प्रारंभ होकर इसी की समाप्ति पर 18वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त होता है तथा आधुनिक युग का प्रारंभ हिंदू धर्म में नए सुधारों, यथा-सन् 1830 में राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म् समाज की स्थापना से प्रारंभ होता है।

यद्यपि वेदों के रचनाकाल का निर्धारण कठिन है किंतु आधुनिक विद्वानों के मतानुसार यह 2500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व का होना चाहिए। वैदिक काल का साहित्य यह सिद्ध करता है कि मंत्रों, ब्राह्मणों एवं आरण्यकों की रचना उपनिषदों के साथ-साथ तीन चरणों में हुई। वेदों के मंत्र मानव-मस्तिष्क की अर्धमानवीकृत प्राकृतिक शक्तियों यथा–अग्नि, वायु, इंद्र (वर्षा) से लेकर अंतत: एक परम शक्ति तक की यात्रा है। पहले वैदिक देवताओं के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं था क्योंकि वे सभी प्रकृति के रूप ही थे, एक ही नाम से कई देवों को पुकारा जाता था, एक ही प्रकार की शक्तियां कई देवताओं को प्राप्त थीं। निष्कर्षत: यह माना जाता था कि वे सभी एक ही परमशक्ति के अंश थे और किसी एक की अराधना से दूसरों की उपेक्षा हो सकती थी।

इस कारण एक समय दो प्रमुख देवता उभरकर आए इंद्र–शक्ति के देव तथा वरुण–धर्म तथा न्याय के देव, किंतु किसी को भी सर्वोच्च स्थान नहीं प्राप्त हो सका। कालोपरांत अधोगति को प्राप्त होते हुए इंद्र स्वर्ग के देव बने और वरुण समुद्र के।

एक समय, एक विशेष गुण यथा-रचना शक्ति, का मानवीकरण कर, कुछ देवताओं को सर्वोच्च स्थान प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार सर्वोच्च स्थान प्राप्त देवताओं की एक शृंखला–सी बन गई यथा–प्रजापति, अदिति, प्राण और काल। वैदिक ऋषियों ने सभी मानवतारोपित सिद्धांत को नकारते हुए अद्वैतवाद की नई राह अपनाई जो उपनिषदों में और भी सशक्त रूप से विकसित हुआ।

भारतीय दर्शनों को आस्तिक और नास्तिक दो वर्गों में रखा जा सकता है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा की आस्तिक दर्शन में तथा चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन की नास्तिक दर्शन में गणना की जाती है। नास्तिक दर्शन की भी छह संख्या को पूर्ण करने के लिए बौद्ध दर्शन के चार उपभेदों–माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक और वैभाषिक का परिगणना किया जाता है। कणाद, गौतम, कपिल, पंतजलि, जैमिन और बादरायण के द्वारा छह आस्तिक दर्शनों की प्रवृत्ति हुई और इन दर्शनों का स्वतंत्र विकास हुआ, किंतु आज न्याय से वैशेषिक दर्शन की तथा संख्या से योगदर्शन की अभिन्नता-सी स्थापित हो गई है। इस प्रकार, पूर्व एवं उत्तर मीमांसा की भी अनेक मान्यताएं समान हैं। परवर्ती काल में ब्रह्मसूत्रों पर अनेक भाष्यों की रचना हुई, किंतु इनकी प्रमाण और प्रमेय मीमांसा पर न्याय-वैशेषिक दर्शन की छाप अधिक स्पष्ट है। पूर्व मीमांसा से समानता आज शांकर वेदांत की है। **'व्यवहारे भाट्टनयः'** कहकर शांकर वेदांतियों ने इसको स्पष्ट मान्यता दी है।

भारतीय दर्शन की सभी प्रवृत्तियों एवं धाराओं का वर्गीकरण करने के लिए इसका आस्तिक और नास्तिक भेद से किया गया विभाग अपर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी भेद से भी भारतीय दर्शनों का विभाग माना गया है। इसमें आगमिक दर्शनों का भी समावेश हो जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय दर्शन द्वैत, द्वैताद्वैत और अद्वैत दृष्टि से भी किसी एक का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वैदिक धर्म में आत्मा की एकता पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। जो मनुष्य इस तत्व को समझ लेगा, वह किससे प्रेम नहीं करेगा? जो यह समझ जाएगा कि 'घट-घट में तोरा साईं रमत है,' वह किस पर नाराज होगा? किसे मारेगा? किसे पीटेगा? किसे सताएगा? किसे गाली देगा? किसके साथ बुरा व्यवहार करेगा?

यस्मिनसर्वाणि भूतानी आत्मैवाभूद्विजानतः।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यत॥

जो मनुष्य सब प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है, उसके लिए किसका मोह, किसका शोक?

वैदिक धर्म का मूल तत्व यही है। इस सारे जगत में ईश्वर ही सर्वत्र व्याप्त है। उसी को पाने के लिए हमें मनुष्य का यह जीवन मिला है। उसे पाने का जो रास्ता है, उसका नाम है धर्म।

वेदांत दर्शनः (विशेष संदर्भः शंकर का अद्वैतवाद) वेदांत की उत्पत्ति उपनिषदों से हुई है। उपनिषदों में वैदिक विचारधारा विकास के शिखर पर पहुँच गई है। अतः उपनिषदों को वेदांत कहना नितांत यथार्थ है। शंकर का अद्वेतवाद भी वेदांत पर ही आधारित है। यह माधव के द्वैतवाद और रामानुज के विशिष्ट द्वैतवाद से सर्वथा भिन्न है। अद्वैत ('एक ही परम सत्ता' या 'दूसरा कोई नहीं') भारत का सबसे लोकप्रिय धर्मदर्शन है तथा पश्चिम में भी काफी लोकप्रियता प्राप्त हुई है।

शंकर के अनुसार ब्रह्म ही परम सत्य है; उसके अतिरिक्त कोई और सत्य नहीं। ब्रह्म ही सत्, चित् और आनंद है। ये उसके गुण नहीं अपितु सारतत्व हैं। वह सभी गुणों, अवगुणों से परे है। शंकर के अनुसार ब्रह्म वर्णनातीत है। ब्रह्म ने किसी संसार की रचना नहीं की, यह संसार तो उसकी जादुई शक्ति 'माया' द्वारा रचा गया है। माया ब्रह्म की शक्ति है अतः उसमें तथा ब्रह्म में भेद नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही जैसे आग और उसकी ज्वलनशक्ति में भेद नहीं हो सकता। माया की सहायता से यह जादूगर इस संसार में तमाशा दिखाता रहता है, अज्ञानी इसे ही सत्य मान लेते हैं जबकि ज्ञानी इस भ्रम के पीछे के सत्य अर्थात् ब्रह्म को पहचानता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई बाजीगर जादू का खेल दिखाकर दर्शकों को भ्रम में डाल देता है किंतु वह स्वयं उस भ्रम में नहीं पड़ता। इसी प्रकार, सृष्टि की माया भी दो

2205 HA/06—11

प्रकार से समझी जा सकती है। ईश्वर के लिए वह केवल लीला की इच्छा है, ईश्वर स्वयं उस माया से मुग्ध नहीं होता। माया हमारे लिए भ्रम का कारण है, अत: माया को अविद्या या अज्ञान भी कह सकते हैं। इसके दो कार्य हैं–जगत के आधार, ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप छिपा देना और उसे संसार के रूप में आभासित करना। जो ब्रह्मज्ञानी संसार की भूलभुलैया में नहीं पड़ता और जगत को ब्रह्ममय देखता है उसके लिए न कोई भ्रम है न माया, उसके लिए ईश्वर भी मायावी नहीं।

किसी द्रव्य के विकार का आभास (जैसे रस्सी का सांप के रूप में दिखाई देना) विवर्त कहलाता है, अत: शंकर का मत **'विवर्तवाद'** भी कहलाता है। उपनिषदों में जो सृष्टि का वर्णन आता है वह इस अर्थ में कि ब्रह्म की माया से संसार बन जाता है। शंकर इसे मानते हैं कि इस माया को कहीं-कहीं अव्यक्त या प्रकृति भी कहा गया है जो सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों से युक्त है । शंकर के इस विवर्तवाद के कई गुण हैं। एक तो यह कि शास्त्रीय वचनों की संगत व्याख्या इस मत से हो जाती है। दूसरे, यह सृष्टि का अधिक युक्तिसंगत कारण बताता है।

यदि ऐसा माना जाय कि ईश्वर सृष्टिकर्ता है और अचेतन प्रकृति, तब ईश्वर के अतिरिक्त उस दूसरी वस्तु की सत्ता भी माननी पड़ती है और इस तरह ईश्वर ही एकमात्र सर्वव्यापी सत्ता नहीं रह जाते, उनकी असीमता नष्ट हो जाती है। परंतु उसकी प्रकृति को सत्य भी मानते हैं और ईश्वर में आश्रित भी, और इस संसार को उसका वास्तविक परिणाम मानते हैं तो एक दुविधा उपस्थित हो जाती है। (ब्रह्मसूत्र 2/1/26/28) प्रकृति या तो ईश्वर का एक अंश मात्र है अथवा संपूर्ण ईश्वर से अभिन्न है। यदि पहला विकल्प मान लिया जाए (जैसा रामानुज मानते हैं) तो यह आपत्ति आ जाती है कि ईश्वर भी भौतिक द्रव्यों की तरह सावयव और अतएव उन्हीं की तरह विनाशी सिद्ध हो जाता है। यदि दूसरा विकल्प (अर्थात् प्रकृति संपूर्ण ईश्वर से अभिन्न है) माना जाए तो यह बाधा उपस्थित होती है कि तब प्राकृतिक विकास का अर्थ हो जाता है संपूर्ण ईश्वर का जगत के रूप में परिणत हो जाना। वैसी अवस्था में यह मानना पड़ेगा कि सृष्टि होने के उपरांत कोई ईश्वर नहीं रहता। यदि ईश्वर में सचमुच विकार होता है तो वह विकार चाहे आंशिक हो या पूर्ण, ईश्वर को किसी हालत में नित्य निर्विकार नहीं कहा जा सकता, और तब वह ईश्वर कहलाने के योग्य ही नहीं रहता। विवर्तवाद को मान लेने पर ये कठिनाइयां दूर हो जाती हैं, **क्योंकि विकार आभास मात्र है, वास्तविक परिवर्तन नहीं है।**

संदर्भ ग्रंथ–

1. भारतीय दर्शन–श्री सतीश चंद्र चट्टोपाध्याय एवं श्री धीरेन्द्र मोहन दत्त, प्रकाशक पुस्तक भंडार, पटना–1958

2. भारतीय दर्शन–संपादक–डॉ. नन्द किशोर देवराज, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, लखनऊ, तृतीय संस्करण, 1983.

3. न्यायसिद्धञ्जनम्–वेदान्तदेशिकविरचितम्, (गंगा नाथ झा–ग्रंथमाला भाग-2) स्वर्गीयनील मे घाचार्येण हिन्दीभाषया अनूद्य संपादितम्, प्रकाशक :–वाराणसेय संस्कृतविश्वविद्यालय: वाराणसी, 1888 तमे शकाब्दे ।

4. A Library of Hindu Philosophy and Religion-Gen. Editor-Surendra Nath Shastri-Bharti Research Institute, Delhi, First Edition, 1952

5. The Religion of The Hindus-Editor-Kenneth W. Morgan, The Ronald Press Company, New York, Edition-1953

6. The Foundation of Hinduism-Dr. Jadunath Sinha, Sinha Publishing House, Calcutta, Edition-1955

7. Hindu Civilization and the Twenty-First Century-V. Ramanathan, Bhartiya Vidya Bhavan, Mumbai, First Edition-2004. ■

पत्रकारिता

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस

—डॉ० बसंतीलाल बाबेल*

प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। विचारों की अभिव्यक्ति का यह एक सशक्त माध्यम है। प्रेस ही मानव मन के विचारों को जन-जन तक पहुंचाता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्रेस जनता एवं शासन-प्रशासन के बीच कड़ी का कार्य करता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ (ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 597) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने लोकतंत्र की सफलता के लिए प्रेस को अपरिहार्य बताया है।

संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। यही वह अधिकार है जिस पर व्यक्ति का मानसिक एवं बौद्धिक विकास निर्भर करता है। अभिव्यक्ति ही विचारों के आदान-प्रदान का एक सशक्त माध्यम है। यद्यपि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन परोक्ष रूप से यह इसमें सम्मिलित है क्योंकि प्रेस के माध्यम से ही व्यक्ति के विचारों को जनसाधारण तक पहुंचाया जाता है (एम. हसन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार-ए.आई.आर. 1998 आंध्रप्रदेश 35)।

वीरेंद्र बनाम पंजाब राज्य (ए.आई.आर. 1958 एस. सी. 986) के मामले में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा यही कहा गया है कि संविधान के अंतर्गत प्रेस को अलग से कोई स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है । प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) के अंतर्गत प्रदत्त वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही निहित है ।

इन रि हरिजयसिंह तथा इन रि विजय कुमार (ए.आई. आर. 1997 एस.सी. 73) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता को सभी स्वतंत्रताओं की जननी कहा है । यह व्यक्ति के मानसिक एवं बौद्धिक तथा समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है । सत्य का अन्वेषण प्रेस के बिना संभव नहीं है । संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) के अंतर्गत प्रदत्त वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है ।

ठीक ऐसे ही विचार इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर बनाम भारत संघ (ए.आई.आर. 1986 एस.सी. 872) के मामले में अभिव्यक्त किए गए हैं । इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि-प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है । यह व्यक्ति के मानसिक एवं बौद्धिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है ।

कुल मिलाकर प्रेस की स्वतंत्रता वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक महत्वपूर्ण अंग है । प्रेस ही वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पोषण करता है । विचारों के प्रचार-प्रसार के माध्यम से प्रेस वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मूर्त रूप प्रदान करता है (श्रीनिवासन बनाम मद्रास राज्य, ए.आई.आर. 1951 मद्रास 79) ।

प्रेस का सूचना पाने का अधिकार

बदलते हुए परिवेश में न्यायिक निर्णयों के माध्यम से प्रेस की सूचना एवं साक्षत्कार के अधिकार की पुष्टि की गई है ।

प्रभा दत्त बनाम भारत संघ (ए.आई.आर. 1982 एस. सी. 6) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि पत्रकार एवं प्रेस से जुड़े व्यक्तियों को किसी तथ्य के संबंध में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है । साथ ही

* पोस्ट-लावा सरदारगढ़, जिला-राजसमंद (राजस्थान)-313330

2205 HA/06—12A

उन्हें सूचना के स्रोत तक पहुंचने का भी हक है । पत्रकार एवं प्रेस से जुड़े व्यक्ति किसी बंदी से साक्षात्कार कर सकते हैं यदि ऐसा बंदी साक्षात्कार के लिए तैयार हो । अकारण ही उन्हें साक्षात्कार से नहीं रोका जा सकता ।

इस संबंध में एक और मामला एम. हसन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (ए.आई.आर. 1998 आंध्र प्रदेश 35) का है । एम. हसन एक पत्रकार एवं वृतचित्र निर्माता है । इस मामले में एम. हसन आंध्र प्रदेश की एक जेल में मृत्यु दंड की प्रतीक्षा कर रहे अभियुक्त एस. चेलापति राव आदि से साक्षात्कार करना चाहता था । लेकिन जेल अधिकारियों द्वारा उसे यह कहते हुए साक्षात्कार की अनुमति नहीं दी गई कि इससे–(क) शांति एवं सुरक्षा भंग होने की आशंका है, (ख) न्यायालय की गरिमा पर आंच आ सकती है, (ग) लोगों द्वारा अभियुक्तों की सजा में कमी करने का अभियान छेड़ा जा सकता है, एवं (घ) स्वयं अभियुक्त एक बार साक्षात्कार देने से मना कर चुका है ।

पिटीशनर द्वारा इसे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई । न्यायालय ने पिटीशनर की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि–यदि अभियुक्त स्वेच्छा से साक्षात्कार देना चाहते है तो पिटीशनर को साक्षात्कार लिये जाने से नहीं रोका जाना चाहिए । न्यायालय ने यह भी कहा कि–"संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है । इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है । लोकतंत्र की सफलता मुक्त, उचित, ईमानदार एवं स्वतंत्र प्रेस पर निर्भर करती है । प्रेस पर अयुक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जाना उचित नहीं है ।

लेकिन एस.पी. आनन्द बनाम भारत संघ (ए.आई. आर. 2000 मध्यप्रदेश 47) के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि कारगिल जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में कोई व्यक्ति सूचना पाने के अधिकार का क्लेम नहीं कर सकता ।

प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध

प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में एक प्रश्न उठता है कि क्या यह निरपेक्ष है अर्थात् क्या प्रेस की स्वतंत्रता अबाध है? इसका उत्तर नकारात्मक मिलता है । जिस प्रकार अन्य कोई स्वतंत्रता अबाध नहीं है उसी प्रकार प्रेस की स्वतंत्रता भी अबाध नहीं है । संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगाए गये हैं वे ही प्रतिबंध प्रेस की स्वतंत्रता पर भी हैं । संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्नांकित परिस्थितियों में प्रतिबंध लगाया जा सकता है–

(क) भारत की प्रभुता और अखंडता

(ख) राज्य की सुरक्षा

(ग) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध

(घ) लोक व्यवस्था

(ङ) शिष्टाचार एवं सदाचार

(च) न्यायालय अवमानना

(छ) मानहानि, एवं

(ज) अपराध उद्दीपन ।

इन प्रतिबंधों की पुष्टि उच्चतम न्यायालय द्वारा सकल पेपर्स (ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 305) तथा एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स (ए.आई.आर. 1986 एस.सी. 872) के मामलों में की गई है । इन मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता उन सभी मर्यादाओं के अध्यधीन है जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19(2) में किया गया है ।

ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें संविधान के अनुच्छेद 19(2) के परिप्रेक्ष्य में प्रेस की स्वतंत्रता को निर्बंधित किया गया है, जैसे–

(क) राज्य की सुरक्षा को संकट उत्पन्न हो जाने पर (रोमेश व्यापार बनाम मद्रास राज्य ए.आई. आर. 1950 एस.सी. 124)

2205 HA/06—12B

(ख) हत्या, बलवा अथवा अन्य आपराधिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देने वाले विचारों की अभिव्यक्ति पर (बिहार राज्य बनाम शैलबाला देवी ए. आई. आर. 1952 एस.सी. 329)

(ग) लोक व्यवस्था के आधार पर (राधेश्याम शर्मा बनाम पी.एम.जी. ए.आई. आर. 1965 एस. सी. 311)

अभी हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने केरल व्यापारी व्यवसायी एकोपना समिति, ओट्टापल्लम बनाम केरल राज्य (ए.आई. आर. 2000 केरल 389) के मामले में ऐसी हड़तालों एवं बंद को असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं का अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। स्वतंत्रता के नाम पर किसी भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल को जबरन हड़ताल कराने तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कराने का अधिकार नहीं है। ठीक ऐसे ही निर्णय पूर्व में भी दिए गए थे। भरत कुमार बनाम केरल राज्य (ए.आई.आर. 1997 केरल 291) कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया बनाम भरत कुमार (ए.आई. आर. 1998 एस.सी. 184) डॉ. बी.एल. वडेहरा बनाम स्टेट (ए.आई.आर. 2000 दिल्ली 266) एवं रांची बार एसोसियेशन बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1999 एस.सी. 169) के मामलों में अधिवक्ताओं एवं राजनीतिक दलों की हड़तालों को भी इसी आधार पर असंवैधानिक ठहराया गया है।

कुल मिलाकर आशय यह है कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर न तो प्रेस को और न ही किसी अन्य व्यक्ति या राजनीतिक दल को मनमानी करने की छूट दी जा सकती है।

प्रतिबंध की सीमा

यहाँ एक प्रश्न यह भी उठता है कि वाक् एवं अभिव्यक्ति तथा प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की सीमा क्या हो? जिस प्रकार स्वतंत्रता अबाध नहीं हो सकती, उसी प्रकार प्रतिबंध भी अबाध नहीं हो सकते। प्रतिबंधों का समुचित एवं युक्तियुक्त होना अपेक्षित है। ऐसे कई विनिर्णय हैं जिनमें अयुक्तियुक्त प्रतिबंधों को असंवैधानिक घोषित किया गया है, जैसे –

(क) समाचार पत्रों की पृष्ठ संख्या एवं कीमत सुनिश्चित कर देना (एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1986 एस.सी. 872) (सकल पेपर्स बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 305)।

(ख) समाचार पत्रों के परिचालन पर प्रतिबंध, आरम्भ पर रोक तथा चालू रखने के लिए सरकारी सहायता की अनिवार्यता (एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 578)।

(ग) अनावश्यक सेंसर (बृजभूषण बनाम दिल्ली राज्य ए.आई.आर. 1950 एस.सी. 129) एवं बाबूलाल बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.आई. आर. 1961 एस.सी. 884)।

(घ) अनुच्छेद 19(2) में वर्णित आधारों से भिन्न आधारों पर प्रतिबंध आदि (बैनेट कौलमेन बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 106)। ■

"उर्दू शहरों की जबान है और हिंदी गांवों की भाषा है। अवश्य ही हिंदी शहरों में भी बोली जाती है लेकिन उर्दू तो पूरी तरह शहरी भाषा ही है।"

–जवाहरलाल नेहरू

नेहरू, जवाहरलाल : राष्ट्रभाषा का सवाल, पृ. 13

साक्षरता में लिंग भेद

—डा. ओमराज सिंह*

देश के संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षित करने की सुविधा देने के पीछे उद्देश्य यह रहा है कि महिला भी अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है । उसे पुरुषों के समान सामाजिक रूप से स्वतंत्रता एवं समान स्तर को पाने के लिए सामाजिक व्यवस्था का संविधान में प्रावधान रखा गया है ।

देश के सभी नागरिकों के विकास एवं राष्ट्रीय विचारधारा से ओत-प्रोत भावी पीढ़ी तैयार करने के लिए महिला शिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ एवं उपयुक्त साधन है । इसका प्रसार करने का राष्ट्रव्यापी प्रयत्न होना जरूरी है । सूचना क्रांति के मौजूदा दौर में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तीव्र गति से बदलाव आ रहा है। इस बदले परिवेश में अच्छे कल की कल्पना तभी की जा सकती है जब प्रत्येक क्षेत्र में लिंग भेद को समाप्त हो ।

शिक्षा व्यक्ति की उन्नति तथा उसके विकास में सहायक है । महिला एवं पुरुष दोनों यदि शिक्षित हैं, तब परिवार एवं देश का विकास निश्चित रूप से हो सकता है तथा असमानता का दोष भी खत्म किया जा सकता है । यदि विश्व स्तर पर देखा जाए, तब हम पाते हैं कि महिला सदैव पुरुषों से पीछे रही है । यह स्थिति संतुलित और स्थाई विकास के प्रति अनुकूल नहीं है । संयुक्त राष्ट्र संघ ने 28 वर्ष पहले इस प्रतिकूल स्थिति को आंका तथा उसके दुष्प्रभावों को परखा । सन् 1975 में संघ की आमसभा में महिला कल्याण पर व्यापक बहस की गई थी तथा वर्ष 1975 को 'अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष' के रूप में मनाया गया । महिलाओं को ध्यान में रखकर 1975 में मैक्सिको में, 1980 में कोपेनहेगन में, 1985 में नेरौबी में तथा 1995 में बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयाजित किए गए। सन् 1996 में ट्रीनीडाड तथा टोबैगो में तथा 1997 में एडिनबर्ग में भी महिलाओं से संबंधित अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन आयोजित किए गए, परन्तु लिंगभेद पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाया ।

भारतीय संविधान तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न बरतने की हिदायत देता है । संविधान में तो सभी को विकास के अवसर समान रूप से प्रदान किए जाने का प्रावधान है । इतना सब कुछ होते हुए भी भारत में लिंग-भेद का चलन समाज में आज भी मौजूद है ।

आज भारत में साक्षरता दर में वृद्धि होने के साथ ही लिंग-भेद भी प्रखर रूप से व्याप्त है । आज स्कूलों में महिलाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है । यदि हम महिला एवं पुरुषों की साक्षरता का तुलनात्मक विश्लेषण करें तो पाते हैं कि विगत छह दशकों में दोनों में साक्षरता के बीच विद्यमान अंतर में थोड़ा बहुत अंतर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है ।

भारत में साक्षरता दर में लिंग-भेद

वर्ष	पुरूष साक्षरता	महिला साक्षरता	कुल साक्षरता	अंतर
1951	27.16	8.86	18.33	18.30
1961	41.50	13.15	28.30	28.35
1971	47.69	19.36	34.45	28.33
1981	56.38	29.76	43.57	26.62
1991	64.13	39.29	52.21	24.84
2001	75.85	54.16	65.38	21.79

स्रोत—जनगणना पुस्तिका, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001

*संकाय सदस्य, निपसिड 5, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया हौज खास, नई दिल्ली-110016

लिंग भेद के कारण देखा गया है कि साक्षरता दर में वृद्धि होने के बावजूद महिलाओं की संख्या निरंतर कम हो रही है, जो समाज के लिए चिंतन का विषय है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में यह एक विकराल रूप धारण कर लेगा । एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम ही है ।

लिंग-भेद (एक हजार पुरुषों पर)

वर्ष	लिंग-भेद
1981	934
1991	927
2001	933

उच्च शिक्षा में महिलाएं

स्नातक/स्नातकोत्तर/व्यावसायिक प्रोग्राम

वर्ष	1990-91		1996-97		1999-2000	
स्तर	महिला	कुल	महिला	कुल	महिला	कुल
स्नातक बी.ए./ बी.काम, बी. एस.सी	1.14	3.29	1.82 (37.4)	4.87	2.66 (40.9)	6.51
स्नातकोत्तर एम.ए/एम. एम.एस.सी एम.काम	0.12	0.35	0.17 (30.5)	0.54	0.22 (39.6)	0.55
पी.एच.डी/डी. एस.सी/ डी.फिल	0.01 (26.2)	.03	0.01 (29.2)	0.04	0.02 (35.4)	0.05
बी.ई/बी.एस. सी. बी.आर्किटेक्ट	0.03 (34.3)	0.08	0.04 (35.4)	0.12	0.05 (37.8)	0.14
एम.बी.बी.एस.	0.03 (34.3)	0.08	0.04 (35.4)	0.12	0.05 (37.8)	0.14
कुल	1.30 (33.0)	3.99	2.09 (35.3)	5.90	3.03 (39.8)	7.61

नोट- ब्रेकिट में संख्या प्रतिशत को दर्शाती है।

स्रोत- शिक्षा प्रभाग, मानव मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि महिलाएं उच्च शिक्षा जैसे बी.ए., बी एस सी., बी काम., मेडिसन. एम.ए, एम. एस., सी. पी.एच. डी के क्षेत्र में आई हैं तथा उनकी संख्या 1.32 मिलियन (33%) 1990-91 में तथा 3 मिलियन (39.8 प्रतिशत) 1999-2000 में हो गई, जोकि उनके उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने को दर्शाती है, परन्तु शिक्षा में प्रवीण होने के बाद भी महिलाओं के साथ भेदभाव का वातावरण अभी भी व्याप्त है।

महिलाओं को उच्च शिक्षित होने के बाद भी लिंग-भेद से गुजरना ही पड़ता है, जो कि राष्ट्र के विकास के लिए अच्छा नहीं है। दोनों को समाज में बराबर का दर्जा मिलना ही चाहिए, परंतु मिल नहीं पा रहा है।

बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर

1980-81 से 1999-2000

वर्ष	पहली से पांचवी			पहली से आठवीं		
	लड़की	लडका	कुल	लड़की	लड़का	कुल
1980-81	62.5	56.2	56.7	79.4	68.0	72.7
1990-91	46.0	40.1	52.6	65.1	59.1	60.9
1999-2000	42.3	38.7	40.3	58.0	52.0	54.6
(1980-2000 के बीच कम हुई)	20.2	17.5	18.4	21.4	16.0	18.1

स्रोत–शिक्षा प्रभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

तालिका से स्पष्ट है कि सभी कक्षाओं में बीच में ही पढाई छोड़ देने में बालकों की तुलना में बालिकाओं का प्रतिशत अधिक है। खासतौर पर यह भी देखा एवं महसूस किया जाता रहा है। कि ज्यों-ज्यों कक्षाओं का स्तर ऊंचा होता जाता है, त्यों त्यों ऐसी बालिकाओं का प्रतिशत भी ऊंचा होता जाता है। बीच में पढ़ाई छोड़ देने का प्रमुख कारण उनसे घरेलू कामकाज करवाना और उनकी शिक्षा की उपेक्षा करने का रवैया है ।

वास्तव में महिला शिक्षा में अपेक्षित वृद्धि न होने के कारण ही लिंग भेद की प्रखरता विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती है। महला साक्षरता दर कम होने का प्रमुख कारण है महिला शिक्षा के प्रति जागरूक न होना। आमतौर पर अब लोग बालिकाओं को स्कूल भेजने लगे हैं, परंतु अभी भी अधिकांश परिवारों में बालिकाओं की शिक्षा पर होने वाले व्यय को अपव्यय ही माना जाता है।

मानव जीवन को संस्कारवान बनाने का महती कार्य शिक्षा द्वारा संपन्न होता रहा है। किसी भी राष्ट्र के विकास का मानक वहां के शिक्षित एवं संस्कारशील नागरिक होते हैं। इस प्रकार राष्ट्र के सर्वतोन्मुखी विकास का कार्य शिक्षा ही करती है, किंतु यह तभी संभव है, जब राष्ट्र की शिक्षा पद्धति उस राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरुप हो। यह सच्चाई है कि भारतीय शिक्षा पर पश्चिम का गहरा प्रभाव है, जिसके कारण हमारी शिक्षा पद्धति मूल भारतीय चिंतन से भटक गई है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता हमारी शिक्षा को भारतीय जीवन से जोड़ने की है, जिससे शिक्षा का क्रम महिला व पुरुष के बीच लिंग भेद के आधार पर न चले।

राष्ट्र के निर्माण और पुननिर्माण में महिला और पुरुष दोनों का योगदान रहता है। यदि इनमें से कोई एक वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाता है तो राष्ट्र का अपेक्षित निर्माण नहीं हो पाता है। साक्षरता में लिंग भेद समाप्त करने में कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं हो सकते। यदि कानूनी प्रावधान पर्याप्त होते तो यह भिन्नता न जाने कब की समाप्त हो गई होती। इसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति, विशेष तौर से महिलाओं को आगे आना होगा। यदि शिक्षित महिलाएं अपने ही वर्ग का हित न सोच सके तो इससे बदतर स्थिति और क्या होगी? शिक्षित महिला द्वार-द्वार जाकर अनपढ़ माता-पिता की बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरुक करें। जिस दिन महिला व पुरुष बराबर शिक्षित हो सकें उस दिन समाज, घर राष्ट्र में चारों तरफ अमन-चैन होगा। जीवन हर तरह से सूखी व आरामदायक होगा। आने वाला कल आज से बेहतर होगा। ■

भारतीय लोकतंत्र में सूचना के अधिकार की महत्ता

—दिनेश मोहन चड्ढा*

"सरकार के कार्यकरण के संबंध में सूचना का प्रकटन नियम होना चाहिए और गोपनीयता इसका अपवाद"

—न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती

सामान्य परिचय—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी होने के फलस्वरूप हमारा भारतीय जनतंत्र अब सही अर्थों में जनतंत्र बन गया है। यदि इस विधायन को देश के प्रजातांत्रिक इतिहास में मील का एक पत्थर कहा जाए, तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी क्योंकि इसने पहली बार मुक्त सरकार की अवधारणा को विधि मान्यता देते हुये, देश की जनता के हाथों में एक ऐसा शक्तिशाली अस्त्र सौंप दिया है जिसके द्वारा वे अपने समान्य जीवन को प्रभावित करने वाली लगभग सभी शासकीय नीतियों, निर्णयों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं इत्यादि के बारे में कोई भी सुसंगत जानकारी अब सहजतापूर्वक बिना किसी भय व संकोच के एक अधिकार के रूप में मांग सकते हैं, जोकि इस कानून के अभाव में असंभव न सही लेकिन दुष्कर अवश्य था। निश्चय ही हमारी विधायिका ने इस कानून का निर्माण कर जहां एक ओर मानवाधिकारों के लोकतांत्रिक विस्तार को नवीन आयाम प्रदान किया है वहीं दूसरी ओर देश की शासन व्यवस्था में दिन-प्रतिदिन पल्लवित होती जा रही भ्रष्टाचार और प्राधिकार के दुरुपयोग की कुत्सित प्रवृत्ति को निरुत्साहित करते हुये पारदर्शिता व जवाबदेही के एक नये युग का भी सूत्रपात कर दिया है जिसके लिये वे भूरि-भूरि प्रशंसा के पात्र हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 निर्मित करने के प्रयोजन एवं विकासक्रम—आखिर भारतवर्ष में सूचना के अधिकार को पृथक रूप से विधायी मान्यता प्रदान किये जाने की आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई? इसके लिये सबसे प्रमुख कारण यह है कि हमारे देश में शासन तंत्र ने स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक कभी गोपनीयता के नाम पर तो कभी राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता व लोकहित इत्यादि को आवरण बनाकर जनसाधारण को कई शासकीय निर्णयों व कार्यवाहियों से अनभिज्ञ बनाये रखा जिसके परिणामस्वरूप एक ओर सरकारी भ्रष्टाचार को बल मिलता गया वहीं दूसरी ओर शासन द्वारा निर्मित कई कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं का लाभ भी आम जनता तक नहीं पहुंच सका जिसे लेकर देश के नागरिकों के मन में कहीं न कहीं अविश्वास और रोष की भावना जन्म लेने लगी। अधिकांश अवसरों पर सम्यक् सूचना व जानकारी के अभाव में आम जनता यह तक नहीं जान पाती थी कि उसके विकास, कल्याण व सुरक्षा के लिये सरकार द्वारा कितना धन आंबंटित किया गया और वह कहां पर व किस तरह खर्च हुआ। इन्हीं जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुये हमारी विधायिका को यह प्रतीत होने लगा कि यदि हमें अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनसहभागिता को सही अर्थों में सम्मिलित करना है तथा जनता में विश्वास की यह भावना पैदा करनी है कि सरकार व उसके अभिकरण निरंकुश या अनियंत्रित नहीं हैं बल्कि अंततः जनता के प्रति जवाब्रदेह हैं तो इसके लिये यह अत्यंत आवश्यक है कि सर्वप्रथम सरकारी सूचनाओं की पहुंच जनमानस तक सहजतापूर्वक सुनिश्चित की जाए अर्थात् आम आदमी भी यह जान सके कि शासन व प्रशासन जनता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन किस सीमा तक कर रहे हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में सूचना संबंधी कानून को अस्तित्व में लाने के लिए इससे पूर्व भी कई प्रयास किए गए। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गोवा, दिल्ली, महाराष्ट्र व असम इत्यादि कई राज्यों ने अपने-अपने स्तरों

*विधि प्रवक्ता, पुलिस अकादमी अधिकारीगण आवास, कांठ रोड, मुरादाबाद-244001

पर सूचना के अधिकार को कानूनी रूप प्रदान किया। साथ ही केंद्रीय स्तर पर भी सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 निर्मित किया गया। लेकिन यथार्थ के धरातल पर यह सभी विधायी उपाय इस दिशा में अत्यन्त दुर्बल, निष्प्रभावी और अपर्याप्त साबित हुये जिस कारण संसद को अंततः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पारित करना पड़ा।

इस अधिनियम के प्रमुख तत्व निम्नवत् हैं :–

सूचना का अर्थ–इस लोक कल्याणकारी कानून में सूचना को बड़े ही व्यापक ढंग से परिभाषित किया गया है और तदनुरूप अनेकों प्रकार की जानकारियां, चाहे वह जिस भी रूप में हों, इसमें समाविष्ट हो गयी हैं। इस व्यवस्था के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति अभिलेख, ई-मेल, सलाह, विचार, प्रेस विज्ञप्ति, आदेश, दस्तावेज, रिपोर्ट, नमूने व इलेक्ट्रानिक आंकड़ों के रूप में अंकित या निजी संस्थाओं से जुड़ी ऐसी प्रत्येक सूचना सहजतापूर्वक प्राप्त कर सकता है जिस तक किसी लोक अधिकारी की पहुंच कानून के अधीन है ।

सूचना पाने का क्षेत्र–वस्तुतः सूचना संबंधी इस नवीन कानून के माध्यम से अब देश का प्रत्येक नागरिक बिना किसी अवरोध या पक्षपात के, किसी भी लोक प्राधिकारी के नियंत्राणाधीन सूचनाओं की मांग कर सकता है। यहां पर यह स्पष्ट कर देना अत्यंत समीचीन है कि "लोक प्राधिकारी" के अंतर्गत न केवल केंद्र व राज्य सरकारों के सभी विभाग तथा उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं आती हैं बल्कि इसमें वे सभी गैर-सरकारी संगठन भी सम्मिलित हैं जिन्हें सरकार से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। लेकिन साथ ही इस संबंध में यह जानना भी अत्यंत आवश्यक है कि कुछ विशिष्ट सुरक्षा व गुप्तचर संस्थाएं इस कानून की परिधि से बाहर रखी गई हैं अर्थात् इन संस्थाओं से कोई भी जानकारी अधिकारस्वरूप नहीं मांगी जा सकती परंतु यदि प्रकरण भ्रष्टाचार और मानवाधिकार हनन से संबंधित है तो ऐसी दशा में ये संस्थाएं भी निश्चित रूप से सूचना संबंधी कानून की परिसीमा में आ जाएंगी ।

सूचना सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी तंत्र–हमारे राष्ट्र के जन-जन तक सरकारी सूचनाओं की पहुंच सुगमतापूर्वक सुनिश्चित करने के लिए यह कानून एक अत्यंत व्यापक एवं सक्रिय तंत्र की व्यवस्था करता है जिसके अनुसरण में प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण/निकाय/विभाग के ऊपर यह विधिक बाध्यता आरोपित की गयी है कि वह अनिवार्य रूप से अपने यहां एक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करे जिसका सर्वप्रमुख कर्तव्य जनता से सीधे आवेदन प्राप्त कर उन्हें अपेक्षित सूचनायें प्रदत्त करना होगा। । इतना ही नहीं बल्कि उक्त सूचना अधिकारियों के कृत्यों पर समुचित निगरानी रखने के उद्देश्य से अधिनियम में केंद्रीय व राज्य स्तर पर सूचना आयोगों के गठन की व्यवस्था भी की गई है ताकि नागरिकों के सूचना संबंधी अधिकार का किसी भी अवस्था में अतिक्रमण न हो सके ।

सूचना के अधिकार का व्यावहारिक उपयोग–हमारे दैनिक जीवन में नित्य प्रति ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं जिनका प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए हम उक्त कानून द्वारा संरक्षित, अपने सूचना संबंधी अधिकार को उपयोग में ला सकते हैं । दृष्टांतस्वरूप एक प्रकरण निम्नलिखित है –

"अ" नामक व्यक्ति एक प्राथमिक विद्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत है तथा उसकी आय इतनी अल्प है कि वह उससे अपने समूचे परिवार का पालन-पोषण बड़ी कठिनाई से कर पाता है । एक दिन दुर्भाग्यवश उसका राशन कार्ड भी खो गया और इस प्रकार उसके जीवन की परिस्थितियां अपेक्षाकृत और भी अधिक जटिल बन गईं । अतः कुछ समय पश्चात् उसने अपने सहकर्मियों से परामर्श करके स्थानीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कार्यालय में अपने नाम से दूसरा राशन कार्ड जारी करने के लिए आवेदन किया परंतु कई माह बीत जाने के बाद भी न तो उसको दूसरा राशन कार्ड ही मिल पाया और न ही उसके द्वारा इस विषयक् द्वारा बार-बार पूछताछ किये जाने पर उसे कार्यालय की ओर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया । वस्तुतः ऐसी कष्टकारी परिस्थिति उत्पन्न हो जाने पर उक्त कानून "अ" को यह प्रभावी विकल्प प्रदान करता है कि वह अपने सूचना संबंधी अधिकारों का प्रयोग करते हुए संबंधित विभाग से यह जानकारी मांगे कि उसके आवेदन पर अब तक क्या प्रगति हुई है, कौन-कौन से कर्मचारीगण इससे संबद्ध रहे हैं तथा उनके विरुद्ध उपेक्षा प्रमाणित हो जाने पर क्या-क्या कार्यवाहियां की जा सकती हैं ।

निश्चय ही ''अ'' द्वारा उठाए गये इस कदम से न केवल उसके नाम पर यथाशीघ्र दूसरा राशन कार्ड निर्गत होने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा अपितु विभाग को अपने कर्मचारियों/अधिकारियों की अकर्मण्यता लिखित रूप में स्वीकार करनी पड़ेगी और तत्पश्चात दोषी व्यक्ति दंडित होने से नहीं बच पाएंगे। साथ ही इसका एक अन्य दूरवर्ती परिणाम यह भी होगा कि विभाग के दूसरे कर्मचारीगण भी भविष्य में अपने-अपने कार्यों को सम्यक् तत्परता व शीघ्रता के साथ निस्तारित करने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार धीरे-धीरे पूरे शासकीय तंत्र में ईमानदारी की संस्कृति विकसित होने लगेगी तथा सरकारी कार्यालयों में निर्दोष जनता के साथ शोषण की घटनाओं पर पूर्ण विराम लग जायेगा ।

इसके अतिरिक्त सरकारी निर्माण कार्यों एवं विकास योजनाओं में व्यय हुए धन का पूरा ब्यौरा मांगने, सांसदों व विधायकों का लेखा-जोखा जानने, शासकीय अभिलेखों का निरीक्षण करने, भ्रष्टाचार को उजागर करने, राहत कार्यों में होने वाली अनियमितता को जनता के समक्ष लाने तथा आम आदमी से जुड़ी इस प्रकार की कई अन्य समस्याओं के समाधान के लिए भी सूचना का अधिकार वास्तव में एक वरदान साबित हो सकता है ।

सूचना प्राप्त करने की रीति—सूचना पाने के लिए एक अत्यंत सरल व सहज प्रक्रिया विहित करना, इस कानून की सर्वप्रमुख विशेषता कही जा सकती है, जिसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो इस कानून के अधीन सूचना प्राप्त करना चाहता है, उससे मात्र इतनी अपेक्षा की गयी है कि वह संबंधित लोक सूचना प्राधिकारी के समक्ष अंग्रेजी, हिंदी या उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में नियत शुल्क के साथ आवेदन करे, इससे अधिक कुछ नहीं अर्थात् यह कानून न तो आवेदनकर्ता पर सूचना मांगे जाने के कारणों को प्रकट करने की बाध्यता डालता है और न ही अन्य किसी प्रकार के असंगत व्यक्तिगत विवरण देने की । यहां तक कि यदि ऐसा आवेदन निर्धन रेखा से नीचे की श्रेणी में आता है तो ऐसी विकट परिस्थिति में उसके लिए शुल्क संबंधी उपर्युक्त बाध्यता भी पूर्णतया समाप्त कर दी गयी है जोकि इस कानून का एक और मानवीय पक्ष उजागर करता है।

इसके अतिरिक्त आवेदनकर्ता द्वारा अपना सूचना संबंधी आवेदन भूलवश किसी गलत प्राधिकारी के समक्ष दे दिये जाने पर यह विशिष्ट व्यवस्था भी की गयी है कि ऐसी दशा में उसी प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह उक्त आवेदन को न केवल निर्धारित समय में संबंधित विभाग या प्राधिकारी के पास भिजवाएं अपितु इसकी सूचना भी आवेदक को दें।

सूचना देने के लिए निर्धारित समय सीमा—यह जनकल्याणकारी कानून, लोक सूचना अधिकारी पर इस बात की बाध्यता आरोपित करता है कि वह सूचना पाने संबंधी आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदनकर्ता को उसके द्वारा मांगी गई वे समस्त सूचनाए उपलब्ध कराए जोकि विधि के अन्तर्गत अनुमन्य हैं । लेकिन यदि मांगी गयी सूचना किसी व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता से संबंध रखती है तो ऐसी दशा में यह समयावधि प्रकरण की संवेदनशीलता को अधिमान्यता देते हुए मात्र 48 घंटे विहित की गई है ।

सूचना के अधिकार पर निबंधन—जहां एक ओर इस कानून के अंतर्गत समस्त नागरिकों को सूचना पाने का विस्तृत व सशक्त अधिकार प्राप्त है वहीं दूसरी ओर इस तथ्य पर भी विशेष ध्यान दिया गया है कि कही सूचना के अधिकार के नाम पर व्यक्ति, समाज या देश के व्यापक हित में गोपनीय रखी जाने वाली आवश्यक जानकारियों का प्रकटीकरण न हो जाये। वास्तव में इसी मंशा से, कुछ विशिष्ट प्रकार की सूचनाएं उक्त अधिनियम द्वारा सार्वजनिक किये जाने से संरक्षित की गई हैं अर्थात् लोक सूचना अधिकारी ऐसी सूचनाओं को प्रथमदृष्टया ही देने से इंकार कर सकता है। इस श्रेणी में आने वाली कुछ प्रमुख सूचनाएं निम्न प्रकार हैं–

- ऐसी सूचना जिसके प्रकटीकरण से देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, वैज्ञानिक व आर्थिक हित या दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हों।

- ऐसी सूचना जिसके प्रकाशन पर न्यायालय ने कोई प्रतिबंध लगा रखा हो।
- ऐसी सूचना जिसके प्रकट किये जाने से किसी व्यक्ति का जीवन या शारीरिक सुरक्षा अनावश्यक रूप से खतरे में पड़ जाए।
- ऐसी सूचना जिसके प्रकटीकरण से संसद व राज्य विधान मंडलों के विशेषाधिकार हनन की पूर्ण आशंका हो।
- ऐसी सूचना जो किसी अपराध को प्रेरित करने वाली हो।
- ऐसी सूचना जिसके प्रकटीकरण से न्यायालय की अवमानना हो सकती हो।
- ऐसी सूचना जो अन्वेषण की प्रकिया, बंदीकरण या अपराधियों के अभियोजन को रोकने की क्षमता रखती हो।

लेकिन इन सबके बावजूद प्रस्तुत परिपेक्ष्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि लोक सूचना अधिकारी को उपर्युक्त में से किसी सूचना का प्रकटीकरण जनहित में विशेष रूप से लाभकारी प्रतीत होता है तो ऐसी दश में वह उक्त विषयों पर भी सहजतापूर्वक सूचनाएं प्रदान कर सकता है ।

सूचना उपलब्ध न कराने की दशा में दंड:–यदि लोक सूचना अधिकारी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आवेदनकर्ता को नियत समयावधि के भीतर वांछित सूचना प्रदान करने में असफल रहता है या जानबूझकर असत्य, अपूर्ण व भ्रामक सूचनाएं देता है या सूचना प्रदत्त करने में किसी प्रकार की बाधा डालता है या फिर अपेक्षित सूचना को ही नष्ट कर देता है तो ऐसी अवस्था में संबंधित सूचना अधिकारी को 250 रुपये प्रतिदिन का अर्थदंड देना होगा जोकि अधिकतम 25000 रुपये तक हो सकेगा।

सूचना के अधिकार का उल्लंघन होने पर उपचार:–इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस कानून की व्यवस्थाओं का उल्लंघन किये जाने पर आवेदनकर्ता को उपचार रहित नहीं रखा गया है बल्कि उसे यह प्रभावी विकल्प प्रदान किया गया है कि वह संबंधित सूचना अधिकारी की कार्यवाहियों से संतुष्ट न होने पर उसके विरूद्ध बिना किसी भय व संकोच के दो स्तरों पर अपील का सहारा ले सकता है । प्रथमत: लोक सूचना अधिकारी से पद में वरिष्ठ अधिकारी के पास और द्वितीय केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के समक्ष । साथ ही अधिनियम में यह विशिष्ट व्यवस्था भी की गयी है कि ऐसी अपीलों का निस्तारण 30–45 दिनों के भीतर अवश्य ही कर दिया जाए।

सूचना के अधिकार को लेकर व्याप्त भ्रांतियां एवं उनका समाधान–हालांकि सूचना संबंधी इस कानून की स्पष्टता, प्रभावोत्पादकता व जनोपयोगिता को लेकर संशय की कोई भी स्थिति दिखाई नहीं देती। तथापि कुछ प्रमुख शंकाओं का विवरण एवं उनका तर्कसंगत समाधान निम्नलिखित है–

- लोक सूचना अधिकारियों के समक्ष इतनी विपुल संख्या में सूचना पाने संबंधी आवेदन दिऐ जाएंगे कि इसके परिणाम स्वरूप सामान्य शासकीय कार्य भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पायेगा।

  वास्तविकता यह है कि यदि हमारे देश के समस्त लोक अधिकारी व्यवहार में अपने कार्यों को पूरे मनोभाव, निष्ठा, ईमानदारी व पारदर्शिता को साथ सम्पन्न करें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि तब जनता को इस विषयक जांच-पड़ताल करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी और इस प्रकार सूचना पाने संबंधी आवेदन केवल सीमित संख्या में तथा विशिष्ट परिस्थितियां उत्पन्न होने पर ही दिए जाएंगे अन्यथा नहीं।
- इस कानून के क्रियान्वयन पर बहुत अधिक शासकीय खर्च आयेगा।

  जबकि वास्तविकता इसके पूर्णतया विपरीत है जिसके अनुसार यदि सूचना संबंधी कानून का समुचित ढंग से पालन किया जाए तो इसके फलस्वरूप सरकार कार्यों में अनियमितता व भ्रष्टाचार पर पूर्णतया अंकुश लग जायेगा तथा इसका एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम यह भी

होगा कि शासन द्वारा आबंटित धनराशि केवल सही स्थानों पर ही व्यय होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि इस हमारे शासकीय कोष पर किसी प्रकार का अनावश्यक, अनुचित या अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा बल्कि इसके विपरीत शासकीय धन का दुरुपयोग सभी दृष्टिकोण से असंभव हो जायेगा और इस प्रकार अंततः शासन को बचत ही होगी न कि हानि।

- कई अवसरों पर जनता पूर्णतया अनावश्यक असंगत व निरर्थक सूचनाओं की मांग करने लगेगी।

इस आशंका में भी उपर्युक्त की भांति तर्क करने योग्य कोई युक्तियुक्त अंश विद्यमान नहीं है। बल्कि इसमें कल्पना का पुट अधिक प्रतीत होता है। वस्तुतः इस प्रकार की सोच एक प्रकार से नकारात्मक मानसिकता का परिचय प्रस्तुत करती है क्योंकि आज के प्रगतिशील एवं व्यस्त दिनचर्या वाले समाज में विरला ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जोकि बिना किसी प्रयोजन के अपना अमूल्य समय व नियत शुल्क अदा करके शासन तंत्र के पास पूर्णतया अनावश्यक व निरर्थक सूचनाएं एकत्र करने के लिए जाएगा। अतः इस प्रकार यह भ्रांति भी निराधार है ।

निष्कर्ष:—उपर्युक्त विवेचना के समग्र परिशीलन के आधार पर यह कहना पूर्णतया न्यायसंगत होगा कि सूचना का अधिकार किसी भी रूप में होने वाले सत्ता के निरंकुश प्रयोग को पूर्णतया निरुत्साहित करता है और वास्तव में इसी मूल प्रयोजन की पूर्ति के लिये हमारी सर्वोच्च विधायिका ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पारित करके जहां एक ओर भारतीय जनगण के प्रति अपने सम्मान को पुनः प्रकट किया है वहीं दूसरा ओर देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सही अर्थों में न्यायपूर्ण, कार्यकुशल, जनता के प्रति संवेदनशील, पारदर्शी व उत्तरदायित्व की भावना से अनुपूरित करने की दिशा में एक गंभीर कदम उठाया है अर्थात् संसद ने इस कानून के माध्यम से जन मानस के बीच यह संदेश प्रचारित-प्रसारित करने का हर संभव प्रयास किया है कि अब वे सरकारी तंत्र के समक्ष पूर्णतया असहाय नहीं है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अपने सूचना संबंधी अधिकार को एक शस्त्र के रूप में प्रयुक्त करते हुये शासन की प्रत्येक इकाई से जवाबदेही की मांग कर सकते हैं जोकि इससे पूर्व व्यवहार में अत्यंत दुष्कर समझा जाता था। वस्तुतः इस कानून के द्वारा लोक सेवकों की जवाबदेही सुनिश्चित करके उनकी अकर्मण्यता, अकुशलता, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, निरंकुशता, अनुशासनहीनता एवं भ्रष्टाचार की मनोवृत्ति पर एक प्रकार का प्रभावी अंकुश लगा दिया गया है । इसी व्यवस्था का यह एक सुखद परिणाम कहा जा सकता है कि आज देश का साधारण से साधारण नागरिक भी शासकीय व्यवस्था में व्याप्त त्रुटियों को दूर करने में सक्षम हो गया है।

निश्चय ही यदि आने वाले समय में सूचना संबंधी इस कानून का उचित ढंग से क्रियान्वयन किया गया तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके फलस्वरूप न केवल सरकारी तंत्र द्वारा निरीह जनता का अनावश्यक उत्पीड़न निवारित हो सकेगा अपितु हमारा राष्ट्र भी विकास के प्रत्येक चरण में जनसहभागिता को साथ लेते हुए प्रगति के नए-नए शिखरों को स्पर्श करना प्रारंभ कर देगा। ■

"भाषा के भेद से और बाधा नहीं पड़ेगी, सब लोग अपनी-अपनी मातृभाषा की रक्षा करके हिंदी को साधारण भाषा के रूप में पढ़कर इस भेद को नष्ट कर देंगे।"

—महर्षि अरविंद

घोष, अरविंद : धर्म, साप्ताहिक राष्ट्रभाषा, पृ. 17

भारतीय संविधान की निर्माण–कथा

—प्रो० योगेश चंद्र शर्मा*

भारत को गुलामी के शिकंजे में जकड़ लेने के बाद इंग्लैंड ने अपनी संसद द्वारा बनाये गए कानूनों को ही यहां लागू किया था। उस समय हमारे यहां न तो कोई संविधान था और न संविधान–सभा। अलग-अलग विषयों पर बिखरे हुए अलग–अलग कानून थे, जिनसे शासन संचालित होता था। अंग्रेजों के अधीन भारत का संविधान, स्वयं भारतवासियों के द्वारा ही बनाया जाए, इस प्रकार का विचार सर्वप्रथम लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने प्रस्तुत किया । उन्होंने 1895 ईसवी में अपने अन्य साथियों के सहयोग से भारत के लिए स्वराज्य–विधेयक का प्रारूप तैयार किया था, जिसमें पहली बार भारत के लिए स्वतंत्र और इंग्लैंड से पृथक संविधान–सभा के गठन की बात कही गयी थी । जैसाकि स्वाभाविक था, अंग्रेजी सरकार ने उनके इस विधेयक पर कोई ध्यान नहीं दिया। 1922 में महात्मा गांधी ने यह कहकर कि 'भारतीय संविधान, भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा', संविधान–सभा के इस विचार को आगे बढ़ाया। 1924 में स्वराज्य पार्टी की तरफ से पंडित मोतीलाल नेहरू ने भारत में संविधान–सभा की मांग की, जिसे अंग्रेजी सरकार ने अस्वीकार कर दिया। श्री एम.एन. राय ने भी इस विचार धारा को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय भूमिका अदा की। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी यह घोषणा की "यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलना है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की एक प्रतिनिधि सभा बुलायी जानी चाहिए, जो सर्वसम्मत संविधान का निर्माण कर सके।" कांग्रेस की इस घोषणा के पीछे पंडित जवाहर लाल नेहरू की विशेष भूमिका थी।

1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति करते समय अंग्रेजी सरकार में तत्कालीन भारत–मंत्री श्री बर्कनहेड ने यह चुनौती दी थी कि भारतवासी स्वयं अपना संविधान बनाने के लिए योग्य और सक्षम नहीं है तथा इसीलिए भारतीय प्रशासन में आवश्यक हेरफेर करने के लिए उन्हें स्वयं कमीशन की नियुक्ति करनी पड़ रही है। भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कांग्रेस की ओर से फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की 25 बैठकें हुई और उसके बाद 19 मई को इस सम्मेलन का पुनः आयोजन किया गया जिसमें भारतीय संविधान के लिए आवश्यक रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया । नौ सदस्यों वाली इस कमेटी के अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू और सचिव थे पंडित जवाहर लाल नेहरू । इस कमेटी ने लम्बे विचार विमर्श के उपरान्त अपनी रिपोर्ट दी, जिसे 'नेहरू–रिपोर्ट' कहते हैं। इस रिपोर्ट की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक व्यक्तियों ने भूरि–भूरि प्रशंसा की, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया।

कांग्रेस ने अपने 1936, 1937 तथा 1938 के अधिवेशनों में देश के लिए उसकी अपनी संविधान–सभा की आवश्यकता पर बल दिया तथा उसकी मांग की। 1939 के अधिवेशन में इस संबंध में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें कहा गया–"एक स्वतंत्र देश के संविधान–निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान–सभा है । जनतंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास न रखने वाले लोग ही इस मांग का विरोध कर सकते हैं ।"

भारतवासियों द्वारा बार–बार की जा रही संविधान–सभा की मांग को अंततः अंग्रेजी सरकार ने अपनी अगस्त 1940 की ऐतिहासिक घोषणा में इन शब्दों के साथ स्वीकार किया–'भारत का संविधान स्वभावतः स्वयं भारतवासियों द्वारा ही बनाया जाएगा।' 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा प्रस्तुत रपट में इस बात को और अधिक स्पष्ट शब्दों में

*10/611, मान सरोवर, जयपुर-302020.

स्वीकार करते हुए कहा गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान–सभा का गठन होगा, जो भारत के लिए संविध ान तैयार करेगी। 1946 में केबिनेट मिशन ने अपनी रपट में संविधान–सभा का विस्तृत ब्योरा तैयार किया, जिसके अनुसार हमारे यहां संविधान–सभा का गठन हुआ । देश के विशाल आकार तथा उन दिनों हमारे यहां निरंन्तर बढ़ रहे सांप्रदायिक उपद्रवों कारण अंग्रेजी सरकार की दृष्टि में संविधान–सभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव संभव और व्यावहारिक नहीं थे इसलिए संविधान–सभा का गठन परोक्ष चुनावों द्वारा हुआ। यह निश्चित है कि यदि प्रत्यक्ष चुनाव होते, तो भी संविधान–सभा में कमोबेश वही सदस्य आते, जो परोक्ष चुनावों द्वारा आए।

केबीनेट–मिशन की योजना के अनुसार संविधान–सभा के कुल 389 स्थानों में से ब्रिटिश भारत (अंग्रेजी सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण का क्षेत्र अर्थात देशी रियासतों को छोड़कर शेष भारत) को 296 स्थान (मुसलमान–78, सिख–4, चीफ कमिश्नर के क्षेत्र–4 और साधारण–210) तथा देशी रियासतों को 93 स्थान दिए गए । जुलाई 1946 में 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए। कांग्रेस को 208 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई । मुस्लिम लीग को 73 स्थान मिले तथा 8 स्थानों पर निर्दलीय उम्मीद्वारों ने विजय प्राप्त की। कम्यूनिस्ट पार्टी का केवल एक उम्मीद्वार विजयी रहा। शेष छह स्थान अन्य छोटे दलों को मिले। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को वहां के नरेशों ने अपनी–अपनी व्यवस्था के अनुसार भेजा, लेकिन उन्हें संविधान–सभा में सम्मिलित तभी किया गया जब उनकी रियासत ने भारत संघ में सम्मिलित होने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू–कश्मीर के अतिरिक्त अन्य रियासतों ने अगस्त 1947 तक अपनी यह स्वीकृति दे दी थी। इसलिए इन रियासतों के प्रति–निधियों को अगस्त 1947 तक संविधान–सभा में सम्मिलित कर लिया गया तथा शेष तीन रियासतों के प्रतिनिधि बाद में सम्मिलित हुए। मुस्लिम लीग ने चुनावों में तो भाग लिया, लेकिन अपनी पाकिस्तान की जिद पर अड़े रहने के कारण उसने संविधान–सभा का बहिष्कार किया। पंजाब में फैल रही अव्यवस्था और सांप्रदायिक दंगों के कारण वहां के कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि भी संविधान–सभा की बैठक में भाग नहीं ले सके । अंतिम रूप में संविधान–सभा में कुल 294 सदस्यों ने भाग लिया।

संविधान–सभा की प्रथम बैठक सोमवार 9 दिसम्बर 1946 को प्रात: ग्यारह बजे शुरू हुई, जिसमें श्री सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान–सभा की इस पहली बैठक में 210 सदस्य उपस्थित थे । 11 दिसम्बर 1946 को संविधान–सभा की बैठक में डॉ. राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो अंत तक इस पद पर बने रहे। इसके दो दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य–प्रस्ताव, सभा में प्रस्तुत किया, जो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इस उद्देश्य–प्रस्ताव में मुख्य बातें इस प्रकार थीं :–

1. भारत एक पूर्ण संप्रभुता संपन्न गणराज्य होगा, जो स्वयं अपना संविधान बनाएगा ।
2. भारत संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे, जो इस समय ब्रिटिश भारत में है या देशी रियासतों में है या इन दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र हैं, जो प्रभुता संपन्न भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं।
3. भारतीय संघ तथा उसकी इकाइयों में समस्त राजशक्ति का मूल स्रोत स्वयं जनता होगी।
4. भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजमीतिक न्याय, पद, अवसर और कानूनों की समानता, विचार, भाषण, विश्वास, व्यवसाय, संघ–निर्माण और कार्य की स्वतंत्रता, कानून तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन प्राप्त होगी।
5. अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ी जातियों और कबायली जातियों के हितों की रक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
6. अवशिष्ट शक्तियां इकाइयों के पास रहेंगी।

उद्देश्य–प्रस्ताव पर विचार व्यक्त करते हुए श्री के. एम. मुन्शी ने कहा था–"उद्देश्य संबंधी यह प्रस्ताव ही हमारे स्वतंत्र गणतंत्र की जन्मकुंडली है।" इसी उद्देश्य–प्रस्ताव के आधार पर भारत के संविधान का निर्माण हुआ।। परिवर्तन केवल इतना हुआ है कि केंद्र को दृढ़ बनाने की दृष्टि से अवशिष्ट शक्तियां इकाइयों को न सौंपकर केंद्र को दी गई।

संविधान-सभा के परामर्शदाता श्री वी.एन. राव थे। उन्हीं के निर्देशन में संविधान-सभा के कार्यालय ने 60 देशों के संविधानों के प्रमुख तथ्यों को तीन भागों में संकलित करके सदस्यों में वितरित किया तथा मुख्यत: उन्हीं के निर्देशन में विभिन्न समितियों की सिफारिशों के आधार पर संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया। डॉ राजेंद्र प्रसाद (संविधान सभा के अध्यक्ष) के निर्देशानुसार श्री राव ने अमरीका, कनाडा, इंग्लैंड तथा आयरलैंड आदि देशों की यात्रा की और वहां किये गए अपने अध्ययन तथा विचार विमर्श के निष्कर्ष स्वरूप उन्होंने अपना प्रतिवेदन संविधान-सभा को प्रस्तुत किया।

संविधान-सभा के कुल अठारह सत्र हुए। प्रथम छ: सत्रों में लक्ष्यमूलक संकल्प पारित किये गए। 23 दिसम्बर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक हुए 11 सत्रों में संविधान के प्रारूप पर विचार करके उसे पारित किया गया। अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को हुआ, जिसमें संविधान पर हस्ताक्षर किये गए। संविधान-सभा ने अपना अधिकांश कार्य विभिन्न समितियों के माध्यम से किया, जो अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग बनायी गयी थी। उदाहरणार्थ प्रांतीय संविधान समिति, संघशक्ति समिति, मूल अधिकार समिति, प्रक्रिया-समिति, संचालन समिति आदि। संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप देने का दायित्व प्रारूप-समिति को सौंपा गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉ. भीमराव अंबेडकर। 19 अगस्त 1947 को गठित इस सात सदस्यीय समिति के अन्य सदस्य थे—एन. गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के. एम. मुन्शी, बी. एल. मित्तर और डी.पी. खेतान। कुछ समय बाद बी.एल. मित्तर के स्थान पर एन. माधवराव को ले लिया गया और डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाने के बाद उनका स्थान टी.टी. कृष्णमाचारी को दे दिया गया।

श्री बी.एन. राव के निर्देशन में तैयार किये गए प्रारूप और उनके प्रतिवेदन पर संविधान-सभा में विचार किया गया। संविधान-सभा में अनेक सुझाव दिये गये। ये सब सुझाव तथा संविधान का प्रथम प्रारूप, प्रारूप-समिति को सौंप दिये गये। डॉ. अंबेडकर की अध्यक्षता में इस समिति ने प्रारूप पर गहराई से विचार विमर्श किया और 26 अक्तूबर 1948 को संशोधित प्रारूप संविधान-सभा के अधयक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद को प्रस्तुत कर दिया। इस प्रारूप की प्रतिलिपियां सदस्यों में वितरित की गयीं और 4 नवम्बर 1948 से संविधान-सभा ने इस संशोधित प्रारूप पर विचार प्रारम्भ किया। यह प्रथम वाचन था, जो 9 नवम्बर तक चला। प्रारूप पर द्वितीय वाचन 15 नवम्बर 1948 से शुरू हुआ। इस वाचन में प्रत्येक धारा पर विस्तार से विचार हुआ। जनता ने भी इस विचार विमर्श में भरपूर रूचि ली। संविधान-सभा की कार्यवही को कुल 53000 दर्शकों ने देखा। संशोधन के लिए कुल 7635 सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से संविधान-सभा ने अपने इस द्वितीय वाचन में 2473 पर गंभीरता और विस्तार से विचार किया। एक-एक धारा पर संविधान-सभा में अलग-अलग मतदान किया गया और उसके बाद संविधान की प्रस्तावना पर विचार विमर्श हुआ। 11 माह की लंबी अवधि के विचार विमर्श के उपरांत 17 अक्तूबर 1949 को द्वितीय वाचन पूरा हुआ और संविधान-सभा ने संशोधित प्रारूप को स्वीकार किया। विशेष बात यह रही कि लगभग सभी धाराओं पर निर्णय या तो सर्वसम्मति से लिया गया क्या प्रबल बहुमत से। प्रारूप पर यह दूसरा वाचन संविधान-सभा के दसवें अधिवेशन में पूरा हुआ।

द्वितीय वाचन में प्रारूप को पारित करने के उपरांत उसे प्रारूप-समिति को पुन: सौंपा गया, ताकि वह उसमें वर्तनी तथा विराम चिन्हों आदि की दृष्टि से संशोधन करके अंतिम रूप दे सके। प्रारूप समिति ने तीन नवंबर 1949 तक अपना यह काम पूरा करके उसे संविधान-सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दिया। संविधान-सभा के 11वें अधिवेशन में, संविधान के प्रारूप पर तीसरा वाचन 14 नवंबर से 17 नवंबर 1949 तक हुआ तथा 26 नवंबर 1949 को इसे अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। यह भी तय किया गया कि इस संविधान को देश में 26 जनवरी 1950 से लागू किया जाए। कारण था 26 जनवरी का एतिहासिक महत्व। सन् 1930 में इसी दिन भारतवासियों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली थी और तब से हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता-दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। संविधान-सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, जब इस पर सदस्यों ने तथा अन्य संबधित व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए। संविधान पर कुल 308

हस्ताक्षर किए गए। इसी अधिवेशन में डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना, जिसमें कुल 395 अनुच्छेद और आठ अनुसूचियां हैं।

भारत की संविधान-सभा में उस समय के लगभग सभी विद्वान राजनेता और विशिष्ट प्रबुद्ध व्यक्ति उपस्थित थे। पूर्वोक्त सदस्यों के अतिरिक्त अन्य उल्लेखनीय नाम हैं-पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पुरुषोतम दास टंडन, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, हृदय नाथ कुंजरू, के.टी. शाह, जे. बी. कृपलानी, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डा. जयकर, डॉ, सच्चिदानंद सिन्हा तथा एच. एस गौड़। संविधान के अर्धविराम, विराम तथा व्याकरण संबंधी अन्य अशुद्धियों को ठीक करने में श्री नाजिरूद्दीन अहमद की विशेष भूमिका रही। संविधान-सभा के अधिवेशन कुल 167 दिन चले। प्रारूप-समिति की बैठकें 114 दिन चली। संविधान निर्माण पर कुल व्यय 6,396,729 रुपये हुए। संविधान निर्माण में कुल समय लगा 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन।

संविधान को चाहे कितना ही सोच समझकर क्यों न बनाया जाए, वह हमेशा के लिए पूर्ण नहीं हो सकता। युग की रफ्तार के साथ उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ती ही है। अतएव संशोधन के लिए स्वयं संविधान में ही किसी संस्था को अधिकृत कर दिया जाता है, जो ऐसी परिस्थितियों में संविधान-सभा का कार्य करती है। हमारी संविधान में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत यह अधिकार संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई मत को सौंपा गया है। इसके साथ ही कुछ विशेष अनुच्छेदों में संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधायिकाओं की स्वीकृति भी आवश्यक है। कुछ धाराएं ऐसी भी हैं, जो संसद के साधारण बहुमत से संशोधित की जा सकती हैं।

"हिंदी को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार करने में अन्य प्रांतों की भाषा के संबंध में कोई अपमान की भावना या ईर्ष्यालु भावना नहीं है। हमें अपनी प्रांतीय भाषाओं से भी उतना ही प्रेम है जितना कि हिंदी से। ये सब भाषाएं अपने-अपने क्षेत्र में उन्नत होती रहेंगी। वास्तव में कुछ प्रांतीय भाषाएं हिंदी की अपेक्षा अधिक संपन्न हैं, परंतु फिर भी हिंदी अखिल हिंदुत्व की राष्ट्रभाषा होने के लिए सब प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है।"

–विनायक दामोदर सावरकर

सावरकर, विनायक दामोदर : हमारी समस्याएं, पृ. 30

राजभाषा संबंधी गतिविधियां

(क) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

कार्यालय, महाप्रबंधक (राजभाषा) पूर्व रेलवे, 17, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001

क्षेरेराकास की तिमाही बैठक 20-03-2006 को संपन्न हुई। महाप्रबंधक/पूर्व रेलवे श्री श्याम कुमार की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक के मुख्य अतिथि थे सांसद, राज्यसभा माननीय श्री वशिष्ठ नारायण सिंह।

मुख्य राजभाषा अधिकारी (मुराधि) ने कहा कि माननीय सांसद श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी के अनुभवों से रेलवे प्रशासन को हिंदी के काम-काज को विस्तार देने में मदद मिलेगी। पूर्व रेलवे में मौजूद हिंदी के अच्छे माहौल का ज़िक्र करते हुए मुराधि ने बताया कि हिंदी कार्यशालाओं एवं मिली-जुली भाषा में तकनीकी संगोष्ठियों के ज़रिए हिंदी रेलवे की कार्य-संस्कृति का अभिन्न अंग बनती जा रही है। कंप्यूटर पर हिंदी का काम बढ़ाने की दृष्टि से भी रेलवे यत्नशील है।

मुराधि ने आगे बताया कि वर्ष 06-07 के दौरान हिंदी के व्यवस्थित प्रयोग-प्रसार के लिए एक कार्ययोजना तय की गई है। इस योजना के आधार पर सरकार की राजभाषा नीति के पूर्ण अनुपालन की राह पर दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

महाप्रबंधक (मप्र) एवं समिति अध्यक्ष ने माननीय सांसद श्री वशिष्ठ नारायण सिंह की बैठक में उपस्थिति पर हर्ष व्यक्त करते हुए उम्मीद की कि श्री सिंह के मार्ग दर्शन से रेलवे के कार्य क्षेत्र से हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बल मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि रेलवे के काम-काज में हिंदी का उत्तरोत्तर इस्तेमाल करना और कराना हमारा प्रशासनिक दायित्व है। हमे खुद यह मूल्यांकन करना चाहिए कि हमारे कार्यों में हिंदी का प्रयोग मात्रा व गुणवत्ता (quantity and quality) दोनों ही दृष्टियों से कहां तक और कितना बढ़ा है तथा इस ओर अग्रसर होने के लिए क्या नए प्रयास किये जा सकते हैं। मप्र ने आगे कहा कि रेलवे के 90% कार्मिक हिंदी जानते है। अत: हिंदी जानने वाले इन कार्मिकों को हिंदी में अधिकाधिक काम करने के लिए लगातार प्रेरणा एवं सहयोग हिंदी विभाग को दे देना चाहिए।

वर्ष 2005 में 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर अपने संदेश में पूछे गए 14 प्रश्नों की याद समिति-सदस्यों को दिलाते हुए मप्र ने कहा कि इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का ईमानदार प्रयास अवश्य किया गया होगा। हिंदी के मार्ग की अड़चनों/बाधाओं को दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ दूर करने का आग्रह उन्होंने सदस्यों से किया।

कंप्यूटरों की अनिवार्यता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि ये मशीनें हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई हैं, तथा कंप्यूटरों के जरिए हिंदी में काम करना आसान हो गया है। समुचित प्रोग्रामों अथवा सॉफ्टवेयरों का इस्तेमाल कर हम हर किस्म का काम कंप्यूटर के जरिए हिंदी में कर सकते हैं। यहां तक कि हिंदी में इ-मेल/चैटिंग/वैबसाइट बनाने जैसे कार्य आसान हो गए हैं, उन्होंने कहा कि हिंदी के कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से कंप्यूटर की भाषिक क्षमता का लाभ लेना चाहिए। कंप्यूटर वस्तुत: हिंदी के काम में साधक हैं, बाधक नहीं।

मप्र ने सरकार की नीति के अनुरूप रेलवे के काम-काज में सरल भाषा के इस्तेमाल का आग्रह किया। बोल-चाल के आम शब्दों का इस्तेमाल करने में हमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए तथा भाषा को सहज एवं जन साधारण की पहुंच में रखा जाना जरूरी है।

पूर्व मध्य रेलवे कार्यालय, महाप्रबंधक (राजभाषा) हाज़ीपुर

क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 13वीं बैठक दि. 24-3-2006 को महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेल, हाज़ीपुर श्री के.सी. जेना की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अपर महाप्रबंधक श्री प्रवीण कुमार ने महाप्रबंधक एवं समिति के अध्यक्ष श्री के. सी. जेना एवं पहली बार प्रेक्षक सदस्य के रूप में बैठक में शामिल माननीय सांसद श्री फुरकान अंसारी तथा अन्य उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए बताया कि पिछली बैठक के उपरांत हमारी रेल पर राजभाषा के प्रयोग-प्रसार से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित किए गए, जिनमें, 'वैशाली' पत्रिका का प्रकाशन, मुख्यालय के पुस्तकालय की पुस्तक सूची का कंप्यूटरीकरण, दि. 16-2-2006 को मुख्यालय पुस्तक चयन समिति की बैठक, ठेका एवं संविदा से संबंधित नमूना पुस्तिका रेलवे बोर्ड से मंगाकर उसकी प्रतियां इंजीनियरी विभाग को हस्तगत करा दिया जाना एवं 'उपकरण' नाम के हिंदी साफ्टवेयर की प्रतियां सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मंगाकर सभी मंडलों को उपलब्ध कराना आदि उल्लेखनीय कार्य हैं।

महाप्रबंधक श्री के. सी. जेना ने पूर्व मध्य रेल पर गैर सरकारी सदस्यों को प्रेक्षक सदस्य के रूप में नामित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए माननीय सांसद श्री फुरकान अंसारी सहित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बताया कि इस नवसृजित रेल पर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है तथा 90% से अधिक कार्य हिंदी में किए जा रहे हैं। मुख्यालय सहित मंडलों में समय-समय पर संरक्षा, तकनीकी/कवि गोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाता है। कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने पर जोर देते हुए उन्होंने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे स्वयं हिंदी में कार्य करते हुए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें।

माननीय सांसद एवं प्रेक्षक सदस्य श्री फुरकान अंसारी ने पूर्व मध्य रेल पर राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि प्रेक्षक के नाते कई क्षेत्रीय रेलों की बैठक में शामिल होने एवं अपने निरीक्षण के क्रम में तुलनात्मक दृष्टि से मैंने पाया कि नई रेल होने पर भी यहां काफी काम हिंदी में हो रहा है जो सराहनीय है और इसके लिए अध्यक्ष, मुराधि एवं उप मुराधि बधाई के पात्र हैं। उन्होंने आगे बताया कि जो कुछ थोड़ी सी कमियां हैं,उन्हें दूर कर लिया जाएं। उन्होंने अनुवाद की भाषा सरल होने पर जोर देते हुए बताया कि हिंदी के कठिन शब्दों के स्थान पर उनके आसान पर्याय ढूंढने चाहिए ताकि हिंदी में काम करने में आसानी हो सके। उन्होंने विभिन्न माध्यमों द्वारा कर्मचारियों को राजभाषा के प्रति जागृति पैदा करने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि धनबाद मंडल को राजभाषा के प्रचार-प्रसार पर ध्यान देना चाहिए ताकि धनबाद मंडल में सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग हो सके ।

दक्षिण पूर्व रेलवे कार्यालय, महाप्रबंधक (राजभाषा) गार्डनरीच,कोलकाता-43

क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 78वीं बैठक दिनांक 24-3-2006 को महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे, श्री विजय कुमार रैना की अध्यक्षता में संपन्न हुई। महाप्रबंधक ने सभी अधिकारियों से आग्रह किया कि वे हिंदी को बोलचाल की भाषा से निकालकर छोटे-छोटे तरीके अपनाते हुए कागज पर लाएं। उन्होंने कहा कि अधिकांश अधिकारी एवं कर्मचारी हिंदी जानते एवं समझते हैं, इसलिए हिंदी में कार्य करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने रांची एवं चक्रधरपुर मंडल के अपर मुख्य राजभाषा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कुछ क्षेत्रों में द्विभाषिकता के दौर से निकलकर एक भाषा के दौर में प्रवेश करें तथा कुछ रूटीन पत्रों, ज्ञापनों आदि को केवल हिंदी में जारी करें और यदि कहीं आवश्यकता महसूस हो तो अंग्रेजी रूपांतर बाद में जारी करें। उनका यह भी निर्देश था कि रांची एवं चक्रधरपुर मंडल आंतरिक पत्राचार हिंदी में ही करें न कि द्विभाषी रूप में। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि प्रत्येक मंडल एवं मुख्यालय के कार्मिक विभाग में किसी एक अनुभाग को संपूर्ण कार्य करने वाला अनुभाग घोषित किया जाए। उन्होंने मातृभाषा के साथ-साथ राष्ट्रभाषा हिंदी एवं राजभाषा हिंदी के विकास के साथ-साथ रेलवे के विकास पर भी जोर दिया।

श्री बशिष्ठ नारायण सिंह, सांसद एवं सदस्य, रेलवे हिंदी सलाहकार समिति ने सुझाव दिया कि रूटीन किस्म के पत्रों का अनुवाद पहले से ही करवा लिया जाए तथा उन्हें प्रयोग में लाया जाए। अंग्रेजी में कार्य करने वाले अधिकारियों में हिंदी में कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ाई जाए। सृजनात्मक तरीके से हिंदी का माहौल तैयार किया जाए। हिंदी भाषी अधिकारी हिंदी में ही फाइलों पर लिखें। लेखन एवं सृजन से जुड़े रेलवे कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाए। मंडलों में हिंदी का माहौल तैयार करने के लिए साहित्यिक गोष्ठी एवं कवि गोष्ठी की जाए जिसमें नामी गिरामी व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाए। कुछ कार्य ऐसे अवश्य किए जाएं जो स्वैच्छिक रूप से हिंदी में ही हों ।

अपर महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे, श्री एस.आर. ठाकुर ने धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले कागजात को द्विभाषी में जारी करना सुनिश्चत करने के संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए । उन्होंने वर्ष 2005 में मुख्यालय में 787 कर्मचारियों के प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षा में बैठने पर संतोष व्यक्त किया । उन्होंने विभागीय बैठकों में एजेंडा एवं कार्यवृत्त द्विभाषी में जारी करने का भी आग्रह किया ।

मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी श्री एल.सी. मजुमदार ने मुख्यालय के 52 कर्मचारियों के हिंदी टाइपिंग परीक्षा में बैठने तथा 35 कर्मचारियों के हिंदी स्टेनोग्राफी परीक्षा में बैठने पर संतोष व्यक्त किया । उन्होंने बताया कि कार्मिक, भंडार, सिगनल एवं सुरक्षा विभाग के लिए हिंदी कार्यशालाएं चलाकर कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए सक्षम बनाया गया है । उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया कि टेम्पलेटों का अधिक से अधिक प्रयोग करके हिंदी पत्राचार के लक्ष्य (55%) को प्राप्त करने के प्रयास किए जाएं ।

कार्यालय आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क, सी. जी. ओ. भवन, द्वितीय तल, इन्दौर

माणिकबाग पैलेस इंदौर स्थित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क एवं सीमा-शुल्क आयुक्तालय में 30 मार्च, 2006 को आयुक्त श्री अरविंद सिंह जी की अध्यक्षता में मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें 31 दिसम्बर, 2005 को समाप्त तिमाही अवधि में हिंदी प्रगति की समीक्षा की गई तथा सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया ।

आयुक्त महोदय ने मुख्यालय में शाखावार हिंदी कार्य की समीक्षा करते हुए, जिन शाखाओं में अपेक्षाकृत कम कार्य हो रहा है, उन शाखाओं यथा-लेखा परीक्षा, सांख्यिकी, विधि आदि शाखाओं के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने हिंदी कामकाज का प्रतिशत बढ़ाएं । आंतरिक पत्राचार हिंदी में करें, आवरण पत्र हिंदी में बनाकर भेजें । अधिकाधिक कार्य हिंदी में करें ।

बैठक में सभी से यह अपेक्षा की गई कि मंडल व शाखाएं नियत समय पर हिंदी की रिपोर्टें भेजें ताकि बोर्ड व राजभाषा विभाग को समय से समेकित रिपोर्ट भेजी जा सकें ।

आयुक्त महोदय ने सभी अधिकारियों को अपना अधिकाधिक कामकाज हिंदी में करने के निर्देश दिए । उन्होंने यह भी अपेक्षा व्यक्त की कि सभी राजभाषा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तथा सीमा-शुल्क के आयुक्त का कार्यालय, केंद्रीय राजस्व भवन, आर.जी. गडकरी चौक, नासिक-422002

केंद्रीय उत्पाद तथा सीमा-शुल्क आयुक्तालय, नासिक की राजभाषा समिति की बारहवीं बैठक दिनांक 27-2-2006 को श्रीमती एफ. एम. जसवाल, आयुक्त की अध्यक्षता में कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई ।

बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों एवम् सदस्यों के स्वागत के पश्चात् अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक की कार्रवाई तथा पिछली बैठक के कार्यवृत्त के मुद्दों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की जानकारी देने के बाद निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई ।

आयुक्तालय के अनुभागों एवं मंडल कार्यालयों में हिंदी निरीक्षण कार्यक्रम तैयार करने के लिए अध्यक्ष महोदया ने निर्देश दिए कि आगामी तिमाही में उक्त कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाए । संयुक्त आयुक्त (का. एवं स.) इस संबंध में आवश्यक कार्यक्रम एवं निरीक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें ।

अध्यक्ष महोदया ने निर्देश दिए कि साहित्यिक पुस्तकों के साथ-साथ अन्य विषयों की कार्यालयीन उपयोगी पुस्तकें तथा तकनीकी एवं वैधानिक शब्दकोश खरीदे जाएं । मुख्यालय के सभी अनुभागों में शब्दकोश एवम् कार्यालय सहायिका वितरित करने का प्रयास किया जाए ।

विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के संबंध में राजभाषा अनुभाग द्वारा समय-समय पर अनुदेश परिचालित किए जाते हैं । वर्तमान में मुख्यालय के केवल चार अधिकारी ही इस योजना में भाग ले रहे हैं । इस योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिक से अधिक कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है । इस संबंध में आयुक्त महोदया ने निर्देश दिए कि सभी मंडल प्रभारी एवं अनुभाग प्रभारी व्यक्तिगत रुचि लेते हुए इस दिशा में आवश्यक प्रयास करें। अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी टिप्पणी लेखन एवं अन्य कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने तथा किए गए कार्यों का रिकार्ड रखने के निर्देश दें ।

दूरदर्शन केंद्र : राजकोट

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 4-4-2006 को श्री एम. एच. रोहित, केंद्र अभियंता दूरदर्शन केंद्र, राजकोट की अध्यक्षता में संपन्न हुई । पिछली बैठक के कार्यवृत्त की समीक्षा और लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही हेतु केंद्र अभियंता ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों से कहा कि वे अपने अनुभाग में हिंदी में कार्य करें । कार्यक्रम निष्पादक/वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कार्यालय में प्रयुक्त रबर की सभी मोहरें द्विभाषी बनाई गई हैं तथा फाईलों में टिप्पण तथा अन्य कार्य हिंदी में किया जा रहा है ।

अध्यक्ष ने सूचित किया कि हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि को ट्रेनिंग देना अति आवश्यक है, उच्च श्रेणी लिपिकों और आशुलिपिकों को ट्रेनिंग में भेजने की कार्यवाही करने के बारे में प्रशासनिक अधिकारी को सूचित किया गया । पिछली बैठक में ग्रंथपालिका को भी आदेश दिया गया था कि हिंदी पुस्तकों की खरीद एक महीने के भीतर की जाए और कम से कम 50 प्रतिशत हिंदी पुस्तकों की खरीद की जाएं ।

आकाशवाणी, कोलकाता

आकाशवाणी, कोलकाता केंद्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 27-3-2006 को केंद्र निदेशक श्री असीम कुमार रेज की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

समिति के अध्यक्ष एवं केंद्र निदेशक, श्री असीम कुमार रेज ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए पिछली बैठक में लिए गये सभी निर्णयों के अनुसार कार्यालय में हो रही हिंदी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया तथा सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी गई ।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान केंद्राध्यक्ष महोदय ने हिंदी में मूल पत्राचार का लक्ष्य 55% प्राप्त करने के लिए उत्तरोत्तर प्रयास करने को कहा । केंद्र से ''क'' क्षेत्र में भेजे जाने वाले हिंदी पत्रों की प्रतिशतता बढ़ाने की ओर ध्यान आकर्षित किया गया, जो अक्तूबर-दिसंबर, 2005 की तिमाही में 31% था ।

जुलाई से नवंबर, 2005 के दौरान केंद्र के तीन प्रशिक्षाणार्थी हिंदी प्रवीण की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं एवं चालू सत्र के दौरान वे सभी प्राज्ञ के प्रशिक्षाणार्थी के रूप में नियमित प्रशिक्षण ले रहे हैं । हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण की स्थिति से समिति को अवगत कराया गया एवं निर्णय लिया गया कि केंद्र में हिंदी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए बचे सभी संबंधित कर्मचारियों को अगले सत्र से क्रमवार नामित किया जाएगा ।

नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर,सैक्टर-33, फरीदाबाद-121003

निगम मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2005-06 की चौथी तिमाही बैठक 27-3-2006 को आयोजित की गई । इस प्रकार वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चारों तिमाही बैठकें आयोजित करके लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है । इस बैठक की अध्यक्षता श्री उपेन्द्र चोपड़ा, (महाप्रबंधक, मानव संसाधन, कारपोरेट कम्यूनिकेशन व राजभाषा) एवं अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा की गई । सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया गया । तत्पश्चात् सदस्य सचिव ने बैठक की कार्रवाई शुरू करते हुए बैठक में उपस्थित सदस्यों को पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर हुई अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की । इसके बाद प्रबंधक (राजभाषा) ने विभागों/पावर स्टेशनों/परियोजनाओं/कार्यालयों से प्राप्त की तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से हिंदी कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत किया ।

अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का समुचित अनुपालन करने पर जोर दिया । उन्होंने कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी अधिनियम/नियमों का पालन करना हमारा संवैधानिक दायित्व है । अध्यक्ष महोदय ने संसदीय राजभाषा समिति की अपेक्षाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि संसदीय राजभाषा समिति ने हमारे निगम मुख्यालय तथा परियोजनाओं का समय-समय पर निरीक्षण किया है । निरीक्षण के दौरान पाई जाने वाली कमियों को दूर करने के लिए राजभाषा नियमों का समुचित अनुपालन करना अनिवार्य है । उन्होंने सभी विभागों से राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति के लिए कारगर प्रयास करने तथा इस दिशा में अपना बहुमूल्य सहयोग देने का आह्वान किया ।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, इलाहाबाद

दिनांक 13-4-2006 को इंजी. ए. के. गर्ग, अधीक्षण अभियंता इलाहाबाद केंद्रीय परिमंडल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया ।

अध्यक्ष महोदय ने वर्तमान प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे बनाए रखने तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने की सलाह दी । वाराणसी केंद्रीय मण्डल की शत-प्रतिशत प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कार्यपालक अभियंता तथा उनके सभी सहयोगियों को बधाई दी ।

सदस्य सचिव ने वार्षिक कार्यक्रम 2006-2007 पर विस्तृत रूप में प्रकाश डाला जिस पर सभी सदस्यों ने कार्यान्वयन का आश्वासन दिया । अध्यक्ष महोदय ने अपनी व्यवस्था में कहा कि इसका शत-प्रतिशत पालन किया जाए ।

भारतीय आयुध निर्माणी संगठन आयुध निर्माणी, बड़माल जिला : बलांगिर, उड़ीसा-767 770

आयुध निर्माणी, बड़माल की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक मार्च, 2006 की समाप्ति पर दिनांक 30-03-2006 को श्री पी. महान्ति, संयुक्त महाप्रबंधक/प्रशासन की अध्यक्षता में प्रशासन भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई ।

सदस्य सचिव ने पिछले तिमाही की कार्यवृत्ति पढ़कर सदन को सुनाया जिसकी संपुष्टि सदन द्वारा की गयी ।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जिस तरीके से भारत सरकार शिक्षा को गाँव-गाँव तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाती है । ठीक उसी प्रकार हम लोग एक अभियान के तहत कर्मचारियों को उनके अनुभाग में जा-जाकर प्रेरित करना है और किसी भी हाल में उनके लिए निर्धारित कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करना है ।

श्री राम मोहन, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक को यह दायित्व दिया कि वे फायर ब्रिगेड अनुभाग जाकर उनका मनोबल को बढ़ाएं और उन्हें पुस्तकें उपलब्ध करवाने के साथ-साथ हिंदी में प्राप्त होने वाले फायदे से अवगत कराएं । इस कार्य में श्री काजल विश्वास, पर्यवेक्षक उनका साथ देंगे । उन्होंने कहा कि एम.टी. अनुभाग में कार्यरत ड्राइवरों के लिए श्री नारायण नंदा, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक तथा कार्यवेक्षक एवं अराजपत्रित अधिकारी के लिए मो. अयूब को यह कार्य सौंपा गया ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय भविष्य निधि, आयुक्त का कार्यालय, 7, रेसकोर्स रोड, इंदौर

प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त वर्ग 2 श्री एस के सुमन की अध्यक्षता में उनके कक्ष में इंदौर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 109वीं बैठक दिनांक 10-04-2006 को संपन्न हुई । समिति ने विभिन्न मदों की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया तथा निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त वर्ग 1 के कक्ष में उपलब्ध पी.सी. में हिंदी साफ्टवेयर निकट भविष्य में लोड कर लिया जाए। क्षेत्र के किसी भी कार्यालय में प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक हिंदी कार्यशाला आयोजित किए जाने के सहायक निदेशक (राजभाषा) के 9वें सम्मेलन में लिए गए निर्णय की जानकारी समस्त उपक्षेत्रीय कार्यालयों को दी जाए । हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षणरत कर्मचारियों को अभ्यास के लिए एक घंटे के लिए 9.15 से 10.15 तक का समय दिया जाए। अनुदेशों की पुस्तिका जो कि मुद्रण के अंतिम स्तर पर है, उसे भविष्य निधि के आधुनिकीकरण के प्रोजेक्ट के कारण इसके मुद्रण को आगामी बैठक तक स्थगित रखा जाए। कार्यालयों के अनुभागों का निरीक्षण माह अप्रैल 2006 से आरंभ कर लिया जाए।

समिति ने तिमाही प्रगति रिपोर्ट को पत्राचार संबंधी मद को छोड़ कर शेष मदों की कार्यान्वयन स्थिति पर संतोष व्यक्त किया तथा पत्राचार में 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में हिंदी पत्रों के प्रेषण की लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाने के संबंध में सभी उपक्षेत्रीय कार्यालयों को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया। चेक-ड्राफ्ट्स की स्थिति में लक्ष्य प्राप्ति पर हर्ष व्यक्त किया गया ।

केंद्रीय विद्युतरसायन अनुसंधान संस्थान (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद) कारैकुडी-630006

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जनवरी-मार्च 2006 अवधि से संबंधित बैठक डॉ. दिनेश चंद्र त्रिवेदी, उपाध्यक्ष, राभाकास की अध्यक्षता में दि. 23-03-2006 के पूर्वाह्न 11.30 बजे को फारडे कक्ष में बुलायी गई । दि. 09-01-2006 को संपन्न पिछली बैठक के कार्यवृत्त की समिति के सदस्यों द्वारा एकमत से पुष्टि की गई । उपाध्यक्ष ने सुझाया कि हिंदी पदधारियों द्वारा संस्थान के प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए हिंदी में कंप्यूटर प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया जाए।

समिति के निर्णयानुसार नए सत्र की हिंदी कक्षाएं दि. 23-01-2006 से शुरू की गई हैं तथा कुल 18 कर्मचारी प्रशिक्षण ले रहे हैं ।

हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के बारे में परिषद मुख्यालय से प्राप्त समीक्षा पत्र पर मदवार चर्चा की गई तथा निम्नप्रकार कार्रवाई के लिए सुझाव दिए गए। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी करना सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है । हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर निरपवाद रूप से हिंदी में देने का निर्णय लिया गया है। निम्नलिखित मदों की द्विभाषी/त्रिभाषी में तैयारी एवं उपलब्धि सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।

(अ) संस्थान के नाम पट्ट तथा अन्य सूचना पट्ट द्विभाषी रूप में प्रदर्शित करना।

(आ) अंग्रेजी में मात्र प्रदर्शित प्रदीप्ति नाम-पट्ट त्रिभाषी रूप में बनाना।

(इ) प्रशासन नियंत्रक कार्यालय में प्रयुक्त एक धातु की सील द्विभाषी रूप में बनाना।

(ई) कार्यालय के सभी वाहनों पर कार्यालय का विवरण द्विभाषी रूप में लिखना।

(उ) सुरक्षा कर्मियों के नाम बैज/बिल्ले द्विभाषी रूप में तैयार कर जारी करना।

(ऊ) संस्थान के चार्ट/नक्शे आदि को द्विभाषी रूप में बनाना।

(ऋ) संस्थान के सभी कर्मचारियों को नये सिरे से जारी किये जाने वाले पहचान पत्र को द्विभाषी रूप में जारी करना सुनिश्चित करना।

संस्थान में उपलब्ध सभी कंप्यूटरों को हिंदी में कार्य करने योग्य बनाने हेतु हिंदी साफ्टवेयर लोड करने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया।

समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि संस्थान के भर्ती एवं समिति अनुभाग तथा सुरक्षा अनुभाग को शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए।

संस्थान की वेबसाइट हिंदी में उपलब्ध कराने पर समिति ने अपनी सहमति दी तथा समिति के उपाध्यक्ष ने हिंदी अधिकारी को निदेश दिया कि वे कंप्यूटर एवं नेटवर्किंग प्रभागाध्यक्ष से संपर्क कर यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें।

कारैकुडी में एक अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने के विषय पर विस्तार रूप में चर्चा की गई है तथा निम्न प्रकार निर्णय लिया गया :-

- कक्षाओं के आयोजन के लिए अतिथि-गृह में आवश्यक साज-सामग्रियों के साथ एक कमरा उपलब्ध कराया जाएगा।
- कारैकुडी में स्थित सभी केंद्र सरकार, बैंक, बीमा निगम आदि कार्यालयों के कर्मचारियों को इन कक्षाओं में प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
- अंशकालिक हिंदी प्रशिक्षक नियुक्ति के लिए उपनिदेशक (दक्षिण), हिंदी शिक्षण योजना, चेन्नई को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

समिति ने हिंदी पुस्तकालय के लिए वित्तीय वर्ष 2006-07 में रु. 10,000 मूल्य वाले पुस्तकों की खरीद के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। अनुभाग अधिकारी (वित्त एवं लेखा) ने सुझाव दिया कि अन्य हिंदी पुस्तकों के साथ-साथ केंद्रीय विद्यालय के सभी कक्षाओं के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्य पुस्तकों की खरीद पर भी विचार किया जाए। अनुभाग अधिकारी (भर्ती एवं समिति) ने सुझाया कि सरकारी नियमावली, भारत के संविधान आदि हिंदी पुस्तकें भी खरीदी जा सकती हैं ।

अप्रैल-जून 2006 तिमाही के लिए प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए एक हिंदी कार्यशाला आयोजित करने के लिए प्रस्ताव को सभी ने सहमति प्रदान की। उपाध्यक्ष ने सुझाया कि कार्यशाला में भाषण देने हेतु श्री आर. बालकृष्णन, सहायक प्रबंधक (राजभाषा), इण्डियन ओवरसीज बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, मदुरै को आमंत्रित किया जाए। ■

हिंदी, हिंदुस्तानी और उर्दू एक ही भाषा के मुख्तलिफ नाम हैं। हमारा मतलब आज एक नई भाषा बनाने का नहीं है, बल्कि जिस भाषा को हिंदी, हिंदुस्तानी और उर्दू कहते हैं, उसे अंतर्प्रान्तीय भाषा बनाने का हमारा उद्देश्य है।"

-महात्मा गांधी

हरिजन सेवक, 23-5-1936

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

रोहतक

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रोहतक की 46वीं बैठक दिनांक 21-3-2006 को अपराह्न 3.30 बजे आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति श्री बलवीर सिंह जी की अध्यक्षता में आयकर भवन, रोहतक के सभा कक्ष में आयोजित की गई।

इस बैठक में राजभाषा विभाग की ओर से श्री जसवंत सिंह, अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गाजियाबाद विशेष रूप से बैठक में भाग लेने के लिए पधारे। बैठक में अन्य सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों एवं प्रतिनिधियों के साथ-साथ आकाशवाणी, रोहतक के केंद्र निदेशक श्री धर्मपाल मलिक, भारतीय स्टेट बैंक, रोहतक के सहायक महाप्रबंधक श्री डी.डी. गर्ग, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के अपर आयुक्त श्री श्रीनारायण श्रीवास्तव एवं आयकर विभाग के अपर आयकर आयुक्त, रोहतक रेंज, रोहतक श्री लक्ष्मण सिंह जी ने भी भाग लिया।

सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों द्वारा स्वयं बैठक में भाग न लेने पर पुनः चिन्ता व्यक्त की गई तथा यह सूचित किया गया कि इस बारे में बार-बार अनुरोध किया जाता रहा है परन्तु स्थिति में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है जिसके लिए अध्यक्ष महोदय के माध्यम से राजभाषा विभाग के विशेष प्रतिनिधि से अनुरोध किया गया कि वे अपने स्तर पर समुचित कार्रवाई करें। सचिव महोदय द्वारा उपस्थित सभी कार्यालय प्रमुखों से पुनः आग्रह किया गया कि सभी कार्यालय प्रमुख स्वयं इन बैठकों में भाग लेना सुनिश्चित करें।

समिति के अध्यक्ष एवं आयकर आयुक्त महोदय, रोहतक श्री बलवीर सिंह जी ने भी अध्यक्षीय उद्‌बोधन में श्री जसवंत सिंह जी का एवं अन्य उपस्थित सदस्यों का बैठक में पधारने पर धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने खुशी व्यक्त की कि रोहतक में हिंदी के प्रोत्साहन के लिए काफी अच्छा वातावरण है। बैठक में अच्छे निर्णय लिए गए। पत्रिका के प्रकाशन एवं राजभाषा समारोह को शीघ्र ही समयबद्‌ध कार्यक्रम के अनुसार करवाने हेतु उन्होंने बल दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि निर्णय लेने के उपरान्त उस कार्य को शीघ्रता से ही पूरा करने की हम सबकी जिम्मेदारी है।

शिवपुरी

वर्ष 2005-06 की द्‌वितीय बैठक दिनांक 10-3-2006 को दूर संचार, वाहिनी शिवपुरी, म.प्र. में आयोजित की गयी। बैठक में श्री पी. विजय कुमार, सेनानी/अध्यक्ष, ने शिवपुरी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि, हमारे संविधान में, हिंदी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। भारत बहुभाषी देश है। यहां सभी भाषाएं एक दूसरे का आदर करती हैं और हिंदी आम बोल-चाल की भाषा होने के कारण, सारे देश में संपर्क भाषा का कार्य कर रही है। पूरे देश को एक सूत्र में पिरोये हुए है और एक सशक्त भाषा बनकर उभरी है । हिंदी भाषा आज अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बना रही है । हिंदी भाषा में कंप्यूटर साफ्टवेयर विकसित होने से, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में गुणात्मक परिवर्तन आया है।

अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को, नगर राजभाषा समितियों के कार्य, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने दस्तावेजों में संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक रिपोर्ट, विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति, संविदा, करार, सूचनाएं, लाइसेंस, परमिट आदि को अनिवार्य रूप से द्‌विभाषिक जारी करने, राजभाषा नियम 1976 का पालन जिसमें हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिये जाने, केंद्रीय सरकार के कार्यालय जो कि 'क' क्षेत्र/हिंदी

भाषी क्षेत्रों के सभी पत्र हिंदी में भेजे जाने, सभी प्रकार की सूचना द्विभाषिक रूप में प्रकाशित करने, रबड़ की मोहरें, नोटिस बोर्ड द्विभाषिक बनाने की अनिवार्यता पर बल देते हुए शिवपुरी नगर के सभी केंद्रीय सरकार के कार्यालय अध्यक्षों को राजभाषा क्षेत्र में अग्रणी होकर कार्य करने, राजभाषा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने, सरकार की राजभाषा नीति का पालन की अपील की। हिंदी के कार्यान्वयन में समर्पित भावना से कार्य करने, संवैधानिक दायित्व को निष्ठा एवं लगन से निभाने तथा कार्यालयों में एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने पर जोर दिया जिससे, सरकारी कामकाज में स्वेच्छा से हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग हो सकें।

इस अवसर पर उन्होंने बताया कि, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राजभाषा हिंदी के प्रयोग में सराहनीय कार्य कर रहा है। बल ने वर्ष 2004-05 की गृह मंत्रालय की राजभाषा शील्ड में पुन: प्रथम स्थान प्राप्त किया है और केंद्रीय पुलिस बलों में, हिंदी में सर्वोत्तम कार्य करने के लिए आई.टी.बी.पी. अन्य बलों के लिए प्रेरणा बना है।

कानपुर

दिनांक 27 मार्च, 2006 को 14.30 बजे ओ.ई.एफ. निरीक्षण भवन के सम्मेलन कक्ष में कानपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 16वीं बैठक का आयोजन श्री रमेश चंद्र, अपर महानिदेशक, आयुध निर्माणियां तथा अध्यक्ष नराकास कानपुर की अध्यक्षता में किया गया।

बैठक में उपस्थित श्री राम निवास शुक्ल, उप निदेशक/कार्यान्वयन क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर) राजभाषा विभाग ने कहा कि :

यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज कानपुर नराकास की 16वीं बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस तरह की बैठक का मूल उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति बहुत ही अच्छी नराकास है । लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसकी गति में थोड़ा व्यवधान आया है। नराकास कानपुर के पास अपार ऊर्जा है । एक आदर्श नराकास की क्या रूपरेखा होती है इसके सम्बंध में मैं सात बिन्दु रखना चाहूंगा-

1. राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कैलेण्डर के अनुसार बैठकों का आयोजन।
2. नराकास बैठक होने से 15 दिन पूर्व सभी सदस्य कार्यालयों को इसकी सूचना मिल जानी चाहिए एवं बैठक के पश्चात् 15 दिनों के भीतर बैठक का कार्यवृत्त जारी हो जाए।
3. नराकास बैठक में कम से कम 90 प्रतिशत विभागाध्यक्षों की उपस्थिति हो।
4. कम से कम 90 प्रतिशत सदस्य कार्यालय अपनी रिपोर्ट भेजें।
5. नराकास का दायित्व केवल बैठक कराना ही नहीं बल्कि यह समिति पत्रिका का प्रकाशन, संयुक्त हिंदी कार्यशाला, संयुक्त हिंदी संगोष्ठी का आयोजन भी करें।
6. राजभाषा विभाग द्वारा जारी आदेश/अनुदेश का परिचालन समय से सदस्य कार्यालयों के बीच हो।
7. नराकास सदस्य सचिव के पास समुचित संसाधन जैसे फैक्स, फोन, कम्प्यूटर आदि हो ।

इसी प्रकार राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में एक आदर्श कार्यालय के लिए भी अपने सात बिन्दु बताए :

1. प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन होना चाहिए एवं हर तिमाही में बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए।
2. तिमाही प्रगति रिपोर्ट की प्रति संबंधित कार्यालय के मुख्यालय, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को प्रेषित किया जाना चाहिए।
3. कार्यालय द्वारा प्रत्येक तिमाही में एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए।

4. कार्यालय राजभाषा नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित होना चाहिए एवं नियम 8(4) के तहत प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी को शत-प्रतिशत कार्य राजभाषा में करने के लिए व्यक्तिगत आदेश जारी किये जाने चाहिए। साथ ही बड़े कार्यालयों में कम से कम सात अनुभाग शत-प्रतिशत कार्य राजभाषा में करने के लिए विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिएं।

5. राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम का शत-प्रतिशत अथवा कम से कम 90 प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए।

6. वर्ष में कम से कम एक बार हिंदी संगोष्ठी का आयोजन होना चाहिए।

7. राजभाषा अनुभाग अथवा हिंदी अधिकारी के पास अपेक्षित संसाधन जैसे फोन, फैक्स एवं कंप्यूटर होने चाहिएं।

श्री रमेश चंद्र, अपर महानिदेशक, आयुध निर्माणियां ने कहा कि हम सबको राजभाषा के कार्यान्वयन में अपना सतत योगदान देना चाहिए। यदि पूरे देश में किसी एक भाषा को पहुंचाना है तो वह हिंदी ही हो सकती है। यदि किसी प्रदेश में हिंदी न बोली जाती हो और वहाँ कोई प्रचलित हिंदी फिल्म आती है उस समय भाषा बीच में नहीं आती है और बहुत संख्या में लोग उसे देखते हैं। व्यवहार में आने वाले जितने भी शब्द हैं यदि उन्हें अपना लें, अपनी मातृभाषा का अपमान न समझें तो राजभाषा का अधिक गति से विस्तार हो सकता है। हिंदी में किसी शब्द का उच्चारण सही ढंग से किया जा सकता है। जब हम किसी विषय विशेष पर लिखने बैठते हैं तो तकनीकी शब्दों को उसी रूप में अपनाकर और भी बोझिल कर देते हैं। हमें भाषा को सरल रूप में अपनाकर इसका प्रवाह बनाए रखना चाहिए। आपने सभी उपस्थित सदस्यों से अपील की कि हमें बैठक में अवश्य ही उपस्थित होना चाहिए व मिलते रहना चाहिए। आपस में मिलने से हम लोग एक दूसरे से परिचित होंगे तथा छोटी-बड़ी समस्याओं का आपस में बातचीत करके निपटारा कर सकते हैं। अंत में आपने सभी उपस्थित सज्जनों को उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही आयोजन हेतु आयुध उपस्कर निर्माणी के महाप्रबन्धक श्री एस. डी. डिमरी को उत्तम व्यवस्था के लिए धन्यवाद दिया।

रायपुर (छ.ग.)

(बैंक)

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रायपुर की 20वीं अर्धवार्षिक बैठक शनिवार दिनांक 15-4-2006 को होटल बेबीलोन में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के सहायक महाप्रबंधक श्री श्रीराम भूटानी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्षेत्रीय प्रबंधक, सिंडीकेट बैंक तथा देना बैंक के मुख्य प्रबंधकगण, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक एवं संयोजक श्री के. के. पंडित भी बैठक में विशेष रूप से उपस्थित थे। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री सुनील सरवाही बैठक में मुख्य अतिथि थे।

उप निदेशक कार्यान्वयन श्री सुनील सरवाही ने अपने संबोधन में लक्ष्य से कम हिंदी में कार्य करने वाले सभी बैंकों को सलाह दी कि वे भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में दिए गए सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का भरसक व ठोस प्रयास करें। श्री सरवाही ने समिति की विभिन्न गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि रायपुर बैंक नराकास ने समय-समय पर राजभाषा से संबंधित विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित करके रायपुर शहर स्थित सदस्य बैंकों में हिंदी का सुंदर वातावरण तैयार किया है। उन्होंने आशा प्रकट की कि सभी सदस्य बैंक हिंदी कार्यों की इस गति को और तेज कर राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की नई दिशाएँ प्रदान करेंगे।

बैठक की अध्यक्षता स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के सहायक महाप्रबंधक श्री एस.आर. भूटानी ने की ।

श्री भूटानी ने कहा कि हम 'क' क्षेत्र में कार्यरत हैं अत: हमें हिंदी को मन से स्वीकार कर अपने सभी कार्यों में हिंदी को अपनाना चाहिए । कंप्यूटर कार्यों में भी हिंदी के प्रयोग की संभावनाओं को तलाश कर कंप्यूटर पर भी हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित करना चाहिए । श्री भूटानी ने इस बात पर विशेष बल दिया कि बैंकिंग व्यवसाय में हिंदी का विशेष महत्व है क्योंकि हिंदी हमारे ग्राहकों की भाषा है । अत: हमें अपने कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए । उन्होंने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे सभी अपने-अपने कार्यालयों व शाखाओं में हिंदी का और प्रयोग बढ़ाएँ ।

कोलकाता
(बैंक)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), कोलकाता की 40वीं बैठक दिनांक 21-03-2006 को अपराह्न 3.00 बजे युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोलकाता के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई।

बैठक की अध्यक्षता श्री पी. के. गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने की । उक्त बैठक में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के स्थानीय क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के उप निदेशक (कार्यान्वयन), उप निदेशक (पूर्व) हिंदी शिक्षण योजना, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के कार्यालय प्रभारी एवं भारतीय रिजर्व बैंक के राजभाषा प्रभारी आमंत्रित अतिथि के रूप में उपस्थित हुए ।

श्री वेद प्रकाश गौड, उप निदेशक (कार्यान्वयन) ने अपना विचार प्रकट करते हुए कहा कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सभी कार्यालयों द्वारा लक्ष्य बनाया जाना चाहिए और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जानी है । उन्होंने कहा कि हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करना जरूरी है । सदस्य कार्यालयों में राजभाषा के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हमें व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए हिंदी में कार्य करना चाहिए ।

उप निदेशक (पूर्व) हिंदी शिक्षण योजना ने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रत्येक सदस्य कार्यालय को निर्धारित अवधि के भीतर हिंदी प्रशिक्षण का कार्य पूरा करना है । हिंदी में प्रशिक्षित कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन करके व्यावहारिक दृष्टि से हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय ने हिंदी पत्रिका 'नगर प्रभा' के सातवें अंक का विमोचन करते हुए पत्रिका का समय पर प्रकाशन के लिए संतोष व्यक्त किया । उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि समिति ने जो उपलब्धि हासिल की है उसे जारी रखते हुए आगे प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। पश्चिम बंगाल ने अतीत में जिस प्रकार वैचारिक और आत्मिक नेतृत्व करते हुए जागरूकता पैदा की है ठीक इसी प्रकार हिंदी के कार्यान्वयन की दिशा में इस क्षेत्र का अवदान भी महान बने । 'नगर प्रभा' के इस अंक पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि पत्रिका का स्तर और भी उन्नत हो एवं कर्मचारियों की सृजनशीलता को अधिक प्रेरणा मिले ।

सुनाबेड़ा-कोरापुट

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सुनाबेड़ा-कोरापुट की 18वीं वार्षिक बैठक एवं पुरस्कार वितरण समारोह, क्षेत्रीय रेशम उत्पादन व अनुसंधान केंद्र, लांडीगुडा के प्रेक्षागृह में दिनांक 29-12-2005 को सम्पन्न हुआ । बैठक की अध्यक्षता 'नराकास', सुनाबेड़ा-कोरापुट के कार्यकारी अध्यक्ष व अपर महाप्रबंधक (परियोजना), हिएलि, कोरापुट प्रभाग के श्री वी. बालकृष्णन ने की । बैठक में नालको दामनजोड़ी के महाप्रबंधक (एसपीपी) श्री प्रह्लाद गान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे । क्षेत्रीय रेशम कीट बीज उत्पादन व अनुसंधान केंद्र, लांडीगुडा

के संयुक्त निदेशक श्री एन.एन. सक्सेना कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे ।

अपने अध्यक्षीय भाषण में एच.ए.एल. के अपर महाप्रबंधक श्री वी. बालकृष्ण ने हिंदी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कर्मचारियों को टिप्पणी, पत्र आदि सीधे हिंदी में लिखने के लिए कहा । हिंदी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण हिंदी कार्यशाला, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो-दिल्ली के सौजन्य से अनुवाद प्रशिक्षण एवं राजभाषा विभाग के तत्वावधान में कंप्यूटर प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से नगर के सदस्य कार्यालयों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, इंजन प्रभाग, कोरापुट द्वारा सभी तरह की सुविधा प्रदान किए जाने का आश्वासन भी उन्होंने दिया ।

बैठक में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में उत्तरोतर वृद्धि व इसके कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए एच.ए.एल., कोरापुट प्रभाग द्वारा सभी संभव प्रयास किए जाने का आश्वासन श्री पी.बी. देशपांडे, वरिष्ठ प्रबंधक (कावप्र) एवं सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिशियो ने दिया । उन्होंने कहा कि एचएएल न सिर्फ अपने प्रभाग में बल्कि संपूर्ण नगर में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए कटिबद्ध है ।

बैठक में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि व इसमें आने वाली कठिनाइयों को दूर करने पर विस्तृत चर्चा व सुझाव प्राप्त हुए । चर्चा में नगर के 33 कार्यालयों के प्रतिनिधि व प्रमुखों ने भाग लिया ।

बैठक के अंतिम चरण में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समिति के सदस्य कार्यालयों व राजभाषा का अपने कार्यालय में समुचित कार्यान्वयन के लिए प्रशंसनीय नेतृत्व प्रदान करने वाले कार्यालय प्रमुखों को पुरस्कृत करने हेतु वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया था। पुरस्कृत प्रतिभागियों को अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिशियों व सदस्य/सचिव के द्वारा चल वैजयंती तथा कप प्रदान किए गए ।

कोलकाता (उपक्रम)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), कोलकाता की छमाही बैठक 27 मार्च, 2006 को टालीगंज क्लब कोलकाता में सम्पन्न हुई । भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के सचिव श्री देवदास छोटराय, आई.ए.एस. बैठक में मुख्य अतिथि थे । इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि–हिंदी पूरी तरह से व्यवसाय की भाषा बनती जा रही है । अंतरराष्ट्रीय जगत में इसकी स्वीकृति बढ़ रही है । उन्होंने नराकास के सदस्यों को उनके अच्छे कार्य निष्पादन के लिए बधाई दी तथा हिंदी प्रतियोगिताओं के पुरस्कार भी वितरित किए । इस मौके पर समिति की गृह पत्रिका "अभिव्यक्ति" के दशम् अंक का विमोचन भी किया गया ।

बैठक की अध्यक्षता स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि. के कार्यपालक निदेशक प्रभारी–आर.एम.डी. श्री एम. राय ने की । बैठक को संबोधित करते हुए श्री राय ने बताया कि दक्षिण सहित पूरे भारत में हिंदी लोकप्रिय होती जा रही है, जरूरत है कि हम हिचक छोड़कर कार्यालय का अधिक से अधिक काम हिंदी में करें ।

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व) राजभाषा विभाग, कोलकाता के उपनिदेशक (कार्यान्वयन) श्री वी.पी. गौड ने समिति के सदस्य कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन का स्थिति की समीक्षा की तथा अपने विचार प्रस्तुत किए ।

बैठक के प्रारंभ में आर.एम.डी. के महाप्रबंधक (का. व प्रशा.) श्री मोहित मुखर्जी, समिति के सदस्य सचिव के रूप में सभी का स्वागत किया तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । कार्यक्रमों का कुशल संचालन सेल-आर.एम.डी. के प्रबंधक (राजभाषा) श्री कैलाश नाथ यादव ने किया ।

बैठक में भारत सरकार, राजभाषा विभाग, कोलकाता व सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालयों से कुल 205 अधिकारी उपस्थित थे ।

(ग) कार्यशालाएं

बुनियादी तसर रेशमकीट बीज संगठन बुनियादी बीज प्रगुणन एवं, प्रशिक्षण केंद्र, मेन रोड, मोती नगर, बालाघाट (म. प्र.)-481001

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के तहत तथा केंद्रीय रेशम बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 27-03-2006 को हिंदी केंद्रीय रेशम बोर्ड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बालाघाट इकाई द्वारा केंद्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए श्री देबाशीष दास, उप निदेशक की अध्यक्षता में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री देबाशीष दास द्वारा राजभाषा हिंदी के महत्व, विकास एवं विस्तार पर जानकारी दी गई । इस अवसर पर मुख्य रूप हिंदी के प्रशिक्षक के रूप में आमंत्रित श्री टी.सी. बिसेन, हिंदी व्याख्याता, महर्षि विद्यालय, बालाघाट ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को व्याकरण संबंधी नियमों, वाक्यों में शब्दों का चयन एवं प्रयोग तथा हिंदी भाषा के छन्द व अलंकार तथा हिंदी में लिखे जाने वाले शासकीय/ अर्धशासकीय पत्रों की रचना आदि से अवगत कराया ।

नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि., लोकताक पावर स्टेशन, कोमकेराप-795124 (मणिपुर)

श्री संतोष बरला, सहायक प्रशासन अधिकारी, हिंदी अनुभाग के नेतृत्व में लोकताक पावर स्टेशन के प्रशिक्षण कक्ष में हिंदी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 31-03-2006 को किया गया । इस कार्यशाला में लोकताक पावर स्टेशन के मानव संसाधन विभाग से 19 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया ।

इस कार्यशाला में श्री संतोष बरला सहायक प्रशासन अधिकारी लोकताक फैकल्टी थे । कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को सेवा पंजिका में की जाने वाली प्रविष्टियों से संबंधित द्विभाषी रूप में जानकारी देते हुए लिखने का अभ्यास भी करवाया गया ।

सभी प्रतिभागियों ने इस प्रकार की हिंदी कार्यशाला आयोजित किए जाने की प्रशंसा की । अन्त में हिंदी अनुभाग द्वारा सभी प्रतिभागियों का कार्यशाला के सफल आयोजन में सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त किया गया ।

कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मार्ग, पी.बी. नं. 88, मंगलूर-575001

कार्पोरेशन बैंक के प्रधान कार्यालय की विभिन्न कार्यात्मक यूनिटों में नामित हिंदी संपर्क अधिकारियों के लिए दिनांक 21 मार्च, 2006 को उन्नत हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में 38 हिंदी संपर्क अधिकारियों ने भाग लिया ।

इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री के. ए. कामत, महाप्रबंधक (राभा) ने किया । उन्होंने हिंदी संपर्क अधिकारियों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि हिंदी का प्रयोग मात्र सांविधिक बाध्यता के रूप में नहीं बल्कि बैंक की छवि व कारोबार को सुधारने के साधन के रूप में करना चाहिए । हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए किए जा रहे व्यय को, खर्च के रूप में नहीं बल्कि बैंक के कारोबार की वृद्धि हेतु किए गए निवेश के रूप में माना जाना चाहिए । हिंदी संपर्क अधिकारी अपने-अपने प्रभाग में किए गए राजभाषा संबंधी कार्य का मूल्यांकन भी करें तथा राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी किसी सहयोग के लिए राजभाषा प्रभाग से संपर्क करें ।

चर्चा सत्र में डॉ. ज. प्र. नौटियाल, मुख्य प्रबंधक ने कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग संबंधी सांविधिक अपेक्षाओं की जानकारी दी । उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अपने-अपने प्रभाग में राजभाषा के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का समाधान भी किया ।

कंप्यूटर परिचालन के दौरान "क्या करें व क्या न करें" पर भी हिंदी में सत्र रखा गया। सत्र के प्रारंभ में सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग के उप महाप्रबंधक श्री एम.पी. कुंजु ने सभी को संबोधित किया तथा कंप्यूटर फाइलों/आंकड़ों की सुरक्षा के महत्व से सभी को अवगत कराया । सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग के श्री अविनाश सिंह तथा श्री दीपक गुलवाडी ने कंप्यूटर में पासवर्ड की अनिवार्यता, "फिशिंग", वाइरस से बचाव आदि संबंधी जानकारी लघु फिल्मों के माध्यम से दी ।

कार्यशाला के अंतिम सत्र में श्री एन. सनल कुमार, प्रबंधक (राजभाषा) ने "कोर बैंकिंग में हिंदी" पर विस्तार से जानकारी दी।

नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. एन एच पी सी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद-121003

निगम मुख्यालय द्वारा राजभाषा की प्रगति के लिए बनाए गए वार्षिक कार्यक्रम 2005-06 के कलैंडर के अनुसार दिनांक 25-10-2005 को विभिन्न विभागों में कार्यरत हिंदी को-आर्डिनेटरों के लिए एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

कार्यशाला का उद्घाटन श्री उपेन्द्र चोपड़ा, महाप्रबंधक (मानव संसाधन, कारपोरेट कम्युनिकेशन व राजभाषा) ने किया । उन्होंने अपने सम्बोधन में प्रतिभागियों का आवाहन किया कि हिंदी के प्रचार-प्रसार में प्रतिबद्धता से योगदान दें । हमें राजभाषा के लक्ष्यों को प्राप्त करके विद्युत उत्पादन के साथ-साथ राजभाषा के क्षेत्र में भी उपलब्धियों के रिकार्ड दर्ज करने हैं । इसके लिए सभी के पूरे मनोयोग से सम्मिलित प्रयासों की आवश्यकता है । उन्होंने प्रतिभागियों को बताया कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा हाल ही में तीस्ता लो डैम परियोजना, रंगित पावर स्टेशन एवं दक्षिण कार्यालय, बंगलौर का निरीक्षण किया गया है । यह समिति कभी भी निगम मुख्यालय का भी निरीक्षण कर सकती है। अत: यह सभी को-ऑर्डिनेटरों का दायित्व है कि वे अपने-अपने विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन में सक्रिय भागीदारी निभाएं तथा अपेक्षित सूचनाओं को प्रस्तुत करते समय उनका रिकार्ड भी रखें ।

कार्यशाला के प्रथम सत्र में श्री विलायती राम गोयल, सहायक निदेशक (राजभाषा), लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली ने अपने व्याख्यान में प्रतिभागियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति तथा अधिनियमों/नियमों की जानकारी दी। हिंदी में पत्राचार बढ़ाने के विभिन्न रूपों, तिमाही प्रगति रिपोर्ट भरने, संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण एवं धारा 3(3) के अनुपालन संबंधी संक्षिप्त जानकारी दी ।

कार्यशाला के द्वितीय सत्र में डॉ. रमा वर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा), विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद ने अपने व्याख्यान में हिंदी में नोटिंग/ड्राफ्टिंग तथा टिप्पणी लिखने का अभ्यास कराया । प्रतिभागियों की दैनिक कार्य में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की और उनकी शंकाओं का समाधान किया ।

दूरदर्शन केंद्र : राजकोट

दिनांक 08 मार्च, 2006 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम में केंद्र के कार्यक्रम, प्रशासन और अभियांत्रिकी तीनों प्रभागों के कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया ।

इस एक दिवसीय कार्यशाला में नगर राजभाषा समिति के सचिव एवं मंडल रेलवे, राजकोट के राजभाषा अधिकारी श्री पी.बी. सिंह द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक कुल 9 अनुच्छेदों में संघ की राजभाषा, प्रादेशिक तथा भाषाओं के विकास आदि के बारे में जो प्रावधान है: (1) संघ की राजभाषा (2) क्षेत्रीय भाषा (3) उच्चतम/उच्च न्यायालयों की भाषाएं (4) हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश (5) संसद में प्रयोग होने वाली भाषा

(6) विधान सभाओं में प्रयुक्त होने वाली भाषा, इन सब अनुच्छेदों के बारे में विस्तार से बातें बताईं ।

राजभाषा अधिनियम, 1963, धारा 1, धारा 2, धारा 3(1), धारा 3(2), धारा 3(3), धारा 3(4) और धारा 9 तक जानकारी दी गई । धारा 3(2) के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रव्यवहार का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होना चाहिए और यह भी बताया गया की धारा 3(3) के अनुसार द्विभाषी प्रयोग भी सरकारी कामकाज में होना चाहिए ।

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. तीस्ता चरण-5 जल विद्युत परियोजना, बालुटार, सिंगताम (पूर्व सिक्किम)-737134

दिनांक 30-3-2006 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य यह था कि परियोजना में राजभाषा के प्रयोग में वृद्धि, अधिकाधिक अधिकारियों को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी जानकारिया अद्यतन करना और हिंदी में शतप्रतिशत कार्य करने की मानसिकता कायम करना था। यह कार्यशाला उप प्रबंधक व सहायक प्रबंधक स्तर के अधिकारियों के लिए आयोजित की गई थी।

कार्यशाला में व्याख्यान देने के लिए डा. अरुण होता, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, सिलीगुड़ी और प्रो. अजय कुमार, व्याख्याता, सिलीगुड़ी महाविद्यालय सिलीगुड़ी को आमंत्रित किया गया था। डा. अरुण होता ने हिंदी की स्थिति-समस्याएं और निराकरण विषय पर अपने वक्तव्य में कहा कि हिंदी प्रेम की भाषा है, यह दो संस्कृतियों को जोड़ने वाली भाषा है। हिंदी तोड़ने या उजाड़ने का काम नहीं करती। यह इसकी प्रकृति ही नहीं है। हिंदी का स्वत: विकास हो रहा है, यह भारतीय जनता की भाषा है और इसके विकास को कोई रोक नहीं सकता । हमें स्वयं अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए । आज हिंदी का बाजारीकरण हो रहा हैं । हम विदेशी संस्कृतियों में इतने घुलमिल गए हैं कि हम अपनी पहचान खोते जा रहें हैं । हम अपनी पहचान न्यूयार्क में जाकर ढूढेंगे तो क्या वह वहाँ मिल सकती है? उन्होंने यह भी कहा की हिंदी का भविष्य उज्जवल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे उन्होंने हिंदी के विकसित न होने के अनेक ध्यान देने योग्य कारणों को उजागर किया और उसके निराकरण के उपायों की भी जानकारी दी।

इस कार्यशाला के दूसरी पाली में प्रो. अजय कुमार ने राजभाषा नीति, संक्षेपण, टिप्पण व आलेखन के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी और उन्होंने सारांश में कहा कि जितना हम बोल-चाल की भाषा के माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं, अगर उतना ही अपनी लेखनी के माध्यम से अपने कार्यालयी कार्य में बिना किसी हिचकिचाहट के प्रयोग करें तो वह दिन दूर नहीं कि हिंदी का प्रसार भी फले-फूलेगा ।

नैशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड खनिज भवन, 10-3-311ए/, कैसल हिल्स मासाब टैंक, हैदराबाद-500 028

विशेष हिंदी कार्यशाला दिनांक 20 से 22 मार्च, 2006 तक दो बैचों में आयोजित की गई । इस विशेष कार्यशाला का आयोजन मुख्यालय के योजना एवं अभियांत्रिकी, अन्वेषण, पर्यावरण एवं संसाधन योजना विभागों में कार्यरत अधिकारियों के लिए विशेष रूप से उनके दैनंदिन कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के साथ ही राजभाषा की नीति, अधिनियम व नियमों तथा उनके प्रावधानों के संबंध में जानकारी देने तथा इस दिशा में उनकी जिम्मेदारियों से परिचय कराने के लिए किया गया ।

कार्यशाला के आरंभ में श्री विजय कुमार, प्रबंधक (राजभाषा), ने प्रतिभागियों को इसके उद्देश्य एवं इसकी उपादेयता से अवगत कराते हुए निगम की इस क्षेत्र में उपलब्धियों का जिक्र किया। आपने कंप्यूटर पर प्राप्त लीप ऑफीस और नए पैकेज MS office indic में कंप्यूटर

पर हिंदी कार्य की सुविधाओं की उपलब्धता की चर्चा की और इनके उपयोग पर बल दिया। साथ ही प्रतिभागियों को हिंदी के कार्यान्वयन तथा प्रयोग को बढ़ाने में व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करने का भी अनुरोध किया। दो सत्रों में आयोजित इस कार्यशाला में 34 अधिकारियों ने भाग लिया।

दिनांक 20-3-2006 को श्री वृहस्पति शर्मा, प्रबंधक (राजभाषा), पंजाब नेशनल बैंक ने राजभाषा नीति, अधिनियम व नियम तथा दैनंदिन कार्यों में हिंदी के प्रयोग में आने वाले कठिनाइयों के बारे में व्याख्यान दिया। दिनांक 21-3-2006 को डॉ नारायण रेड्डी, उप निदेशक (राजभाषा), कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हिंदी पत्राचार, वाक्य विन्यास तथा सामान्य व्याकरणगत त्रुटियों पर और दि. 22-3-2006 को श्री मोहम्मद कमालुदीन हिंदी प्राध्यापक हिंदी शिक्षण योजना ने कार्यालय में दैनंदिन प्रयोग में आने वाली नेमी टिप्पणियाँ, प्रशासनिक शब्दावली के प्रयोग पर व्याख्यान के साथ-साथ अभ्यास भी कराया।

परमाणु ऊर्जा विभाग, भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन, तमिलनाडु

तूतीकोरिन में दिनांक 14-15 मार्च, 2006 को संयंत्र के अतिथि गृह के सभागृह में दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री एम.एस.एन शास्त्री ने किया। इस अवसर पर उत्पादन प्रबंधक श्री कल्याणकृष्णन भी उपस्थित थे। श्री एम.एस.एन. शास्त्री ने कहा कि भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन में कार्यशाला निरंतर आयोजित की जा रही इन त्रैमासिक हिंदी कार्यशालाओं में आने वाले प्रतिभागियों का हर बार कुछ न कुछ नए विषयों के बारे में जानकारी मिलती है एवं उन्हें इन कार्यशालाओं में आपसी बातचीत, चर्चा एवं पढ़ाए जाने वाले विषयों में हर बार कुछ नये शब्दों की जानकारी मिलती है। अंत:, इन कार्यशालाओं का आयोजन सतत् रूप से निरंतर किया जाना चाहिए एवं कर्मचारियों को भी इससे लाभ उठाकर दैनिक प्रयोग में कुछ न कुछ हिंदी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।

कार्यशाला में तूतीकोरिन स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य कार्यालयों से भी प्रतिभागियों को नामित आमंत्रित किया गया। जिनमें केनरा बैंक, कोस्ट गार्ड, सी. एमएफआरआई, एनएफसी, एमएमडी, भारी पानी संयंत्र को मिलाकर कुल 18 प्रतिभागी उपस्थित थे ।

अंत में दो दिनों में दिए गए व्याख्यानों के आधार पर प्रतिभागियों से प्रश्न पूछे गए एवं विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया साथ ही उन्हें प्रमाणपत्र भी प्रदान किएं गए ।

क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय रेशम बोर्ड, स्वामी विवेकानंद वार्ड, पो.बॉ. नं. 17, भंडारा-441904

केंद्रीय रेशम बोर्ड (भारत सरकार) की संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वाधान में क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केंद्र, भंडारा में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 25-03-2006 को किया गया । इस कार्यशाला में भंडारा स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों के 25 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. एस. के. माथुर, उपनिदेशक, क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केंद्र, भंडारा ने की । डॉ. माथुर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में उनके अधीनस्थ कार्य करने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की खुल कर तारीफ की कि राजभाषा कार्यान्वयन लक्ष्य की प्राप्ती उन्ही के सहयोग का परिणाम हैं । डॉ. माथुर ने कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन को विभिन्न धाराओं के अनुपालन तक तथा अनुवाद की भाषा तक ही सीमित न रखें बल्कि इसे जन-जन की भाषा बनाने का प्रयास करें ।

श्रीमति अनीता जयसवाल ने वाक्यांश एवं कार्यालयीन मुहावरों के प्रयोग पर विस्तृत चर्चा की । श्री.एस.बी. तुमडाम ने राजभाषा कार्यान्वयन की तिमाही रिपोर्ट को सही भरने की विधि पर बारीकी से चर्चा की एवं सभी प्रतिभागियों को अभ्यास करवाया गया । श्री. बी.बी अवसरमोल सहायक निदेशक, दवडीपार ने भी अपने विचार प्रकट किये । कार्यक्रम का कुशल संचालन डॉ. एन.आर. सिंघवी ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन श्री. ए.जे. करंडे ने किया।

केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, खड़कवासला, पुणे-411024

केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे के कर्मचारियों को हिंदी में काम करने हेतु प्रेरित तथा मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से दिनांक 9-3-2006 तथा 10-3-2006 को हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई ।

कार्यशाला का आरंभ कार्यालय के संयुक्त निदेशक, श्री फ्रांसिस मॅथ्यू, अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता में औपचारिक उद्घाटन समारोह से हुआ। कार्यशाला में व्याख्याता की हैसियत से श्री नारायण प्रसाद, मुख्य अनुसंधान अधिकारी और श्री श्रीकांत कुबल, हिंदी अधिकारी उपस्थित रहे ।

श्री नारायण प्रसाद ने शब्द निर्माण तथा हिंदी वर्तनी से संबंधित व्याख्यान दिए । श्री श्रीकांत कुबल ने कार्यशाला में अपने व्याख्यान में राजभाषा नीति, राजभाषा नियम, अधिनियम का पालन, आंकड़े, पत्राचार, मूल टिप्पण आलेखन की भारत सरकार की पुरस्कार योजना, सरकारी सेवा में भर्ती और आरक्षण, छुट्टी के प्रकार, पदोन्नति और आचरण नियमावली आदि की जानकारी देते हुए राजभाषा के प्रचार प्रसार में कर्मचारियों की भूमिका की भी जानकारी दी ।

कार्यशाला में 18 कर्मचारियों ने भाग लिया, इसमें सभी अनुसंधान सहायकों (इंजीनियरी) ने भाग लिया। कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों को "हिंदी कार्यशाला" नामक छपवाई गई पुस्तिका का वितरण किया गया। इस पुस्तिका में कार्यालयीन कामकाज में उपयुक्त सामग्री जैसे पत्र, प्रपत्र, अनुस्मारक आदि के मसौदे और वाक्यांश आदि सम्मिलित किए गए थे। इसके अलावा अनुसंधान शाला से संबंधित पदनाम, प्रभागों/अनुभागों के नाम तथा अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध थी।

हिंदी कार्यशाला में उपस्थित कर्मचारियों से कार्यशाला के संबंध में उनकी अनुक्रिया माँगी गई थी। उनसे प्राप्त अनुक्रियाओं की मुख्य बातें निम्नानुसार है :

- हिंदी कार्यशाला की अवधि बढ़ाई जाए ।
- कार्यालय में टिप्पणी तथा आलेखन किस प्रकार किया जाए, इस पर बहुत ही विस्तृत में चर्चा की गई। इससे पत्राचार में बढ़ोतरी होगी ।
- पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन और छुट्टियों के प्रकार आदि से संबंधित जानकारी बहुत ही अच्छे और सरल शब्दों में बताई गई ।
- कार्यालयीन कामकाज हिंदी में करने हेतु हिंदी कार्यशाला बहुत ही फायदेमंद और प्रशंसनीय है।
- हिंदी कार्यशाला में हमें सरकार की राजभाषा नीति, सरकारी सेवा में भर्ती और आरक्षण, छुट्टी के प्रकार, पदोन्नति और आचारण नियमावली के बारे में बहुत ही जानकारी ज्ञात हुई ।
- हिंदी की वर्तनी, व्याकरण के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इससे कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलता है ।

महानिदेशालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, नई दिल्ली

सरकारी काम हिंदी में करने में कर्मचारियों की झिझक दूर करने के लिए केंद्रीय अभिलेख कार्यालय के लिपिकीय प्रशिक्षण स्कूल, तिगड़ी में यूनिटों आदि से आए 18 है. कां./सी.एम. के लिए 10 से 16 मार्च, 2006 तक "चार कार्य दिवसीय हिंदी कार्यशाला" आयोजित की गई ।

श्री आई. एस.नेगी, अपर उप महानिरीक्षक (प्रशासन) ने अपने स्वागत संबोधन में आशा प्रकट की कि इस प्रकार की कार्यशालाओं के आयोजन से हर स्तर पर सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ेगा और कार्मिकों की हिंदी में काम करने में आने वाली कठिनाइयां भी कम होंगी । उन्होंने अवगत कराया कि इस कार्यशाला में हिंदी से जुड़े विभिन्न विषयों की व्यावहारिक कक्षाओं को भी आयोजित किया गया और सभी प्रशिक्षणार्थियों ने इसमें उत्साह और रुचि से भाग लेकर कार्यशाला को सफल बनाया । उन्होंने

(शेष पृष्ठ 74 पर)

संगोष्ठी/सम्मेलन

अंचल कार्यालय, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

वैश्वीकरण और हिंदी पर अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठी

''वैश्वीकरण हिंदी के लिए चुनौती है और अवसर भी''

''वैश्वीकरण हिंदी के लिए हर कदम पर चुनौती है और हर कदम पर अवसर भी। जहां समृद्धि होगी तो वहां की भाषाएं भी समृद्ध होंगी । अंग्रेजी अभिशाप नहीं अपितु हमारी मानसिकता ही सबसे बड़ा अभिशाप है''। ये उद्गार ब्रिटेन में भारत के पूर्व उच्चायुक्त एवं ख्यात विधिवेत्ता डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के उत्तरी अंचल दिल्ली द्वारा ''वैश्वीकरण की चुनौतियां और हिंदी'' विषय पर आयोजित अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठी में व्यक्त किए। संगोष्ठी की अध्यक्षता बैंक के महाप्रबंधक श्री डी.डी. माहेश्वरी ने की तथा संयोजन-संचालन वरिष्ठ प्रबंधक डॉ. जवाहर कर्नावट ने किया।

इस संगोष्ठी में यू.के., यू.एस.ए. एवं फिजी में हिंदी के उन्नयन हेतु कार्यरत विद्वानों के अलावा विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए । संगोष्ठी को संबोधित करते हुए फिजी में प्रथम सचिव (संस्कृति एवं हिंदी) रहे डॉ. विमलेशकांति वर्मा ने कहा वैश्वीकरण के दौर में हमें भाषाओं के प्रयोग को तटस्थ भाव से देखना चाहिए। परिवर्तित हो रहे युग में हिंदी वही चलेगी जो बोली जाती है। अपनी लिपि में भाषा अधिक अच्छी लगती है किन्तु इसका अधिक आग्रह नहीं रखा जाना चाहिए। यू.एस.ए. के वरिष्ठ हिंदी लेखक एवं वॉइस ऑफ अमेरिका पूर्व प्रोड्यूसर श्री उमेश अग्निहोत्री जी ने कहा कि पिछले एक दशक में हिंदी को वैश्विक स्तर पर अलग पहचान मिली है। यह अत्यंत आवश्यक है कि हिंदी को अब अर्थ तन्त्र से जोड़ा जाए । विदेश मंत्रालय की उप सचिव (हिंदी) श्रीमती मधु गोस्वामी ने कहा कि वैश्वीकरण के युग में हमारी भाषाओं के लिए चुनौतियां तो अनंत हैं किन्तु स्थिति निराशाजनक नहीं है। आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने के कारण ही अब भारतीय भाषाओं और संस्कृति का वैश्वीक स्तर पर बेहतर आंकलन हो रहा है । हावर्ड वि.वि. ने अब भारत को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है । प्रख्यात आई.टी. विशेषज्ञ श्री विजयकुमार मल्होत्रा ने सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के बढ़ते कदम पर चर्चा करते हुए वैश्वीकरण और स्थानीयकरण के समन्वय पर बल दिया । ब्रिटेन में भारत के पूर्व संस्कृति अधिकारी एवं प्रवासी टाईम्स के संपादक श्री अनिल शर्मा ने वैश्वीकरण के कारण गांवों और शहरों में बढ़ती दूरियों और पलायन को रेखांकित किया । उन्होंने प्रौद्योगिकी से हिंदी को जोड़ने की बात कही । संगोष्ठी को वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग के संयुक्त निदेशक (हिंदी) श्री रमेशबाबू अणियेरी एवं गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के उप-निदेशक श्री प्रेमसिंह एवं श्री रामनिवास शुक्ल ने भी संबोधित किया । संगोष्ठी में ब्रिटेन से प्रकाशित हिंदी पत्रिका 'पुरवाई' के प्रबंध संपादक श्री के.बी.एल. सक्सैना एवं अन्य विद्वान भी उपस्थित रहे । इस अवसर पर बैंक के उत्तरी अंचल द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'सुगंध' का लोकापर्ण डॉ. सिंघवी ने किया ।

भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन, तमिलनाडु

''तृतीय राजभाषा वैज्ञानिक संगोष्ठी''

दिनांक **21 एवं 22 मार्च, 2006** को एक दो पूर्ण दिवसीय वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन राजभाषा में किया गया जिसमें भारी पानी संयंत्र तूतीकोरिन के वैज्ञानिकों, कार्मिकों

सहित वैज्ञानिक सहायकों तूतीकोरीन स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य कार्यालयों जिसमें सीएमएफआरआई, तटरक्षक अवस्थान, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, सीआईएसएफ, सीईसीआरआई, नमक विभाग, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र इत्यादि कार्यालयों से भी प्रतिभागियों को नामांकित किया गया ।

वैज्ञानिक संगोष्ठी संबंधी विषय का प्रवर्तन करते हुए सहायक निदेशक राजभाषा श्री मनोज शर्मा ने बताया कि संगोष्ठी आयोजन का उनका यह तीसरा प्रयास है एवं वे हर वर्ष विभिन्न विज्ञान एवं तकनीकी, सुरक्षा विषयों को लेकर व्याख्यानों का आयोजन राजभाषा में करते हैं । अभी तक आयोजित तीन राजभाषा वैज्ञानिक संगोष्ठियों में कुल 35 व्याख्यान विभिन्न तकनीकी विषयों पर दिए जा चुके हैं एवं संगोष्ठी से संबंधित दो स्मारिकाएं भी प्रकाशित हो चुकी हैं । व्याख्यान भारी पानी संयंत्र के वैज्ञानिक अधिकारियों के साथ ही सीएमएफआरआई, कोस्टगार्ड के तकनीकी अधिकारियों द्वारा भी प्रस्तुत किए जाते हैं । सहायक निदेशक ने इस अवसर पर प्राचीन भारतीय विज्ञान एवं आधुनिक विज्ञान संबंधी एक संक्षिप्त वार्ता भी प्रस्तुत की।

मुख्य अतिथि संयुक्त सीमा शुल्क आयुक्त श्री एम.एन. धर ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि भारी पानी संयंत्र द्वारा हिंदी कार्यान्वयन हेतु किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं एवं यह कम महत्पूर्ण नहीं है कि यहां हिंदी कार्यशालाओं वैज्ञानिक संगोष्ठियों में तूतीकोरिन स्थित अन्य केंद्र सरकार के कार्यालयों से भी प्रतिभागियों को आमंत्रित करते हैं तथा उन्हें व्याख्यान देने एवं भाग लेने का एक मंच/अवसर प्रदान करते हैं ।

इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री रामाराव ने कहा कि हालांकि दक्षिण भारत में हिंदी स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग संतोषजनक नहीं है फिर भी हम ऐसे आयोजन कर कर्मचारियों में हिंदी के प्रति रुचि जागरूक कर सकते हैं एवं बार-बार ऐसे आयोजन में उनमें हिंदी सीखने के प्रति उत्सुकता बढ़ती है एवं भारी पानी संयंत्र इस जिम्मेवारी का निर्वाह सुचारू रूप से कर रहा है ।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, हरिद्वार रोड, मोहकमपुर, देहरादून-248005

"आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठी-XII का आयोजन"

गत दिवस **'आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठी-XII'** का आयोजन संस्थान के मुख्य गोष्ठी कक्ष में संपन्न हुआ । संगोष्ठी का उद्‌घाटन करते हुए संस्थान के निदेशक डॉ. एम ओ गर्ग ने कहा कि यद्यपि वैज्ञानिकों के अध्ययन व अनुसंधान का माध्यम अंग्रेजी रहा है फिर भी उनका हिंदी में विज्ञान लेखन करना अत्यंत महत्व का विषय है । हमारा संस्थान पेट्रोलियम के अध:प्रवाह क्षेत्र में देश का एक अग्रणी संस्थान है । इस हिंदी संगोष्ठी में प्रस्तुत किए जाने वाले ये सभी शोध-पत्र स्तरयी शोध पत्र हैं जो संबंधित क्षेत्रों की अनुसंधानपरक उपलब्धियों को रेखांकित करते हैं । शोध-पत्र मिली-जुली भाषा में है जो समझने में अत्यंत सहायक हो सकते हैं । निश्चय ही ये प्रयास हिंदी में विज्ञान लेखन को नई दिशा देंगे। संस्थान का प्रयास रहेगा कि हिंदी संगोष्ठियों में पढ़े गए इन शोध-पत्रों का पुस्तकाकार प्रकाशन किया जाए ताकि अधिकाधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

संगोष्ठी के संयोजक डॉ. दिनेश चिमोला ने कहा कि विज्ञान वह है जो राष्ट्र के चिंतन की दिशा बदल दे व आम व्यक्ति के रहन-सहन, सोच तथा जीवन स्तर को समृद्ध करे। प्रयोगशाला में बंद व विदेशी भाषाओं में अर्जित ज्ञान व अनुसंधान आम जन के लिए भला किस काम का ? विज्ञान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए आवश्यकता है अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों को हिंदी व भारतीय भाषाओं में, भाषायी स्वाभिमान के साथ अभिव्यक्त करने की, जिसमें ऐसी संगोष्ठियां उत्प्रेरक सिद्ध हो सकती हैं ।

संगोष्ठी में संस्थान के वैज्ञानिकों यथा-श्री मूलचंद एवं डॉ. नीरज अथैया ने **'तरल उत्प्रेरकीय भंजन प्रौद्योगिकी में योज्य की भूमिका'**; श्री निशान सिंह एवं श्री देवेन्द्र सिंह ने **'ऑटोमोटिव तथा विनिर्माण यंत्रावली हेतु पर्यावरण स्नेही गुरु कार्य स्नेहक मांग'**; श्री बसंत कुमार एवं श्री सी. डी. शर्मा ने **'अति कांतिक द्रव वर्णलेखिकी**

का प्रयोग कर डीजल ईंधन तथा इसकी विभिन्न मिश्रित धाराओं में बहु-ऐरोमैटिक हाइड्रोकार्बनों का निर्धारण'; डॉ. वाई. के. शर्मा एवं श्री सुंदराम शर्मा ने '**खनिज तेल एवं उनका मूल्यांकन**' तथा डॉ. बी. आर. नौटियाल एवं श्री धर्मपाल ने '**विलायक आधारित द्रव-द्रव निष्कर्षण**' विषय पर क्रमशः शोध-पत्रों की प्रस्तुतियां हिंदी में दीं ।

धन्यवाद ज्ञापित करते हुए श्री एस के सदाना, प्रशासन नियंत्रक ने सभी वैज्ञानिकों से इसी प्रकार हिंदी में शोध-पत्र लिखते रहने की अपील की तथा कहा कि अहिंदी भाषी वैज्ञानिक भी हिंदी लेखन कर अपने हिंदी प्रेम का परिचय दे रहे हैं ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में दिनांक 21 फरवरी, 2006 को 'पूसा संस्थान की व्यवसाय योग्य प्रौद्योगिकियां' विषय पर एक दिवसीय वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया । 'पूसा प्रौद्योगिकियों का विकास-कृषि उद्यमियों का विकास' की विषय-वस्तु को लेकर आयोजित की गई इस संगोष्ठी में संस्थान के सभी संभागों/पीठों के वैज्ञानिकों ने भाग लिया । इस संगोष्ठी का उद्घाटन परिषद् के महानिदेशक एवं सचिव डेयरी डॉ. मंगला राय ने किया । समारोह की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक डॉ. अनिल कुमार सिंह ने की और इस संगोष्ठी की संकल्पना एवं आयोजन संयुक्त निदेशक (अनुसंधान) डॉ. बी. एस. परमार के तत्वाधान में किया गया। इस संगोष्ठी के प्रथम सत्र में संस्थान के पांचों स्कूलों अर्थात् मूल विज्ञान, फसल एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंध, फसल सुधार, फसल सुरक्षा में व्यवसाय योग्य प्रौद्योगिकियां तथा समाज विज्ञान-विश्व व्यापार संगठन एवं भारतीय कृषि के प्रमुख वक्ताओं के द्वारा प्रस्तुतिकरण किए गए। संगोष्ठी के दूसरे सत्र में पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रीय किसान आयोग के सदस्य डॉ. राम बदन सिंह ने की । पैनल चर्चा में श्री आर. जी. अग्रवाल, श्री सलिल सिंघल जैसे विशिष्ट उद्योगपतियों ने भाग लिया तो दूसरी ओर सुधीर अग्रवाल तथा भगवान दास जैसे प्रगतिशील किसानों ने भी भाग लिया । इसमें एन.आर.डी.सी. जैसे उद्यमों के प्रतिनिधि डॉ. ए. प्रधान की भी प्रतिभागिता रही । इस पैनल चर्चा में उद्योग जगत की संस्थान से अपेक्षाएं जैसे महत्वपूर्ण मदों को उठाया गया । इसी संदर्भ में किसानों के सामने आने वाली समस्याओं और उनके सार्थक समाधानों पर भी चर्चा की गई। इस पैनल चर्चा में उद्योग जगत के प्रतिभागियों, किसानों का संस्थान के प्रतिनिधियों से सीधा सम्पर्क हुआ और इस चर्चा से बहुत ही सारगर्भित निष्कर्ष सामने आए । संगोष्ठी में प्रस्तुत किए गए सभी शोध-पत्रों को संकलित कर उनका प्रकाशन कर दिया गया था और संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में महानिदेशक द्वारा इसका विमोचन किया गया । संस्थान के सभी स्कूलों की प्रमुख व्यवसाय योग्य प्रौद्योगिकियों को रेखांकित करते हुए यह प्रकाशन निस्संदेह रूप से किसानों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों तथा प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा ।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी

राष्ट्रीय राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन

दिनांक 16-11-2005 को केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली एवं ला.ब.शा.रा. प्रशासन अकादमी, मसूरी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एकदिवसीय राष्ट्रीय राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन अकादमी के सरदार पटेल हॉल में किया गया जिसमें देश के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान, प्रो. राममूर्ति त्रिपाठी, उज्जैन; प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित, भूतपूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष, हिंदी एवं भारतीय भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, डॉ. योगेन्द्र प्रताप सिंह, उपाचार्य, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ; डॉ. अनूप वशिष्ठ, विभागाध्यक्ष (हिंदी), पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर; डॉ भारतेन्दु मिश्र, सहायक निदेशक सर्व शिक्षा अभियान, नई दिल्ली तथा डॉ. कैलाश नीहारिका, प्रतिनिधि, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली सम्मिलित हुए । इन विद्वानों के वक्तव्यों में एक मुख्य बात विशेष उल्लेखनीय रही कि सभी ने एक स्वर से राजभाषा के व्यावहारिक पहलू के प्रति उदासीनता को इंगित किया । इस उदासीनता को दूर करके ही राजभाषा के कार्यान्वयन में शत-प्रतिशत सफलता प्राप्त की जा सकती है ।

इस आयोजन की अध्यक्षता प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित, भूतपूर्व अध्यक्ष, हिंदी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय ने की और मुख्य अतिथि थे आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी। श्री एल.सी. सिंघी, उपनिदेशक वरिष्ठ तथा प्रशासन प्रभारी ने अपने स्वागत भाषण में आमंत्रित विद्वानों के गरिमामयी व्यक्तित्व और भाषा तथा साहित्य के लिए उपयोगी कृतित्व की संक्षिप्त चर्चा की तथा इनके आगमन को राजभाषा तथा अकादमी दोनों के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए आभार भी व्यक्त किया। डॉ. ज्योति पांडेय ने विद्वानों का विस्तृत परिचय देते हुए उनके मुख्य अवदानों का उल्लेख किया। गोष्ठी के समापन पर श्री ए.एस. खुल्लर, आचार्य तथा राजभाषा प्रभारी ने अपने धन्यवाद ज्ञापन में सभी अतिथि वक्ताओं के प्रति भावनात्मक आभार व्यक्त करते हुए ऐसे आयोजनों की उपयोगिता के कारण इन्हें समय-समय पर किए जाने की आवश्यकता बताई और भविष्य में ऐसे आयोजनों को करते रहने का आश्वासन भी दिया। गोष्ठी के तुरंत बाद प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत काव्य पाठ ने कार्यक्रम को और भी अधिक गरिमामयी तथा सरस बना दिया। इस काव्य पाठ का समापन प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित की 'राम की शक्ति पूजा' के प्रभावशाली पाठ से हुआ। कार्यक्रम का संचालन और संयोजन श्री गंगा प्रसाद शर्मा, सहायक आचार्य, हिंदी तथा सहयोग श्री दिनेश चंद्र तिवारी ने किया।

इसमें प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित का यह विचार विशेष उल्लेखनीय है कि राजभाषा के अनुपालन में पुरस्कार के साथ-साथ दंड का विधान भी होना चाहिए और दिनोंदिन बढ़ती हुई राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या भी हिंदी के विकास में साधक की बजाय बाधक का रूप ले सकती है। इनके अतिरिक्त आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी ने भाषा की संस्कृति पर अपना महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया। डॉ. भारतेंदु मिश्र ने हिंदी की व्यावहारिक उपयोगिता पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। डॉ. अनूप वशिष्ठ ने अपने विषय प्रवर्तन में राजभाषा हिंदी की व्यावहारिक कठिनाइयों और शब्दावली निर्माण पर गंभीर चिंतनपरक विचार व्यक्त किए और भाषा के सरलीकरण पर जोर दिया। डॉ. योगेंद्र प्रताप सिंह ने राजभाषा की संवैधानिक स्थिति पर गहन और विस्तृत चर्चा की। डॉ. कैलाश नीहारिका, प्रतिनिधि, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने केंद्रीय हिंदी निदेशालय की प्रगतिगामी गतिविधियों का उल्लेख करते हुए राजभाषा हिंदी की दशा के प्रति आशाजनक दृष्टिकोण अपनाते हुए भविष्य की भाषा हिंदी के और भी प्रभावशाली रूप की संभावना दर्शाई। श्रीमती वसुधा मिश्रा, उपनिदेशक वरिष्ठ ने हिंदी के राजभाषा रूप को अपनाने में और भी अधिक प्रभावशाली बनाने के साथ-साथ अंग्रेजी को सिरे से खारिज करने की बात को मुश्किल और अव्यावहारिक बताया।

(पृष्ठ 70 का शेष)

परिणाम की घोषणा की और समस्त प्रशिक्षणार्थियों को बधाई दी।

मुख्य अतिथि श्री प्रमोद अस्थाना, भा.पु.से., उप महानिरीक्षक (प्रशासन) ने राजभाषा नीति एवं हिंदी में कार्य करने की झिझक दूर करने के लिए चलाई जा रही कार्यशाला में प्रशिक्षणार्थियों के भाग लेने पर प्रसन्नता प्रकट की और आशा व्यक्त की कि इसमें उन्होंने अवश्य कोई नई चीज सीखी होगी। उन्होंने कहा कि हम अपने ही देश में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए बड़ी धनराशि खर्च कर रहे हैं ताकि हम एक भाषा में देश को एक सूत्र में बांध सकें और इसमें हम आज भी प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि कई सौ साल पहले से ही हमारे देश में हिंदी का प्रयोग हो रहा है परंतु अभी भी हिंदी में अपना कार्य करने के लिए कार्यशाला का आयोजन करना पड़ता है व प्रशिक्षण लेना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो काम किसी आसान शब्द से निपटाया जा सकता है उसके लिए हम कठिन शब्द ढूंढ के ले आते हैं। अगर उसी को सरल भाषा में कह दिया जाए तो शायद लिखने एवं सुनने वाले के लिए आसान हो और उसको समझना भी आसान होगा। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि प्रशिक्षणार्थियों ने कार्यशाला में जो कुछ सीखा है उसका प्रयोग करें तथा अपने दूसरे सहकर्मियों को भी बताने का प्रयास करेंगे। इसके साथ-साथ खाली समय में भी इस पर चर्चा करें। इससे धीरे-धीरे वे भाषा के लिए भी कुछ कर सकेंगे।

अंत में उन्होंने कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों, विशेषकर परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त कार्मिकों को बधाई दी। उन्होंने हिंदी कार्यशाला के सुव्यवस्थित आयोजन की सराहना की और कार्यशाला के इस समारोह में आमंत्रित करने के लिए आभार प्रकट किया। ■

पुरस्कार

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, जीवन सुधा, 8वीं मंजिल, 42सी, जवाहर लाल नेहरू रोड, कोलकाता-700071

क्षेत्रीय कार्यालय एवं इसकी 7 शाखाओं एवं 3 सी सी ओ में दिनांक 12-12-05 को 12 बजे अंतर शाखा क्विज के प्रथम चरण का आयोजन किया गया। इसमें खण्ड 'क' में राजभाषा, खण्ड 'ख' में सामान्य ज्ञान, खण्ड 'ग' में आई एस ओ एवं खण्ड 'घ' में कंपनी की जानकारी से संबंधी प्रश्न थे। कुल 85 प्रश्न एक पुस्तिका के आकार में दिए गए, जिनके उत्तर लिख कर देने थे। हर स्थान पर प्रथम आने वाले कर्मी को क्षेत्रीय कार्यालय में 26-12-05 को बुलाकर कंप्यूटर द्वारा अंतिम चरण की मौखिक प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में 8 कर्मियों ने भाग लिया। कंप्यूटरीकृत क्विज के मास्टर के रूप में श्री रफीक अहमद जेनाबाडे को आमंत्रित किया गया। शा.वि:का./भुबनेश्वर की सुश्री अनुराधा दास ने प्रथम, श्री समिरन गुहा राय, क्षे.का. ने द्वितीय एवं श्री आर. के. लाल, शा.वि.का./पटना ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में भी राजभाषा, सामान्य ज्ञान और कंपनी की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे गए।

पुरस्कार वितरण समारोह में बोलते हुए श्रीमती चन्दना बनर्जी, उ.म.प्र. (का)/पू.क्षे. ने कहा, "राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए रुचि पैदा करने का माध्यम यह क्विज है। इसका उद्देश्य है जहां एक ओर जानकारी बढ़ाना है, वहीं दूसरी ओर हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित करना है।" श्री वी. दवे, क्षे. प्र. (एल पी) ने कहा कि "ऐसे कार्यक्रम से जागरूकता पैदा करना है। मैं अपना काम हिंदी में तो करता ही हूं, साथ ही आप भी अपना अधिकतर कार्यालयी काम हिंदी में करें, सभी इनकी सार्थकता है। मूल उद्देश्य की ओर अग्रसर होना ही इनका सफलता का द्योतक है।" क्षे.प्र. (एफ पी) एवं रा.भा.का.स. के अध्यक्ष डा. अनिल धवन ने कहा इतनी बड़ी संख्या में भाग लेना इस बात का सूचक है कि लोगों का रुझान हिंदी की ओर है। हिंदी में काम करने के लिए हमें अब इंतजार नहीं करना है। सभी प्रतिभागियों ने अपने विचारों में इस प्रतियोगिता को नई, रुचिकर एवं ज्ञानवर्धक बताया। प्रबंधक (हिंदी)/पू.क्षे. खुर्शीद मुहम्मद के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

आकाशवाणी पणजी, गोवा

भारत सरकार, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा पश्चिम और मध्य क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के लिए 22 और 23 मार्च, 2006 को मुंबई में राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारत सरकार, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के सचिव श्री देवदास छोटराय द्वारा आकाशवाणी पणजी को राजभाषा शील्ड (द्वितीय पुरस्कार) प्रदान किया गया। आकाशवाणी पणजी के सहायक केंद्र निदेशक श्री अनिल श्रीवास्तव ने राजभाषा शील्ड और श्री खगेश्वर प्रसाद यादव हिंदी अधिकारी को प्रदत्त प्रशस्ति पत्र ग्रहण किया। यह पुरस्कार पश्चिम ग क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों की श्रेणी में वर्ष 2004-2005 के दौरान राजभाषा नीति के श्रेष्ठ निष्पादन के लिए दिया गया है।

केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, प्लाट नं. 2, दक्षिण मार्ग, सैक्टर-36ए, चंडीगढ.-160036

केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में 28 फरवरी, 2006 को **विज्ञान दिवस** के अवसर पर

वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के लिए गृह मंत्रालय की "राजभाषा शील्ड योजना" में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दिनांक 30-03-2006 को गृह मंत्रालय के कांफ्रेंस हाल में आयोजित भव्य समारोह में माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज वि. पाटील ने बल प्रमुख श्री वि.कु. जोशी भा. पु. से. को ये शील्डें प्रदान कीं।

इससे पूर्व भी बल ने वर्ष 1991 से 1997 तक लगातार छः वर्षों तक इस योजना में प्रथम स्थान प्राप्त कर शील्डें प्राप्त की हैं। इस उपलब्धि से भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल ने सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।

इस उपलब्धि से बल के यश में तो वृद्धि हुई ही है साथ ही हिमवीरों को अपना अधिक से अधिक सरकारी काम-काज राजभाषा में निपटाने के लिए प्रेरणा भी मिली है। इस उपलब्धि के लिए बल के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी बधाई के पात्र हैं।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जम्मू व कश्मीर क्षेत्रीय कार्यालय चौथी मंजिल, बी 2 साउथ ब्लॉक बाहू प्लाजा, जम्मू

भारत सरकार गृह मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर) द्वारा देहरादून के ए. एम. एन. घोष आडिटोरियम में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन दिनांक 7-8 मार्च, 2006 को किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर उतरांचल के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री सुदर्शन अग्रवाल के कर कमलों से पुरस्कार वितरित किए गए। इस अवसर पर नाबार्ड जम्मू को तत्कालीन अवधि 2004-05 में हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए द्वितीय पुरस्कार दिया गया जिसमें प्रशासनिक प्रधान श्री एस. महापात्र मुख्य महाप्रबंधक को शील्ड तथा पुरस्कार तथा हिंदी अधिकारी श्री परमजीत सिंह चौहान को स्टाफ से अच्छा काम करवाने हेतु उनके नाम से प्रमाण पत्र दिया गया।

हिंदी में आयकर दिग्दर्शिका के प्रकाशन के लिए मुख्य आयकर आयुक्त, कानपुर को प्रशस्ति-पत्र

मुख्य आयकर आयुक्त, कानपुर के हिंदी अनुभाग द्वारा लघु करदाताओं एवं सामान्य जनता को हिंदी में आयकर संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा नि. व. 2006-07 के लिए प्रकाशित की गई पुस्तिका "फाइलिंग योर टैक्स रिटर्न" का हिंदी संस्करण "अपनी आयकर विवरणी कैसे दाखिल करें" नाम से प्रकाशित किया गया है। अभी हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 60वीं बैठक में क्षेत्रीय स्तर पर राजभाषा हिंदी में आयकर संबंधी प्रकाशन किए जाने की प्रशंसा की गई है तथा इस अनुकरणीय कार्य के लिए मुख्य आयकर आयुक्त, कानपुर को प्रशंसा-पत्र प्रदान किया गया है। इस पुस्तिका का विमोचन दिनांक 25 अप्रैल, 2006 को श्री बी. के. श्रीवास्तव, मुख्य आयकर आयुक्त कानपुर द्वारा प्रतिष्ठित करदाताओं, कर विशेषज्ञ/सलाहकारों एवं विभागीय अधिकारियों के मध्य किया गया था। इस पुस्तिका का हिंदी अनुवाद एवं संपादन श्री विश्वनाथ प्रसाद कैलखुरी, सहायक निदेशक (रा.भा.) एवं अद्यतन श्री एस.के. मिश्रा, आयकर अधिकारी द्वारा किया गया है।

उल्लेखनीय है कि इस पुस्तिका में नि.व. 2006-07 के लिए आयकर दरें, आयकर विवरणी भरने की विधि एवं करदाताओं को मिलने वाली विभिन्न छूट/राहत इत्यादि की जानकारी सरल एवं बोधगम्य भाषा में उपलब्ध कराई गई है। ■

प्रशिक्षण

नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, कार्यालय कार्यपालक निदेशक क्षेत्र-II, बनीखेत, जिला : चंबा (हि.प्र.)

एन.एच.पी.सी. क्षेत्र-II कार्यालय, बनीखेत द्वारा देशभर से आए एनएचपीसी की विभिन्न परियोजनाओं/पावर स्टेशनों/संपर्क कार्यालयों के राजभाषा अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु 17-21अप्रैल, 2006 तक केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सौजन्य से चमेरा पावर स्टेशन चरण-1, खैरी में 5 दिवसीय उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय कार्यपालक निदेशक क्षेत्र-II श्री एम.के. रैना ने दीप प्रज्जवलित करके किया । अपने संबोधन में श्री रैना ने कहा कि क्षेत्र-II के लिए यह बहुत गौरव का विषय है कि निगम ने इतने व्यापक स्तर का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए क्षेत्र-II कार्यालय, बनीखेत का चयन किया है । उन्होंने आगे कहा कि एन.एच.पी.सी. क्षेत्र-II विद्युत् उत्पादन के साथ-साथ राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर विकास के लिए भी कृतसंकल्पित है और जिला चंबा में हिंदी के विकास के लिए पहल करते हुए क्षेत्र-II कार्यालय द्वारा जिला चंबा के साहित्यकारों, रचनाकारों, कवियों तथा हिंदी के लिए कार्य कर रहे विशिष्ट लोगों को प्रोत्साहन एवं सम्मान देने हेतु सभी परियोजनाओं/ पावर स्टेशनों में आयोजित किए जा रहे विभिन्न हिंदी संबंधी कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जा रहा है ताकि हिंदी का विकास केवल परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के शासकीय कार्यों तक ही सीमित न रह जाए। क्षेत्र-II में राजभाषा की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए राजभाषा प्रभारी एवं प्रमुख (भू-विज्ञान एवं पर्यावरण) श्री दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि क्षेत्र-II व इसकी परियोजनांओं/पावर स्टेशनों में 75 प्रतिशत से अधिक कार्य हिंदी में हो रहा है और प्रत्येक वर्ष क्षेत्र-II व इसकी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों को राजभाषा शील्ड प्राप्त हो रही है, जोकि क्षेत्र-II के लिए निश्चय ही गौरव की बात है। उन्होंने कंप्यूटरीकृत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से क्षेत्र-II एवं इसकी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों द्वारा प्राप्त नवीन उपलब्धियों की जानकारी सभी उपस्थित जनसमूह को दी।

प्रबंधक (राजभाषा) श्री नानक चंद ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में राजभाषा हिंदी का शासकीय कार्यों में अधिकाधिक प्रयोग, अनुवाद की सरल विधि तथा पारिभाषिक शब्दावली का व्यापक स्तर पर ज्ञान देने के प्रयास किए जाएंगे ताकि राजभाषा हिंदी का सरलीकरण हो सके तथा यह जन सामान्य की भाषा बन सके। इस कार्यक्रम में एनएचपीसी के 25 से अधिक राजभाषा अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से आए श्री दयाशंकर पांडेय, सहा. निदेशक व श्री राजेंश सिंह, प्रशिक्षण अधिकारी द्वारा 5 दिन तक अनुवाद प्रक्रिया एवं सिद्धांत पारिभाषिक शब्दावली, कार्यालयी भाषा, टिप्पण, कार्यालय अभिव्यक्तियों का अनुवाद तथा भारत सरकार की राजभाषा नीति एवं अनुवाद का अभ्यास भी कराया गया ।

21 अप्रैल, 2006 को समापन अवसर पर क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर) के उपनिदेशक श्री रामनिवास शुक्ल ने राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी अपेक्षाओं से सभी प्रतिभागियों को अवगत कराया तथा क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने क्षेत्र-II कार्यालय द्वारा राजभाषा हिंदी की प्रगति एवं विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि क्षेत्र-II द्वारा जिस उत्साह से हिंदी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है वास्तव में हिंदी के विकास के लिए भी इसी उत्साह एवं प्रेरणा की आवश्यकता है ।

श्री रैना ने कार्यक्रम के समापन संबोधन में सभी प्रतिभागियों से अपेक्षा की कि वे इस कार्यक्रम से अर्जित

लाभ को अपनी परियोजनाओं/पावर स्टेशनों/संपर्क कार्यालयों में जाकर क्रियान्वित करेंगे। श्री दिनेश त्रिपाठी, प्रमुख (भू-विज्ञान एवं पर्या.) एवं प्रभारी (राजभाषा) ने बताया कि गत वर्ष से क्षेत्र-II कार्यालय द्वारा हिंदी के विकास के लिए जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए गए उनका मूल उद्देश्य राजभाषा की प्रगति को बढ़ाना रहा है और इस दिशा में प्रयास अब और तेज किए जाएंगे। श्री दयाशंकर पांडेय जी ने अपने संबोधन में कहा कि राजभाषा विभाग क्षेत्र-II द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम पूरे उत्सव की भांति आयोजित किया गया, निश्चय ही राजभाषा कार्यक्रम इसी उत्साह के साथ आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। श्री नानक चंद, प्रबंधक (राजभाषा) ने सभी को धन्यवाद दिया तथा यह विश्वास व्यक्त किया कि निगम मुख्यालय इसी प्रकार भविष्य में भी क्षेत्र-II कार्यालय को राजभाषा कार्यान्वियन से जुड़े कार्यों को करने में प्राथमिकता देगा।

हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, इंजन प्रभाग कोरापुट (उड़ीसा)

हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, इंजन प्रभाग-कोरापुट द्वारा 'नराकास' सुनाबेड़ा-कोरापुट के सदस्य कार्यालयों के लिए *दिनांक 0-1-2006* से 13-1-2006 तक स्थानीय प्रशिक्षण व विकास केंद्र में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के सहयोग से पांच दिवसीय संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के विभिन्न संगठनों से कुल 22 कर्मचारियों व अधिकारियों ने भाग लिया। संकाय संदस्यों के रूप में डॉ. दंगल टी. झाल्टे, संयुक्त निदेशक एवं डॉ. श्यामसुन्दर साहू, अनुवाद एवं प्रशिक्षण अधिकारी, अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र, मुंबई ने कक्षाओं का संचालन किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन महाप्रबंधक, हिएलि, कोरापुट प्रभाग व 'नराकास' सुनाबेड़ा-कोरापुट के अध्यक्ष श्री जे. के. महापात्र ने किया। इस अवसर पर एचएएल के वरिष्ठ प्रबंधक (प्रशिक्षण) श्री जे. देमता एवं वरिष्ठ प्रबंधक (कावप्र) तथा सर्वकार्य भारी अधिकारी, हिशियो, श्री पी.बी. देशपांडे विशेष तौर पर उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह के अवसर पर महाप्रबंधक महोदय ने अपने सारगर्भित उद्बोधन में अनुवाद की आवश्यकता व महत्ता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बोलते हुए सर्वकार्यभारी अधिकारी श्री देशपांडे ने इस तरह के प्रशिक्षण को सभी कर्मचारियों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। संकाय सदस्यों अनुवाद विद्या के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कोरापुट जिले में स्थित विभिन्न संगठनों व बैंकों के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए यह एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम रहा, जिसका उपयोग वे अपने कार्यालयीन कार्य में कर पाएंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन व समापन समारोह का संचालन प्रभाग के सहायक राजभाषा अधिकारी श्री ओंकार दास मानिकपुरी ने किया। ■

"हिंदुस्तानी का विचार उत्तरी और मध्य भारत की मातृभाषा दोनों के रूप में कर लिया जाए। इस जबान के दो मुख्य रूप हिंदी और उर्दू है। जाहिर है कि उनका एक ही आधार है, एक ही व्याकरण है और साधारण शब्द लेने के लिए एक ही भंडार है। असल में दोनों एक ही बुनियादी जबान हैं।"

—जवाहरलाल नेहरू

नेहरू, जवाहरलाल : राष्ट्रभाषा का सवाल, पृ. 11

आदेश-अनुदेश

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली का दिनांक 9 मई, 2006 का का.ज्ञा. सं. 12011/1/2006-रा.भा. (का-2)

कार्यालय ज्ञापन

विषय : हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार : वर्ष 2005-06

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 30 जुलाई, 1986 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/2/85-रा.भा. (क-2) के तहत केंद्र सरकार के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना परिचालित की गई थी।

2. इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06 के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं ।

3. **पात्रता तथा शर्तें :**

(i) योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हों ।

(ii) अनुदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं हैं ।

(iii) पुस्तक 01अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 के दौरान लिखी अथवा प्रकाशित की गई हो।

(iv) पुस्तक के लेखक केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन स्वायत्त संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, शैक्षिक व प्रशिक्षण संस्थानों के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी हों। इस संबंध में पुस्तक के लेखक द्वारा अनुलग्नक 'ख' पर दिये गये प्रोफार्मा में एक प्रमाण-पत्र दिया जाना अपेक्षित है। सेवारत अधिकारी/कर्मचारी अपनी प्रविष्टि अपने विभाग/कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति के साथ (अनुलग्नक 'ग' पर दिए गए प्रोफार्मा में) इस विभाग को भेजें। सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी अपनी पुस्तकें सीधे राजभाषा विभाग को या सेवानिवृत्ति से पूर्व वे जिस संगठन में कार्यरत रहे, उस विभाग/कार्यालय/संगठन के अध्यक्ष के माध्यम से भिजवा सकते हैं।

(v) पुस्तक की विषयवस्तु केंद्रीय सरकार के उक्त कार्यालयों/संगठनों/संस्थानों में कर्मचारियों द्वारा किए गए/किए जा रहे कार्यों से संबंधित हो। मैनुअल, शब्दावलियां, संस्मरण, कविताएं, कहानियां, नाटक, उपन्यास आदि इस योजना के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हैं ।

(vi) पुस्तक किसी शैक्षिक या प्रशिक्षण संस्थान के पाठ्यक्रम में शामिल न हो।

(vii) लेखक इस आशय का प्रमाण-पत्र दें कि यह पुस्तक उनकी मौलिक रचना है और कापीराइट एक्ट (यथासंशोधित) 1997 के तहत किसी अन्य लेखक के कापीराइट का उल्लंघन नहीं करती है।

(viii) प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की चार-चार प्रतियां अवश्य भेजी जाएं।

(ix) योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकें वापिस नहीं की जा सकेंगी और इस संबंध में किसी अंतरिम पूछताछ का उत्तर नहीं दिया जाएगा।

2. पुस्तक का नाम ....

3. पुस्तक का विषय ....

4. प्रकाशक का नाम व पता ....

5. प्रकाशन का वर्ष ....

6. पुस्तक लिखने का कार्य सम्पन्न करने की तिथि (माह-वर्ष) ....

7. मैं .... पुत्र/पुत्री श्री .... जो कि 01 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 के दौरान केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले ....(कार्यालय का नाम) में कार्यरत रहा/रही हूँ *या (सेवानिवृत्त व्यक्तियों के संबंध में) .... को (सेवानिवृत्ति की तिथि) .... (पदनाम) के पद से .... से (कार्यालय का नाम) सेवानिवृत्त हुआ हूँ, एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि :–

(i) उक्त पुस्तक मेरी मौलिक रचना है और कापीराइट एक्ट (यथा संशोधित), 1997 के तहत किसी अन्य लेखक के कापीराइट का उल्लंघन नहीं करती है ।

(ii) उक्त पुस्तक...................... (माह व वर्ष) से .... (माह व वर्ष) के बीच में लिखी गई/प्रकाशित हुई है।

(iii) मेरी उक्त पुस्तक के विषय का सम्बन्ध मेरे द्वारा किए जा रहे/किए गए कार्य से है।

दिनांक : *लेखक के हस्ताक्षर*

*नोट : जो लागू न हों काट दें।

अनुलग्नक "ग"

मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति

लेखक **द्वारा** दिए गए उपर्युक्त तथ्यों तथा सम्बद्ध रिकार्ड के आधार पर उपर्युक्त कृति को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार, वर्ष 2005-06 के विचार हेतु योग्य पाया गया है, तदर्थ संस्तुति की जाती है।

2. इस विभाग/कार्यालय द्वारा अब तक वर्ष 2005-06 के पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई यह पहली/दूसरी/तीसरी/चौथी पुस्तक है।

3. इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अन्तर्गत हिंदी में मौलिक पुस्तक-लेखन के पुरस्कार के लिए पूर्व में उक्त पुस्तक की सिफारिश नहीं की गई है।

अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के हस्ताक्षर :

नाम :

दिनांक :

पदनाम :

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/संस्थान :

दूरभाष/फैक्स :

भारत सरकार, गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग, नई दिल्ली का दिनांक 12 मई, 2006 का
का. ज्ञा. सं. 12011/02/2006-राभा (का.-2)

कार्यालय ज्ञापन

विषय :-राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना : वर्ष 2005-06

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 8 अगस्त, 2005 के संकल्प सं. II/12013/1/2000-रा. भा. (नी. 2) के तहत तकनीकी/विज्ञान की विभिन्न विधाओं से संबंधित विषयों पर उच्च स्तर के मौलिक हिंदी साहित्य के सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना परिचालित की गई थी ।

2. इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं।

3. **पात्रता एवं शर्तें :**

(1) पुस्तक आधुनिक तकनीकी/विज्ञान की किसी विधा पर लिखी हो सकती है। उदाहरणार्थ :-

(i) इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जैव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान आदि ।

(ii) समसामयिक विषय-जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण आदि ।

(2) योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य हैं ।

(3) भारत का कोई भी नागरिक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकता है ।

(4) पुस्तक विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए। उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या विद्यालयों के लिए पाठय पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी ।

(5) जिस वर्ष के लिए प्रविष्टि आमंत्रित की गई है उससे पिछले वर्ष में यदि किसी व्यक्ति को इस योजना के अंतर्गत कोई पुरस्कार मिल चुका होगा तो उसकी प्रविष्टि संबंधित वर्ष के लिए विचारणीय नहीं होगी।

(6) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठ की हो ।

(7) यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्ट पुस्तकों में से कोई भी पुस्तक किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

(8) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी।

(9) ऐसी पुस्तकें जिन पर कोई भी अन्य पुरस्कार प्राप्त हुआ हो, इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए सम्मिलित नहीं की जाएंगी । इस योजना के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो यह आवश्यक होगा कि इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए ।

4. **पुरस्कार :**

प्रथम पुरस्कार (एक)	-	दो लाख रुपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
द्वितीय पुरस्कार (एक)	-	एक लाख पच्चीस हजार रुपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार (एक)	-	पचहत्तर हजार रुपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
सांत्वना पुरस्कार (दस)	-	दस हजार रुपए, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न प्रत्येक को,

5. प्रविष्टि भेजने की विधि :

(i) प्रविष्टियां अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र के साथ भेजी जाएं अन्यथा उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं होगा ।

(ii) कृपया प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की तीन प्रतियां भेजें। पुस्तकें वापिस नहीं की जा सकेंगी ।

(iii) एक लेखक विचारार्थ एक से अधिक प्रविष्टियां भेज सकता है बशर्ते कि उसकी विषय-वस्तु परस्पर भिन्न हो।

(iv) प्रविष्टियां 31 अगस्त, 2006 या इससे पूर्व तक डाक द्वारा राजभाषा विभाग में पहुँच जानी चाहिएं ।

(v) प्रविष्टि भेजने का पता :—अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन), कार्यान्वयन-2 अनुभाग, राजभाषा विभाग, द्वितीय तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 ।

(vi) निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. मूल्यांकन समिति :

(i) प्रविष्टियों पर एक मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।

(ii) प्रविष्टियां भेजने वाले लेखकों के निकट संबंधी मूल्यांकन समिति में नहीं लिए जाएंगे।

(iii) मूल्यांकन समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी पुस्तक के बारे में निर्णय देने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ/विशेषज्ञों की राय प्राप्त कर ले।

(iv) मूल्यांकन समिति मूल्यांकन के मानदण्ड स्वयं निर्धारित करेगी।

(v) पुरस्कार देने के बारे में सर्वसम्मति न होने की स्थिति में निर्णय बहुमत द्वारा किया जाएगा। यदि किसी निर्णय के बारे में पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हों तो, अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

7. पुरस्कार के बारे में घोषणा और पुरस्कार वितरण :

(i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जाएगी।

(ii) पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा। पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान से बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का प्रथम श्रेणी का किराया तथा ठहरने के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

8. सामान्य :

(i) पुरस्कृत पुस्तक पर लेखक का कापीराइट बना रहेगा।

(ii) पुरस्कार प्रदान किए जाने अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तक चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा।

(iii) मूल्यांकन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

(iv) इस योजना के बारे में सूचना हमारी वैबसाइट http://rajbhasha.nic.in पर भी उपलब्ध है।

9. विनियम शिथिल करने का अधिकार :

जहां केंद्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन विनियमों का किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

10. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना को अपने सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, वित्तीय संस्थानों एवं केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थाओं, स्वायत्त संस्थाओं आदि में परिचालित कर दें।

(वी. के. श्रीवास्तव)
निदेशक (कार्यान्वयन)
दूरभाष : 24617695

प्रपत्र

राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना–वर्ष 2005-06

1. पुस्तक का नाम ....

2. पुस्तक योजना के किस पहलू/विषय के बारे में है ....

3. (i) लेखक/लेखकों का नाम ....
   (ii) पूरा पता (पिन कोड सहित) ....
   (iii) दूरभाष/फैक्स संख्या ....
   (iv) ई-मेल का पता ....

4. (i) प्रकाशक का नाम ....
   (ii) प्रकाशक का पूरा पता ....
   (iii) मूल्य ....
   (iv) प्रकाशन वर्ष ....
   (v) कापीराइट किसके अधीन है ....

5. क्या पुस्तक को पूर्व में किसी अन्य प्रतियोगिता में भेजा गया था? यदि हां, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें;
   (क) किस वर्ष में भेजी गई ....
   (ख) किसे भेजी गई (पूरा पता) ....
   ....
   (ग) क्या कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा दें ....

6. क्या लेखक को राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरा दें–
   (i) पुरस्कार प्राप्त पुस्तक का शीर्षक ....
   (ii) वर्ष जिसमें पुरस्कार प्राप्त हुआ ....
   (iii) प्राप्त पुरस्कार की राशि ....
   (iv) वर्ष जिसमें पुस्तक प्रकाशित हुई ....
   (v) प्रकाशक का पूरा पता ....
   (vi) पुस्तक का मूल्य ....

7. मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि
   (i) मैं/हम भारतीय नागरिक हूँ/हैं।
   (ii) पुस्तक मेरे/हमारे द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है।
   (iii) मेरी/हमारी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कापीराइट का उल्लंघन नहीं होता है।

मैं/हम वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना विनियम के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी/करेंगे।

स्थान : ....

दिनांक : .... लेखक/लेखकों के हस्ताक्षर..............................

नोट : 1. इस प्रपत्र को उचित प्रकार भरकर पुस्तक की तीन प्रतियों सहित 'अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन), कार्यान्वयन-2 अनुभाग, राजभाषा विभाग, द्वितीय तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003' को भेजा जाए।

2. लेखक द्वारा पुस्तक का विधिवत् हस्ताक्षरित सारांश भी संलग्न किया जाए।

पाठकों के पत्र

राजभाषा भारती पत्रिका बनावट व बुनावट की दृष्टि से उन्नति की ओर अग्रसर है। रचनात्मक वैविध्य के साथ-साथ उप रचनाओं का संकलन निश्चित रूप से पाठकों के फलक को विस्तारित करेगा। श्रेष्ठ संपादन ही पाठकों को अपनी ओर आकर्षित व की क्षमता रखता है। अनुप्रयोग व व्यवहार ही भाषाई विकास के प्रगतिशील आयाम है। पत्रिका निरंतर ज्ञान-विज्ञान की विविधमु रचनाओं का अनुशीलन/प्रकाशन कर अपने उद्देश्यों की ओर उन्मुख हो रही है। पाठक व केंद्रीय कार्यालयों के कर्मचारी इससे लाभान्वि होकर अपनी रचनात्मकता उर्वरता को नए स्वर देंगे। पत्रिका के सुरूचिपूर्ण संपादन हेतु सभी संबंधितों को साधुवाद।

डॉ. दिनेश चमोला, प्रभारी, राजभाषा अनुभाग, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान हरिद्वार रोड, मोहकमपुर, देहरादून-248005,

राजभाषा भारती पत्रिका के कलेवर में सतत सुधार हो रहा है और पत्रिका उपयोगिता की दृष्टि से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ बनती जा रही है।

डा. एन. एल. शर्मा, कार्यवाहक प्राचार्य, बरेली कालेज, बरेली-2

राजभाषा भारती के जुलाई-सितंबर, 2005 का संपादकीय प्रेरणाप्रद है। इस अंक में दिए गए लेख उच्च कोटि के हैं तथा के लिए ज्ञानवर्धक व मनोरंजक हैं। श्री ईश्वरचंद मिश्र का अनुवाद और भाषाओं का व्यक्तिरेकी अध्ययन तथा अरविंदकुमार सि सामाजिक न्याय की अनुठी धरोहर लेख अपनी अलग पहचान रखते हैं। भारत भर में केंद्रीय कार्यालयों/संस्थानों में हो रही हिंदी गतिविधियों की भी पत्रिका से जानकारी मिली। इसे गागर में सागर कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आशा है ऐसी पत्रिकाओं से हिंदी जल्दी ही अपनी मंजिल पर पहुँचेगी।

गजानंद गुप्त, मंत्री, राष्ट्रभाषा प्रचार परिषद्, 19-3-946, शमशीरगंज, हैदराबाद-500053 (आँ. प्र.)

'राजभाषा भारती' के जुलाई-सितंबर, 2005 अंक के सभी वर्गों के लेख विचारोतेजक हैं तथा चिंतन की सामग्री प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी (न्यायमूर्ति धर्माधिकारी), राजभाषा हिंदी की प्रयोगगत कठिनाइयों का भाषिक पक्ष (डॉ. बुंदेले) आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और उनका रचना-संसार (अमरेन्द्र मिश्र), पर्यावरण पर प्रदूषण का आक्रमण (डॉ. चौधरी) और सामाजिक न्याय की अनूठी धरोहर (अरविंद कु. सिंह) लेख परिजनों और प्राध्यापक मित्रों को भी बहुत ज्ञानवर्धक प्रेरक, रोचक तथा उपयोगी लगे। लेखकों को हमारी ओर से बहुत-बहुत बधाइयाँ। मदन गुप्त की रचना पाठकों को गुदगुदाती हैं। भविष्य में ऐसी और भी रचनाएं प्रकाशित करें।

पत्रिका न केवल परिवार में पढ़ी जाती है बल्कि कॉलेज के प्राध्यापकगण भी इसका लाभ उठाते हैं। ऐसे उपयोगी, दिशादायी और सुरूचिपूर्ण संपादन के लिए हमारी ओर से अभिनंदन-वंदन स्वीकार करें।

डॉ. भगवानशरण भारद्वाज, अध्यक्ष-हिंदी विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली-243005

'राजभाषा भारती' पत्रिका का संपादकीय पक्ष बहुत प्रबल है, यद्यपि आज के उदारीकरण और वैश्वीकरण के दौर में अंग्रेजी समूचे विश्व पर छाने का प्रयास कर रही है, तो यह भी सत्य है कि हिंदी ने विश्व में अपना स्थान पहले ही कायम किया है और वह दिन दूर नहीं जो स्वतंत्र भारत का सपना है कि हिंदी राष्ट्र संघ की एक भाषा बनेगी और निश्चित ही पूरे विश्व में अपनी सामर्थ्य क्षमता का प्रत्यय दिखाएगी। माननीय गृह मंत्री जी का व्याख्यान, चिंतन, साहित्यिकी, पर्यावरण, मानवाधिकार एवं हास-परिहास जैसे विषयों के अंतर्गत विविध लेख प्रकाशित कर सुधी पाठकों का स्वास्थ्य मनोरंजन और चिंतन करने को बाध्य करता है। अनुवाद जैसे जटिल कार्य को सरल बनाने की दिशा में श्री ईश्वर चंद्र मिश्र का आलेख स्तुत्य है। हिंदी साहित्य जगत के पथप्रदर्शक और महान साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में प्रकाशित लेख में श्री अमरेन्द्र कुमार मिश्र जी ने हिंदी साहित्य का अनूठा परिचय देने का प्रामाणिक परिचय दिया है, कुल मिलाकर पत्रिका ने गागर में सागर भरने का अद्वितीय कार्य किया है, पत्रिका का मुखपृष्ठ सुंदर तो है ही परंतु इसकी साज-सज्जा और आंतरिक टाइप सेटिंग भी खूबसूरत है।

बालकृष्ण ना. शेंद्रे, उप मुख्य अधिकारी (राजभाषा), क्षेत्रीय कार्यालय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उत्तर मुंबई

राजभाषा विभाग की त्रैमासिक पत्रिका 'राजभाषा भारती' का अंक 110 जुलाई-सितंबर, 2005 के समग्र कलेवर का पठन किया। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी तथा डॉ. शंकर बुंदेले के चिंतनपरक लेख पठनीय है। पत्रिका के अन्य स्तंभों के अंतर्गत 'साहित्यिकी' 'पर्यावरण' व 'संस्कृति' में प्रकाशित सामग्री ज्ञानवर्धक व रोचक प्रतीत हुई। पत्रिका का कलेवर दिनोंदिन आकर्षक व ज्ञानवर्धक बनता जा रहा है। राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की दृष्टि से पत्रिका का योगदान प्रशंसनीय है। 'राजभाषा भारती' के उत्कृष्ट संपादन के लिए संपादक तथा उनके सहयोगी निस्संदेह बधाई के पात्र हैं। पत्रिका के उज्ज्वलतम भविष्य के लिए हार्दिक मंगल कामनाएँ अर्पित हैं।

प्रा. डॉ. शहाबुद्दीन नियाज़ मुहम्मद शेख, उपाध्यक्ष-राष्ट्रीय हिंदी सेवी महासंघ, 78/484, सिविल हड़को, अहमदनगर-414003 (महाराष्ट्र)

MGIPRRND—2205 HA/2006—5,000

हिंदी कार्यशाला के अवसर पर अपना अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करते हुए डॉ. एस. के. माथुर, उपनिदेशक, क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केंद्र, भंडारा साथ में बाएं से श्रीमती अनीता जायसवाल, श्री बी. वी. अवसरमोल ।

मुख्य आयकर आयुक्त, कानपुर, श्री बी. के. श्रीवास्तव (बीच में) ''आयकर दिग्दर्शिका'' का विमोचन काते हुए । साथ में हैं। श्री एन. के. शुक्ला, मुख्य आयकर तथा सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री विश्वनाथ कैलखुरी ।

पं.सं. 3246/77
आई एस एम एन 0970-9398

प्रपत्र-4 (देखिए नियम-8)
प्रैस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम
समाचार-पत्रों का पंजीकरण (केंद्रीय) नियम
'राजभाषा भारती' के स्वामित्व तथा विवरणों की सूचना

1.	प्रकाशन स्थान	लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003
2.	प्रकाशन अवधि	त्रैमासिक
3.	मुद्रक का नाम	प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड़, मायापुरी, नई दिल्ली
4.	क्या भारत का नागरिक है?	भारतीय नागरिक
5.	प्रकाशक का नाम व पता	डॉ. राजेंद्र प्रताप सिंह, उप संपादक, राजभाषा विभाग, भारत सरकार, लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 दूरभाष : 24698054
6.	संपादक (पदेन) का नाम व पता	निदेशक (अनुसंधान), राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 दूरभाष : 24617807
7.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पुंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।	लागू नहीं

मैं डॉ. राजेंद्र प्रताप सिंह घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

ह./-

प्रकाशक का हस्ताक्षर

भारत सरकार, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 के लिए डॉ. राजेंद्र प्रताप सिंह, उप संपादक द्वारा प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित।